# लोक-सभा

# वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २६, १९५९/१८८० (शक)

[२३ फरवरी से ५ मार्च १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 15-7-83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २६ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

## विषय-सूची

**[द्वितीय माला, खण्ड २६, अंक ११ से २०—२३ फरवरी से ५ मार्च, १९५९/४ से १४ फाल्गुन १८८० (शक)**

**अंक ११—सोमवार, २३ फरवरी, १९५९/४ फाल्गुन, १८८० (शक)**


| | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ५१९, ५२०, ५४७, ५२१ से ५२६, ५२८, ५२९, ५३१, ५३२, ५३४, ५३५ और ५३७ . . | ११९७—१२२१ |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . . | १२२२—२४ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर— | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ५२७, ५३०, ५३३, ५३६, ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४६, ५४८ से ५६८ . . . . . | १२२४—३७ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ६६६ से ६९१ और ६९३ से ७३४ . . | १२३७—७२ |
| श्री बेदलपतला गंगाराजू का निधन— . . . . | १२७२ |
| स्थगन प्रस्ताव— | |
| पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोली चलाया जाना . . | १२७२—७४ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . | १२७४—७५ |
| राष्ट्रपति से सन्देश . . | १२७५ |
| राज्य-सभा से सन्देश . . . . | १२७५ |
| चल-चित्र (संशोधन) विधेयक— | |
| राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . . . . . | १२७५ |
| प्राक्कलन समिति— | |
| चौतीसवां प्रतिवेदन . . . | १२७६ |
| अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— | |
| इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के कर्मचारियों का अस्थायी रूप से काम से अलग किया जाना . . . . . | १२७६ |
| तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तरों की शुद्धि . . . . | १२७६ |
| विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . . | १२७७ |
| १. भारत का राज्य बैंक (संशोधन) विधेयक . . . | १२७७ |
| २. बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक . . . . | १२७७ |
| कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . . | १२७७—८४ |
| खण्ड २ से २० तथा १ . . . . . | १२७७—८१ |
| संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . | १२८१—८४ |

पृष्ठ

वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . . १२८४—१३११

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १३१२—१८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १३१९—२५

अंक १२—मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९/५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७५, ५७७, ५८१, ५८३, ५८५, ५८६, ५८८, ५८९ और ५९३ . . . १३२७—५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८ से ५८०, ५८२, ५८४, ५८७, ५९० से ५९२ और ५९४ से ६२१ . . . . १३५२—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७३५ से ७९७ और ७९९ से ८४१ . . १३६७—१४१९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . . . १४१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १४१९

विनियोग विधेयक—पुर:स्थापित . . . १४२०

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . . . १४२०—२६

भारतीय आय कर (संशोधन) विधेयक . . १४२७—४०

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १४२७—३९

खण्ड २ से ५ और १ . . . . . १४३९—४०

पारित करने का प्रस्ताव . . . . १४४०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक— . . . . १४४०—५९

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . १४४०—५७

राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . . १४५७—५९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १४६०—६६

पृष्ठ

अंक १३—बुधवार, २५ फरवरी, १९५९/६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२ से ६३० और ६३२ से ६३४ . . . १४६७—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १४९१—९३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१ और ६३५ से ६६२ . . . १४९३—१५०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ९३४ . . . १५०६—४४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १५४४-४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन . . . १५४५

तारांकित प्रश्न संख्या ६४७ के अनुपूरकों के उत्तर की शुद्धि . . . १५४६

विनियोग विधेयक—

पारित . . . १५४६-४७

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १५४७—८३

दैनिक संक्षेपिका . . . १५८४—९०

अंक १४—गुरुवार, २६ फरवरी, १९५९/७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ से ६७०, ६७२ और ६७४ से ६७८ . . . १५९१—१६१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७१, ६७३ और ६७९ से ७२१ . . . १६१२—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९४८ और ९५० से १०३१ . . . १६३७—७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . १६७८-७९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . १६८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राज्य व्यापार निगम द्वारा एक संस्था को कास्टिक सोडा देने से कथित इन्कार . . . १६८०

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १६८१—१७२२

दैनिक संक्षेपिका . . . १७२३—२९

पृष्ठ

**अंक १५—शुक्रवार, २७ फरवरी, १९५९/८ फाल्गुन, १८८० (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२५, ७२७, ७२९ से ७३४, ७३७, ७३८, ७४०, ७४३, ७४४, ७४७ और ७५१ . . . १७३१—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८, ७३५, ७३६, ७३९, ७४१, ७४२, ७४५, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५४ से ७६२ . . १७५६—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १०३२ से १११०, १११२ और १११३ . १७६४—१८०२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १८०२—०३

विधेयक पर राय . . १८०३

राज्य-सभा से सन्देश . . . १८०३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १८०३

प्राक्कलन समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन . . . . . १८०३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति —

बारहवां प्रतिवेदन . . . १८०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गंडक परियोजना के बारे में बिहार के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य . १८०४

सभा का कार्य . . . . . . . १८०४—०५

रेलवे आयव्ययक सामान्य चर्चा . . . . १८०५—२२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पैंतीसवां प्रतिवेदन . . . . . . १८२३

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के सम्बन्ध में संकल्प—अस्वीकृत . . . . १८२३—४१

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प . १८४१—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . . १८४३—४९

**अंक १६—शनिवार, २८ फरवरी, १९५९/९ फाल्गुन, १८८० (शक)**

सामान्य आय व्ययक, १९५९-६० का उपस्थापन . . १८५१—७३

वित्त विधेयक—पुरःस्थापित किया गया . . . . १८७३

दैनिक संक्षेपिका . . १८७४

पृष्ठ

**अंक १७—सोमवार, २ मार्च, १९५९/११ फाल्गुन, १८८० (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६३ से ७६७, ७६९, ७७१ से ७७३, ७७५ और ७७६ . . . १८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . १८९६–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६८, ७७४, ७७७ से ७९२, ७९४ से ७९६ और ७९८ से ८२० . . . . १८९७—१९१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १११४ से ११९१ १९१४—४५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १९४५—४७

अनुपस्थिति की अनुमति . . . . १९४७–४८

सामान्य आयव्ययक पर चर्चा के बारे में प्रक्रिया . . १९४८

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १९४९—९२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १९९३—९८

**अंक १८—मंगलवार, ३ मार्च, १९५९/१२ फाल्गुन, १८८० (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२१ से ८२३, ८२५ से ८२८, ८३०, ८३१, ८३३, ८३५, ८३७ और ८४० से ८४३ . . १९९९—२०२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४, ८२९, ८३२, ८३४, ८३६, ८३८, ८३९, ८४४ से ८४७, ८४९ से ८६१ और ८६३ से ८७१ . . २०२५—४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से १२०१, १२०३ से १२५० और १२५२ २०४१—६७

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . . . २०६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कराची में हुई भारत पाकिस्तान वार्ता . . . २०६८—६९

चलचित्र (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति . . २०६९—७०

रेलवे आय-व्यय—सामान्य चर्चा . . . . २०७०—९०

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९५९-६० . . . . २०९०—२१२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . २१२७—३१

**अंक १९—बुधवार, ४ मार्च, १९५९/१३ फाल्गुन, १८८० (शक)** पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७३, ८७६, ८८०, ८८४, ८८६, ८८७, ८९१, ८९३, ९२१, ८९४, ८९५, ९०१, ९०३, ९०४, ९०६, ९०८ और ९१० . २१३३—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ से ८ २१५५—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२, ८७४, ८७५, ८७७ से ८७९, ८८१ से ८८३, ८८५, ८८८ से ८९०, ८९२, ८९६ से ९००, ९०५, ९०७, ९०९, ९११ से ९२० और ९२२ से ९२४ . २१६१—७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १३७३, १३७५ से १३८७ . २१७४—२२२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ दिनांक १७ १२-५८ के उत्तर में शुद्धि २२३०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २२३०

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २२३१

राज्य-सभा से संदेश २२३१

प्राक्कलन समिति—

तेतीसवां प्रतिवेदन . . . . . २२३१

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन . २२३१

भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) विधेयक—

पुरःस्थापित २२३२

अनुदानों की मांगें—रेलवे १९५९-६० २२३२—७२

दैनिक संक्षेपिका . २२७३—८०

**अंक २०—गुरुवार, ५ मार्च, १९५९/१४ फाल्गुन, १८८० (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२५ से ९२९, ९३२ से ९३५, ९३७ से ९३९ और ९४२ २२८१—२३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३०२-०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३६, ९४०, ९४१, ९४३ से ९५७ और ९५९ से ९६३ २३०३—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८८ से १४८१ २३१२—५०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

डॉक लेबर बोर्ड कलकत्ता में कर्मचारियों की मुअत्तली २३५१-५२

| | पृष्ठ |
|---|---|
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . | २३५२ |
| राज्य-सभा से संदेश . . . . | २३५३ |
| रेलवे आय-व्ययक अनुदानों की मांगें, १९५९–६० . . . | २३५३—२४१३ |
| स्ट्रैप्टोमाइसीन तथा डीहाइड्रोस्ट्रैप्टोमाइसीन बनाने के लिये करार के सम्बन्ध में प्रस्ताव . | २४१४—२८ |
| कार्य मंत्रणा समिति— | |
| छत्तीसवां प्रतिवेदन | २४१७ |
| दैनिक संक्षेपिका | २४२९–३५ |

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

---

388 (Ai) L.S.D.—12.

# लोक-सभा वाद-विवाद

## लोक-सभा

मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९

५ फालगुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

### प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**रेलवे में मितव्ययता सम्बन्धी उपाय**

+

†*५६६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री राजेन्द्र सिंह :**
**श्री वाजपेयी :**
**श्री साधन गुप्त :**
**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में यातायात और आय की तुलना में संचालन व्यय अत्यधिक बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो व्यय में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) उस का क्या परिणाम निकला ;

(घ) कितने व्यक्तियों की छंटनी की गई अथवा की जाने की संभावना है ; और

(ङ) क्या अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फेडरेशन ने ६ जनवरी, १९५९ को 'छंटनी दिवस' मनाया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). यद्यपि कर्मचारियों की संख्या और उनकी उपलब्धियां बढ़ गई हैं तथा कुछ सामान विशेषकर कोयले की कीमत बढ़ जाने से जिसका

†मूल अंग्रेजी में

उपभोग रेलें देश के सम्पूर्ण उत्पादन का एक तिहाई करती हैं, इस को देखते हुए संचालन-व्यय में अनुपात से अधिक वृद्धि नहीं हुई है जैसा कि सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता लगेगा। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]** व्यय पर कठोर नियंत्रण रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप यातायात की आवश्यकता को देखते हुए उन के संचालन-व्यय पर पूरा नियंत्रण रहा है।

(घ) कुछ नहीं।

(ङ) इस प्रकार के कुछ समाचार समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** यदि पहले छंटनी नहीं की गई तो क्या छटनी का कोई प्रस्ताव है जिस के अनुसार बहुत काफी संख्या में पिछले कई सालों से काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी कर दी जायेगी ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** किसी भी रेलवे कर्मचारी की छंटनी करने का कोई विचार नहीं है। जहां तक आकस्मिक काम पड़ जाने पर रखे गये मजदूरों का प्रश्न है, उसके बारे में प्रथा यह रही है कि उस अथवा परियोजना, जिस के लिये वे लगाये जाते हैं, पूरी हो जाने पर उन्हें हटा दिया जाता है।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पिछले पांच वर्षों से काम कर रहे हैं किन्तु जिन की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, क्या उन में से भी कुछ लोगों की छंटनी होने जा रही है ?

†**श्री जगजीवन राम:** जैसा कि मैं बता चुका हूं कि किसी भी रेलवे कर्मचारी की छंटनी करने का कोई विचार अथवा प्रस्ताव नहीं है। विभिन्न परियोजनाओं में इस समय आकस्मिक काम करने वाले मजदूरों की संख्या २॥ लाख से भी अधिक है जिन को स्वाभाविक है कि परियोजनाओं के पूरी हो जाने पर हटा दिया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि आगामी एक-दो वर्षों तक किसी भी खाली जगह की पूर्ति न की जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न इस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** मितव्ययता की दृष्टि से, श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य मितव्ययता चाहते हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस में मितव्ययता नहीं की जा सकती। हम मितव्ययता चाहते अवश्य हैं किन्तु प्रश्न यह है कि वह कहां पर हो ?

†**श्री जगजीवन राम :** जी नहीं। जिन स्थानों के लिये मंजूरी दे दी गई थी और छः मास में उन को नहीं भर लिया गया अथवा किसी काम विशेष के लिये अस्थायी रूप से किसी को रख लिया गया था उस काम के पूरे हो जाने पर उन स्थानों को नहीं भरा जायेगा।

†**श्री वाजपेयी :** क्या यह सच नहीं कि महाप्रबन्धकों को ये निदेश दिए हैं कि वे न केवल स्थायी पदों के बारे में कठोर जांच-पड़ताल रखें अपितु अधिकतम मितव्ययता बरतने की दृष्टि से विद्यमान पदालियों पर भी पुनः विचार करें ; और यदि ऐसा है तो क्या इस से कुछ छंटनी नहीं होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां, इस प्रकार के निदेश जारी किये गये हैं ; किन्तु मैं पुनः सभा को आश्वासन देना चाहूंगा कि रेलवे का कोई भी कर्मचारी, जो सेवा में है, उस की छंटनी नहीं की जायेगी ।

†**श्री दामानी** : बचत करने की दृष्टि से कोयला खानों से सीधे कोयला खरीद कर अच्छी किस्म का कोयला इस्तेमाल करने का विचार था । क्या इस योजना को कार्य रूप में परिणत किया गया है, यदि हां, तो कितनी बचत हुई है ?

†**श्री जगजीवन राम**: संबंधित मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि काम पूरा हो जाने पर कुछ आकस्मिक मजदूरों की छंटनी की जा सकती है । आकस्मिक मजदूरों की परिभाषा क्या है और क्या छः मास तक काम करने के पश्चात् वह अस्थायी कर्मचारी हो सकता है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जो प्रथा विद्यमान है वही चलती रहेगी ।

†**श्री प्र० चं० बोस**: क्या कोयले के इस्तेमाल में मितव्ययता बरतने की संभावनाओं की जांच की गई थी ?

†**श्री जगजीवन राम**: जी हां, इस के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी जिस का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ।

†**श्री बिमल घोष** : क्या वह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री तंगामणि** : विस्तार कार्यक्रम की दृष्टि से जो हम ने चलाया है, २।। लाख आकस्मिक मजदूरों में से कितने लोगों को काम से नहीं हटाया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम**: काम से न हटाये जाने की कोई योजना नहीं है किन्तु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में यह प्रथा है कि जब कभी एक परियोजना विशेष पूरी हो जाती है तो उस परियोजना में जिन लोगों ने काम किया है उन की एक सूची बना कर काम में लगाने वाले मंत्रालयों के पास उन में से अधिक से अधिक लोगों को काम में लगाने के बारे में परिचालित कर दी जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम अगला प्रश्न लेंगे । रेलवे आयव्ययक में इस पर चर्चा की जायेगी ।

## ट्रंक टेलीफोन

+

†*५७०. { **श्री स० चं० सामन्त** :<br>**श्री सुबोध हंसदा** :<br>**श्री रा० च० माझी** : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंक एक्सचेंजों में काम करने वाले ट्रंक टेलीफोन द्वारा शीघ्रता करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कार्य में शीघ्रता लाने के लिये कोई नया तरीका निकला गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह तरीका सफलतापूर्वक काम कर रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां । एक नयी योजना लागू की गई है जिस के द्वारा ट्रंक ग्रापरेटर बुलाय गये दूर बैठे व्यक्ति का प्रत्यक्षत: नम्बर घुमा सकेगा बशर्ते कि उस व्यक्ति के टेलीफोन का ग्राटोमेटिक एक्स-चेंज से कनेक्शन हो । ग्राटोमेटिक एक्सचेंज पद्धति से सम्बन्धित उन प्रमुख लाइनों पर यह योजना लागू की जा रही है जिनका सीधे ट्रंक सर्किट से कनक्शन होता है । इस प्रबंध के द्वारा टेलीफोन से समा-चार शीघ्रता से पहुंच सकेगा ।

(ग) जी हां । यह पद्धति सीमित लाइनों पर लागू की गई है ग्रौर उस के परिणाम उत्साह-वर्द्धक निकले हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** ट्रंक टेलीफोनों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये हैं ग्रौर कितने विद्यमान एक्सचेंजों का विस्तार किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** यह प्रश्न जारी की गई विशेष योजना का निर्देश करता है । यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की सामान्य जानकारी चाहते हैं, तो वह ग्रलग प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त** क्या सीधे नम्बर घुमाने का प्रयोग किया जा चुका है , यदि हां तो कहां ग्रौर उस का क्या परिणाम निकला ?

†**श्री स० का० पाटिल :** सीधे नम्बर घुमाने का प्रयोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता ग्रौर मद्रास में किया जा रहा है किन्तु एक योजना यह है कि ग्रगले कुछ सप्ताहों में इन चार सर्किटों से प्राप्त परि-णामों की दृष्टि से, यह योजना २४ ग्रन्य सर्किटों में लागू कर दी जायगी ।

**सेठ गोविन्द दास:** यह जो नई प्रणाली प्रचलित की जा रही है, क्या वह उन चार जगहों के सिवा कहीं ग्रौर भी प्रचलित की जायगी, जोकि ग्रभी माननीय मंत्री ने बताई हैं, ग्रौर ग्रगर की जायेगी, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है कि कितनी ग्राबादी के स्थानों में की जायेगी ?

**श्री स० का० पाटिल:** इस का निश्चय ग्राबादी के ग्राधार पर नहीं किया जायगा । जहां ग्राटो-मैटिक एक्सचेंजिज़ हैं ग्रौर जहां हम इकनोमिकली काम कर सकते हैं, वहां इस को लागू किया जायगा । मेरे पास एक बड़ी लिस्ट है —उस में चौबीस जगहों के नाम हैं । ग्रगर माननीय सदस्य किसी पर्टिकुलर टाउन में इंटरेस्टेड हों, तो मैं बता सकता हूं ।

**कुछ माननीय सदस्य** उठे——

†**ग्रध्यक्ष महोदय :** श्री त्यागी । शायद वह प्रश्न नहीं पूछना चाहते । वह पहले खड़े हुए थ किन्तु जब मैं ने उन का नाम पुकारा तब वह नहीं खड़े हुए । भविष्य में मैं उन सदस्यों को नहीं पुकारा करूंगा जो मेरे पुकारने पर उत्तर नहीं देंगे । यदि किसी माननीय सदस्य का प्रश्न किसी दूसरे मान-नीय सदस्य द्वारा पूछ लिया जाता है तो उसे चाहिये कि वह सभा को ग्रौर मुझे यह सूचना दे कि जो प्रश्न वह पूछना चाहते थे, वह पहले ही पूछा जा चुका है ।

†**श्री ग्र० मु० तारिक :** क्या हुकूमत को यह इल्म है कि ग्ररजेंट ग्रौर इम्मीजियेट काल्स के रश की वजह से ग्रार्डिनरी काल करने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि उन को फायदा पहुंचाने के लिये हुकूमत क्या कदम उठा रही है ?

---

†मूल ग्रंग्रेज़ी में

**श्री स० का० पाटिल :** मैं नहीं मानता हूं कि यह सवाल इस सवाल से उठता है । यह सवाल जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, उस से ताल्लुक रखता है । दाम के साथ इस का कोई सम्बध नहीं है ।

**श्री अ० मु० तारिक :** मैं यह पूछ रहा हूं कि आर्डिनरी ट्रंक काल करने में, चूंकि अर्जेण्ट और इमिडियेट काल्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, मौका नहीं मिलता है, लोगों को बहुत तकलीफ होती है । मैं जानना चाहता हूं कि उनको सहूलियत देने के लिए मिनिस्ट्री क्या कर रही है ।

†**श्री स० का० पाटिल :** आपका सवाल तो ठीक है लेकिन वह इस सवाल से उठता नहीं है कि आर्डिनरी काल्स के लिए टाइम मुकर्रर किया जाए ?

†**श्री दासप्पा:** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि एक्सचेंजों में काम करने वाले लोगों की कार्यकुशलता उतनी ही महत्व रखती है जितना कि काम करने का तरीका, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुधा आपरेटर जानकारी देने में अत्यधिक विलम्ब लगा देते हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हम इस बात को जानते हैं और इसके लिये प्रयत्नशील हैं कि यथा-सम्भव विलम्ब को दूर किया जाये और कर्मचारियों की कुशलता बढ़े ।

**चीन में चावल पैदा करने के तरीके**

†*५७१. { **श्री भक्त दर्शन :**
**श्री अजित सिंह सरहदी :**
**श्री नागी रेड्डी :**
**श्री दे वें० राव :**
**श्री उस्मान अली खां :**
**श्री वाजपेयी :**
**श्री विभूति मिश्र :** }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेजने का विचार है जो वहां चावल पैदा करने के तरीकों का अध्ययन करेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के प्रतिनिधिमंडल में केवल किसान ही होंगे जो वास्तव में चावल की खेती करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी तथा किन-किन राज्यों के प्रतिनिधि उसमें होंगे ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अभी तक इस बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है कि प्रतिनिधि मंडल में कितने लोग होंगे वे किन-किन राज्यों मे लिये जायेंगे ।

**श्री भक्त दर्शन :** कुछ वर्षों पहले से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें धान उगाने की जापानी प्रणाली का प्रचार करती आ रही हैं, और अब चीनी प्रणाली के बारे में यह अध्ययन मंडल भेजा जा

---

†मूल अंग्रेजी में

रहा है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन सी विशेषता है जिसके लिए इतना कष्ट किया जाएगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यदि दोनों पद्धतियों में कुछ अन्तर बताने के लिये कहा जाये तो मुझे उसमें कुछ समय लगेगा ।

**श्री भक्त दर्शन** : मैं जानना चाहता हूं कि इस अध्ययन मंडल को भेजने के बारे में कब तक निर्णय हो जाएगा या कब तक यह जाने वाला है ?

**डा० पं० शा० देशमुख** : हमारा इरादा इसको मार्च में भेजने का था। मगर चाइनीज़ लोगों का कहना है कि वह जुलाई में आएं तो ठीक रहेगा। शायद हाउस को विदित है कि एक तो शिष्टमण्डल जिसमें एक्सपर्ट्स हैं भेजा गया है माइनर इरिगेशन के अध्ययन के लिए ।

†**श्री त्यागी** : जापानी पद्धति का अभी हाल ही में हमारे देश में प्रचार किया गया था। क्या वह असफल सिद्ध हुआ है तो फिर हम दूसरी पद्धति क्यों अपना रहे हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: यह पद्धति असफल नहीं हुई; इससे बहुत बढ़िया परिणाम निकला है। किन्तु हम दुनियां में चाहे जहां की हों अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं; हम किसी एक ही पद्धति तक सीमित नहीं रहना चाहते ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी**: माननीय मंत्री हाल में चीन गये थे और चीनी पद्धति की उन्होंने सराहना की। चीनी और जापानी दोनों पद्धतियों में क्या अन्तर है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख**: मुख्य अन्तर यह है कि चीनी गहरा हल चलाते हैं और वे सारे स्थान को एक के बाद दूसरी तह से कम्पोस्ट और मिट्टी से भर देते हैं। दूसरा अन्तर जो उसके विपरीत है, यह है कि जहां जापानी तरीके में कुछ ही बीजों की आवश्यकता होती है जबकि चीनी तरीके में प्रति एकड़ ६६० पाउण्ड तक बीज लगते हैं जबकि जापानी तरीके में केवल ६ से ८ पाउण्ड तक बीजों की आवश्यकता होती है। उनका कहना यह है कि इतने बीज की आवश्यकता उन्हें उन प्रयोगात्मक भूमियों पर होती है जहां उन्हें अधिक पैदावार करनी होती है ।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या सरकार का ध्यान चीनी समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विवरण की ओर आकर्षित किया गया है कि प्रति एकड़ उनके यहां पैदावार लगभग ३५० पाउण्ड होती है ? क्या सरकार इस प्रकार के आंकड़ों पर विश्वास करती है ?

†**श्री अ० प्र० जैन**: माननीय सदस्य ने जिस समाचार का उल्लेख किया है हमने उसे देखा है। हम इस पर अपनी कोई राय नहीं देना चाहते ।

**श्री च० द० पांडे** : क्या इस प्रतिनिधिमंडल को भेजने में सरकार के सामने यही लालच था अथवा कोई और कारण है ?

**श्री अ० प्र० जैन** : इसका केवल यही कारण नहीं था किन्तु इस बारे में हमें काफी जानकारी है कि चीनियों ने काफी प्रगति की है। हम जानना यह चाहते हैं कि उन्होंने यह प्रगति किस प्रकार की है, जिससे हम भी उससे लाभ उठा सकें ।

†**श्री त्यागी** : क्या हमारा चीन में कोई राजदूत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० द० पांडे :** हमारे देश तक में प्रति एकड़ पैदावार में काफी अन्तर रहता है अर्थात् प्रति एकड़ पैदावार १० मन से लेकर १०० मन तक होती है। क्या इस देश में १०० मन तक पैदावार बढ़ाने की सारी सम्भावनाओं का पता लगाया जा चुका है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** उत्पादन बढ़ाने के लिये हम यथाशक्ति प्रयत्नशील हैं। यह सच है कि गरीब और अमीर किसान की पैदावार में काफी अन्तर रहता है। देश से जितनी जानकारी हमें मिल सकती है उसका हम अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु साथ ही हम विदेशों की जानकारी भी प्राप्त कर लेना चाहते हैं।

**श्री वाजपेयी :** क्या प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय करने से पूर्व सरकार ने अपने किसी अधिकारी को चीन भेजा था जिन्होंने चावल बोने की पद्धति का स्वयं निरीक्षण किया हैं और यदि भेजा है तो उनकी रिपोर्ट क्या है ?

**श्री अ० प्र० जैन :** इसी लिए तो भेज रहे हैं।

**श्री वाजपेयी :** मेरा सवाल यह है कि प्रतिनिधिमंडल भेजने से पहले किसी अधिकारी को भेजा गया था देखने के लिए या पूरा प्रतिनिधिमंडल ही अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा ?

**श्री अ० प्र० जैन :** चुना जाएगा कि कौन कौन भेजे जायें और चूंकि निरीक्षण करना है, इसीलिए तो हम भेज रहे हैं।

**श्री कोडियान :** मैं समझता हूं कि सरकार चावल की खेती के चीनी तरीके को कुछ चुने हुये स्थानों में ही लागू करेगी। क्या इन स्थानों का चुनाव अन्तिम रूप से किया जा चुका है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** जी नहीं, उनका चुनाव अभी नहीं किया गया है। इस मामले का उल्लेख चावल समिति को किया गया था जिसकी बैठक कटक में हुई थी।

†**श्री त्यागी :** कोरियाई तरीके के बारे में क्या विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं बराबर प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दे सकता किन्तु माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में ऐसी भावना काम कर रही है कि चावल तथा अन्य छोटी-छोटी बातों के मामले में भी हम दूसरे देशों का अनुसरण करते जा रहे हैं और हम अपने देश की कोई चीज़ दूसरों को नहीं देते।

†**श्री अ० प्र० जैन :** प्रमुख क्षेत्र जहां से हमारा लाभ हो सकता है वह हमारा अपना ही देश है किन्तु कुछ देशों ने किन्हीं दिशाओं में प्रगति कर ली है इस कारण हम उससे भी लाभ उठाना चाहते हैं। हम जापान, चीन अथवा संसार के किसी अन्य देश में से कोई भी चीज़ आंखें बन्द कर नहीं सीखना चाहते।

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ समय बीता जबकि फसल आयोजना में सलेम के किसान ने लगभग ८००० पाउण्ड चावल पैदा किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

## शिक्षित बेकारों के लिये यातायात सम्बन्धी सहकारी समितियां

†*५७२. पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री राम कृष्ण :
श्री उस्मान अली खां :
श्री रामी रेड्डी :
श्री कोडियान :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विमल घोष :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेकारों के लिये यातायात संबंधी सहकारी समितियों की स्थापना करने के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या योजना को कोई ठोस रूप दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पश्चिमी बंगाल और केरल की सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन ने समितियों में कुछ रूप-भेद करके उनकी स्थापना करना स्वीकार कर लिया है । केन्द्रीय सरकार से उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता के ब्योरे की प्रतीक्षा की जा रही है । बम्बई और मद्रास की सरकारों ने इस योजना पर अपनी प्रतिक्रिया अभी नहीं बताई है ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त तीन राज्यों में सहकारी समितियां चलाने के लिये व्यक्तियों का चुनाव और उनका प्रशिक्षण, जो योजना का प्रथम चरण है, आशा है आगामी दो-तीन मास में शुरू हो जायेगा जब तक उनका प्रशिक्षण नहीं होगा, अन्य ब्योरों का निर्णय संबंधित राज्य सरकारें करेंगी यदि कार्य के अन्त तक शेष दो राज्यों के पास से कोई उत्तर न मिला, तो सहकारी एकक अन्य राज्यों को आवंटित कर दिये जायेंगे ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : प्रशिक्षण केन्द्र कहां पर स्थापित होगा और उसमें कितने तथा किन-किन श्रेणी के व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : इस सोसाइटी की स्थापना के लिये स्थान का चुनाव करना राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर करता है । प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था उनके परामर्श से की जायेगी ।

†**श्री उस्मान अली खां** : क्या सरकार को भूतपूर्व सैनिकों की यातायात संबंधी सहकारी समिति का पता है और क्या वे सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : माननीय सदस्य ने भूतपूर्व सैनिकों की जिस समिति का उल्लेख किया है उसके बारे में और आगे जानकारी मुझे नहीं है । किन्तु मैं इसकी जांच करूंगा कि वे किस प्रकार कार्य कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामी रेड्डी** : इसका प्रमुख उद्देश्य अधिक मोटर गाड़ियां चलाकर शिक्षित बेकारों को काम दिलाना है। रेलवे मंत्री ने उस दिन कहा था कि सड़क यातायात से उन्हें काफी प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे मंत्री के इस कथन पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : सहकारी समितियों की सिफारिश करने में योजना आयोग के सामने दो पहलू थे——एक तो शिक्षित बेकारों को काम दिलाना और दूसरा सड़क यातायात का विकास करना। रेलवे मंत्रालय के सामने इस बारे में और कोई प्रतिपक्षी नहीं है।

†**श्री कोडियान** : क्या सरकार को उन शिक्षित बेकारों की संख्या के बारे में पता है जो इस योजना में आ जायेंगे।

†**श्री राज बहादुर** : ये सहकारी एकक जिनकी हम स्थापना करना चाहते हैं ; प्रयोगात्मक ढंग के होंगे। ये अगुआकारी योजनायें हैं और प्रत्येक एकक के लिये ५० व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या संबंधित राज्य सरकारों ने इन योजनाओं द्वारा काम दिलाने की सम्भावनाओं का सर्वेक्षण किया है ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं, प्रत्येक सोसाइटी में ५० बेकार शिक्षितों को काम मिल सकेगा।

†**श्री तंगामणि** : मद्रास राज्य के लिये कितनी अगुआकारी योजनायें बनाने का विचार है ? प्रत्येक एकक द्वारा कितनी बसें चलाई जायेंगी तथा केन्द्र द्वारा प्रत्येक अगुआकारी योजना को कितनी सहायता दी जायेंगी।

†**श्री राज बहादुर** : इनमें से एक सहकारी समिति हमने मद्रास सरकार को दे दी है। अभी हमें उसके पास से कोई उत्तर नहीं मिला है। यह प्रस्ताव अगस्त, १९५८ में किया गया था। प्रत्येक एकक को १० मोटर गाड़ियां दी जायेंगी।

†**श्री दासप्पा** : इस प्रकार के शिक्षित बेकारों की श्रेणी में लाने के लिये हम किस प्रकार की शिक्षा की आशा रखते हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : हमने सलाह दी है कि इन सहकारी समिति के सदस्य जहां तक संभव हो मैट्रीक्युलेट हों।

†**अध्यक्ष महोदय** : और ड्राइवरों के लिये ?

†**श्री राज बहादुर** : उन्हें मैनेजर, क्लर्क, स्टोरकीपर से लेकर ड्राइवर, मिकेनिक आदि सभी प्रकार का काम करना होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये लोग मज़दूर होंगे। ये लोग वे मालिक नहीं होंगे जो काम करवायेंगे। क्या आशा है कि मैट्रिक्यूलेट ड्राइवरों के लिये उसमें जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : सहकारी समिति में शिक्षित बेकार होंगे। वे मैनेजर, क्लर्क, स्टोर-कीपर तथा ड्राइवर आदि का काम करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

**अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था**

†*५७३. **श्री वें० प० नायर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली की इमारत बनवाने के लिये वास्तुशिल्पियों अथवा परामर्शदाताओं की एक ब्रिटिश फर्म को सौंपा कार्य रद्द कर दिया है ;

(ख) फर्म को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ग) सौंपे कार्य को रद्द कर देने का क्या कारण है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां।

(ख) १०,६५,५६१.३१ न० पै० ।

(ग) सौंपे कार्य को वापस लेने का कारण निर्माण कार्य में मितव्ययता और शीघ्रता करना है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या १० लाख के आस-पास भुगतान करने के पश्चात् फर्म ने जिस काम को उसे राशि दी गई थी अपना सारा काम पूरा कर दिया था ?

†**श्री करमरकर :** जी हां । उसने ३ लाख रुपये के आस-पास की और मांग की है जिसके बारे में अन्तिम निर्णय विभागीय बैठक में किया जा रहा है ।

†**श्री वें० प० नायर :** कुल निर्माण लागत में से इमारत के बनाने पर कितना प्रतिशत व्यय हुआ था ? क्या भारतीय वास्तुशिल्पिकों से भी परामर्श लिया गया था ?

†**श्री करमरकर :** वास्तुकला संबंधी योजनाओं के लिये हुई एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर इन वास्तुशिल्पियों का चुनाव किया गया था । इस प्रकार उनसे परामर्श लिया गया था । सारी मांगें लगभग एक पृष्ठ में थीं । संक्षेप में पहली मांग यह थी कि ५०,००० रुपयों का तत्काल भुगतान किया जाये यह भुगतान समायोजित किया जाने वाला होगा, दूसरी मांग यह थी कि १७२ लाख रुपये की आवंटित राशि में से, जो इमारत का मूल प्राक्कलन था, १¹/₄ प्रतिशत का भुगतान कर लिया जाये । तीसरी मांग यह थी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिये परियोजना प्राक्कलन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत करने पर, प्राक्कलन के आधार पर ³/₄ प्रतिशत भुगतान और किया जाये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राक्कलन पर आधारित प्रत्येक १/८" कुशल ड्राइंग आदि पर व्यय के रूप में २ प्रतिशत तथा शेष १ प्रतिशत के हिसाब से अनुपात : भुगतान किया जाये । जैसे जैसे काम होता जायेगा वास्तविक व्यय का भुगतान अर्द्ध वार्षिक किश्तों में होता जायेगा ।

†**श्री वें० प० नायर :** शिल्पिक डिजाइन के लिये विशेष रूप से कितना भुगतान किया गया ? इसमें विदेशी मुद्रा में कितना भुगतान किया गया था ?

†**श्री करमरकर :** जहां तक शिल्पियों का संबंध है, भुगतान रुपयों में किया गया था ।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या यह सच है कि प्रतिशत के आधार से, जिसके हिसाब से शिल्पी को भुगतान किया गया था, सम्पूर्ण परियोजना की लागत में काफी वृद्धि हो गई, क्या भारत सरकार के सामने निर्माण संबंधी कोई और इस प्रकार का उदाहरण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर :** मैं नहीं कह सकता कि इस कमीशन के भुगतान से प्राक्कलन में वृद्धि होती जायेगी ? प्राक्कलन अन्य अनेक कारणों से भी बढ़ गया था। इसके समान कोई दूसरा उदाहरण ढूंढ़ निकालने की दृष्टि से मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है। इस कारण मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** सौंपे कार्य को रद्द कर देने से क्या सरकार द्वारा ब्रिटिश फर्म को अधिक भुगतान कर देने से उसे घाटा नहीं हुआ है ?

†**श्री करमरकर :** हमने देय राशि से कुछ कम का ही भुगतान किया है। अतः अधिक भुगतान का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जैसा कि मैं कह चुका हूं मितव्ययता की दृष्टि से करार भंग कर दिया गया है।

†**श्री दासप्पा :** पत्र व्यवहार अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था द्वारा सीधे किया गया था अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा ?

†**श्री करमरकर :** यह करार स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित शिल्पियों के बीच था। स्वास्थ्य मंत्रालय इस मामले को देख रहा था। यह १९५३ के आरम्भ अथवा १९५४ में किया गया था। करार भंग पिछले वर्ष किया गया।

†**श्री दासप्पा :** क्या अन्य मंत्रालय से भी परामर्श लिया गया था ?

†**श्री करमरकर :** किसी भी मामले का निबटारा करने से पहले हम सभी मंत्रालयों में पूरी निष्ठा रखते हैं। इस मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संबंधित मंत्रालय था, इस कारण प्रत्येक बैठक में वहां के प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। इस प्रकार हम कार्य करते हैं।

†**श्री त्यागी :** क्या इस फर्म को इमारत की वास्तुकला संबंधी सुन्दरता के बारे में परामर्श लेने का काम सौंपा गया था अथवा चिकित्सा टेक्निकल परामर्श देने का ?

†**श्री करमरकर :** यह अस्पताल और चिकित्सा संस्था है। चूंकि यह अस्पताल भी था इस कारण चिकित्सा संबंधी पहलू पर भी ध्यान रखा गया था ; चूंकि यह इमारत को इस कारण वास्तुकला को भी ध्यान में रखा गया था ; चूंकि वह आलीशान बनानी थी इस कारण सुन्दरता को भी ध्यान में रखा गया था।

†**श्री त्यागी :** अब चूंकि करार भंग कर दिया गया है, क्या उनसे परामर्श न मिल सकने के कारण इमारत को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी।

†**श्री करमरकर :** निस्सन्देह नहीं।

†**श्री कोडियान :** इस सौंपे कार्य को रद्द कर देने के पश्चात् यह काम किसी और फर्म को सौंप दिया गया है, और नये वास्तुशिल्पियों ने कितना शुल्क मांगा है।

†**श्री करमरकर :** इसका प्रभार एक उपसमिति के हाथों में है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने हमें अपने कुछ अधिकारी हमें दे रखे हैं जो इस बात का निश्चय करेंगे कि क्या इस इमारत को ठेकेदारों के द्वारा थोड़ा-थोड़ा बनवाना वांछनीय होगा। मुझे कोई वैयक्तिक जानकारी नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री **जोकीम श्राल्वा** : इमारत बनवाने में विदेशी सहायता क्यों ली गई थी ? क्या इस कारण कि परियोजना के लिये विदेशी चन्दा मिला था ? जब कि देश के भवन निर्माण के लिये काफी अच्छे और योग्य वास्तुशिल्पी मौजूद हैं, फिर विदेशी सहायता क्यों ली गई थी ?

†**श्री करमरकर** : १९५३ में जो मूल प्रतियोगिता हुई थी वह उन सभी फर्मों के लिये थी, जिनके कार्यालय भारत में थे । उन प्रतियोगियों में इस फर्म का डिजाइन सब से बढ़िया घोषित किया गया । अतः बाद में यह कार्य उसे ही सौंपा गया था ।

†**श्री त्यागी** : मुझे आश्चर्य है कि संसद् ने यह महसूस कर लिया कि वह विदेशी परामर्शदाताओं के विशेष पक्ष में नहीं है ।

**यमुना जल विद्युत परियोजना**

+

†*५७४. { **श्री स० म० बनर्जी** :
**श्री भक्त दर्शन** :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना जल विद्युत् परियोजना की दूसरी प्रावस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही पूरी हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं हुआ है । इसलिये अभी यह बताना बड़ा कठिन है कि क्या उसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही पूरा किया जा सकेगा या नहीं ।

(ख) और (ग). उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सूचना दी है कि योजना का सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान कार्य पूरा हो चुका है और परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है ।

परियोजना प्रारम्भ उसी समय की जा सकती है जब कि पहले केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग उसकी जांच कर ले, सिंचाई और विद्युत् परियोजना सम्बन्धी प्रविधिक मंत्रणा समिति भी उस पर विचार कर ले और योजना आयोग द्वारा उसे कार्यान्विति के लिये अन्तिम रूप से मंजूरी मिल जाये ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी और उसमें से कितनी राशि केन्द्र द्वारा दी जायेगी ।

†**श्री हाथी** : अभी तक के अनुमान के अनुसार उस पर कुल लगभग १,०८१.०३ लाख रुपयों की लागत आयेगी । परियोजना की मंजूरी मिल जाने के उपरान्त ही वित्तीय पक्ष पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** इस परियोजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 'कोर' से निकाल क्यों दिया गया है और क्या उसके तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की कोई आशा है ?

†**श्री हाथी :** इस परियोजना को योजना के 'कोर' से निकालने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इसे तो अभी मंजूरी ही नहीं मिली है ।

**श्री भक्त दर्शन :** मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय हो जायेगा और क्या यह आशा की जा सकती है कि द्वितीय आयोजन की समाप्ति तक इसका काम कम से कम शुरू तो कर दिया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** यह तो उत्तर प्रदेश सरकार से अन्तिम प्रतिवेदन आने पर निर्भर करता है ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह बताया था कि उसे अनुसन्धान पूरा करने या इस परियोजना को प्रारम्भ करने से किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

†**श्री हाथी :** जी नहीं । राज्य सरकार ने किसी भी कठिनाई के बारे में हमें सूचित नहीं किया है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या इस परियोजना को योजना की 'कोर' में सम्मिलित किया जाये या नहीं । उत्तर प्रदेश की तीन परियोजनाओं में से केवल एक को ही 'कोर' में सम्मिलित किया गया है । अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे 'कोर' में सम्मिलित किया जायेगा ?

†**श्री हाथी :** इस सम्बन्ध में इसी समय नहीं बताया जा सकता, परन्तु हां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसकी व्यवस्था अवश्य कर दी गयी है ।

**श्री भक्त दर्शन :** इस योजना के दूसरे चरण यानी दूसरी स्टेज के बारे में बातचीत की जा रही है । तो क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पहला स्टेज बिल्कुल समाप्त हो गया है या अभी उसके सम्बन्ध में कुछ किये जाने की आशा की जा सकती है ?

†**श्री हाथी :** प्रथम चरण तो स्थगित कर दिया गया है, परन्तु उसके बदले में केन्द्रीय सरकार ने हरदुआगंज में एक अन्य विद्युत कारखाने के लिये मंजूरी दे दी है । इस कारखाने से ३०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी । उसके लिये वित्तीय सहायता तथा विदेशी मुद्रा दी जा रही है ।

**श्री भक्त दर्शन :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । मैं यह जानना चाहता था कि उसको समाप्त कर दिया गया है या भविष्य में, पांच दस साल बाद भी उसके लिये जाने की उम्मीद की जा सकती है ।

†**श्री हाथी :** जैसा कि मैं ने कहा है, उसे स्थगित कर दिया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

**सैलम-बंगलौर रेल सम्पर्क**

†*५७५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम-बंगलौर रेल सम्पर्क के सम्बन्ध में इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के प्रतिवेदन पर विचार किर लिया गया है ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड स्थान सम्बन्धी एक अन्तिम सर्वेक्षण करने के बारे में आर्डर देने का विचार रखता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस विलम्ब का क्या कारण है क्योंकि रिपोर्ट प्राप्त हुए तो आठ नौ मास गुजर गये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह मामला इतना सरल नहीं है क्योंकि इसमें तीन वैकल्पिक मार्ग हैं। फिर बड़ी लाइन और मीटर लाइन के सम्बन्ध में भी निर्णय करना है। इसीलिये इस पर इतना समय लग रहा है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वे तीन वैकल्पिक मार्ग कौन कौन से हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वे तीन मार्ग अलग अलग शहरों की ओर से हो कर जाते हैं। एक अन्नाकल की ओर से दूसरा सरजापुर की ओर से और तीसरा वयानाप्पा हाल्ली की ओर से है।

†**श्री नरसिंहन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह रेल सम्पर्क और टूटी हुई लाइनों का सुधार एक ही एलाइन्मेंट में किया जा रहा है, टूटी हुई लाइनों के वर्तमान भाग का पुस्त-मूल्य क्या है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है। बात यह है कि पुराना एम्बैंकमेंट अभी तक वहां है और पुरानी रेलवे की इमारतें भी वहां है। परन्तु पुस्तमूल्य के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सरकार को स्मरण है कि २६ फरवरी, १९५३ को श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जब वे रेलवे मंत्री थे, रेलवे बजट के समय उत्तर देते समय यह आश्वासन दिया था कि

> "............मोरापुर-होसुर, तिरुपातूर-कृष्णगिरी, अकबर पुर-टांडा तथा माधोगंज-औदपुर की लाइनें दूसरी कोटि में आती हैं। जिस समय उन लाइनों का काम पूरा हो जायगा जिन्हें इस समय प्रारम्भ किया हुआ है, उस समय उक्त लाइनों के सुधार की बात केन्द्रीय परिवहन वोर्ड के सामने रखी जायेगी।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हां, हमें अच्छी प्रकार से स्मरण है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सैलम में एक अल्यूमिनियम कारखाना स्थापित किया जा रहा है और मैंगनीज़ तथा बौक्साइट की खानों का भी विकास किया जा रहा है, क्या रेलवे बोर्ड इस रिपोर्ट पर जल्दी से विचार करने की कृपा करेगा?

†**श्री सें० वें० राजस्वामी** : इन सभी बातों कों ध्यान में रखा गया है।

†**श्री दासप्पा** : क्या इस सम्बन्ध में स्पष्टतया यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के पूरा होते ही इस लाइन का काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : इंजीनियरिंग सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण पर भी विचार करना है और फिर वित्तीय समस्याओं पर भी विचार करना होगा।

†**श्री दासप्पा** : इस लाइन का रेलवे मंत्री के आयव्ययक भाषण में उल्लेख क्यों नहीं किया गया है?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: ऐसी बहुत सी लाइनें हैं जिनके सम्बन्ध में वहां के लोग तो उत्सुक हैं; परन्तु फिर भी उन्हें आयव्ययक प्राक्कलनों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

†**श्री तंगामणि** : बंगलौर-सैलम सम्पर्क लाइन को यदि मीटर लाइन का बनाया जाये तो वह पूना और त्रिवेन्द्रम में सम्पर्क स्थापित कर सकेगी। यदि वह लाइन किसी और प्रकार की लाइन हुई तो वह सैलम को न ही केवल मेंगानीज खानों से मिलायेंगी अपितु लिगनाइट के स्थान और निवेली से भी सम्पर्क स्थापित कर सकेगी। परन्तु इस बात को ध्यान....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो केवल सुझाव मात्र दिया जा रहा है।

†**श्री तंगामणि** : आठ महीनों का उतना अधिक विलम्ब क्यों हो गया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर वे पहले ही दे चुके हैं।

### फीरोज़पुर डिवीजन में रेल के माल-डिब्बे

+

†*५७७. { **श्री वासुदेवन् नायर** :
**श्री नागी रेड्डी** :
**श्री ई० मधुसूदन राव** :
**श्री बैरो** : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीरोजपुर डिवीजन के विभिन्न स्टेशनों पर नवम्बर, १९५८ से ६०० रेल माल डिब्बे बेकार खड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारण जानने के लिये कोई जांच की गयी है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) यह सच है कि नवम्बर और दिसम्बर, १६५८ में फीरोज़पुर डिवीजन में प्रतिदिन लगभग ६०० अतिरिक्त माल डिब्बे फालतू रहते थे।

(ख) जी, हां।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : इन डिब्बों को चालू रखने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : ऐसा तो विशेष परिस्थितियों के कारण हुआ था। सामान्यतया फीरोजपुर की ओर अन्तरिक यातायात बाह्य यातायात की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। इस समय कोई भी फालतू डिब्बा नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इसका वास्तविक कारण क्या था?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वह मन्दी का समय था। सामान्यतया खाली डिब्बों को पूर्व रेलवे की ओर भेज दिया जाता है परन्तु उस समय पूर्व रेलवे में पहले से ही फालतू डिब्बे थे, इसलिये ये डिब्बे वहां न भेजे जा सके।

†**श्री बैरो** : क्या फालतू डिब्बों का यह कारण था कि सड़क परिवहन से मुकाबला प्रारम्भ हो गया था?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं नहीं समझता कि इसका कारण यह था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस अवधि में उत्तर रेलवे के किसी अन्य डिवीजन से माल डिब्बों के लिये मांग आयी थी? यदि हां, तो वे डिब्बे वहां क्यों नहीं भेजे गये थे?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जैसा कि मैंने बताया है, सामान्यतया खाली डिब्बे पूर्व रेलवे में भेज दिये जाते हैं, परन्तु इस समय वहां से कोई मांग नहीं आयी थी, इसलिये उन्हें वहां नहीं भेजा गया था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या नवम्बर, दिसम्बर, १६५८ में विभिन्न स्टेशनों से माल भेजने पर लगी हुई बन्दिशों को हटा दिया गया था?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी हां, बाद में सभी प्रतिबन्ध हटा दिये गये थे।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह पूछना चाहती हैं कि क्या मन्दी की उस अवधि में प्रतिबन्ध हटा दिये गये थे?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बाद में सभी डिब्बों का उपयोग किया गया था। केवल इन्हीं दोनों महीनों में ही हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा था, अर्थात लखनऊ डिवीजन में लखनऊ या मुगलसराय के यार्ड में एक गाड़ी पटड़ी से उतर गयी थी और इसीलिये उन डिब्बों का उपयोग नहीं किया जा सका था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय उपमंत्री ने स्पष्टतया यह कहा था कि डिब्बों के फालतू होने का मुख्य कारण यह था कि वह मन्दी का समय था और माल-डिब्बों के लिये कहीं से

---

†मूल अंग्रेजी में

भी मांग नहीं आयी थी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस बात को देखते हुए कि वह मन्दी का समय था, विभिन्न स्टेशनों से माल भिजवाने के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्ध लगे हुए थे, उन्हें हटा दिया गया था ताकि माल डिब्बों का अधिक उपयोग हो सकता ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जहां तक बुकिंग पर लगाये जाने वाले प्रतिबन्धों का सम्बन्ध है, उसके कई कारण हैं। उसमें मुख्य बात यह देखी जाती है कि जिस स्टेशन के लिये सामान बुक किया जाता है उसकी लाइन की क्षमता कितनी है। हो सकता है कि किसी समय किसी विशेष डिवीजन में कुछ खाली डिब्बे बच जायें, परन्तु यह भी संभव हो सकता है कि जिस स्टेशन पर सामान भेजना है वहां लाइन की क्षमता की कमी के कारण कुछ प्रतिबन्ध हों। ऐसी स्थिति में प्रतिबन्ध हटाना संभव नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब अगला प्रश्न। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और अधिक चर्चा करना चाहें तो मैं उसके किसी भी दिन आधे घण्टे का समय देने के लिये तैयार हूँ।

**नई दिल्ली में श्रमिकों के लिये मकान**

*५८१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में इमारतों के निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों को निवास-स्थान की सुविधायें प्रदान करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें दी गई जमीन और सुविधायें का ब्यौरा क्या है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों में से कुछ लोगों को, जो इस समय अशोक होटल क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बसे हुए हैं, फिर से बसाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका ने किचनर रोड और रिंग रोड के जंकशन पर लगभग १४.५ एकड़ भूमि का विकास कर लिया है। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने अभी तक कोई दूसरी योजना नहीं अपनायी है।

चीफ कमिशनर की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय द्वारा एक समिति बनायी गयी थी जिसे दिल्ली के नगर क्षेत्रों में श्रमिकों की बस्तियों, झोंपड़ियों और झुग्गियों की वृद्धि तथा मौजूदगी की समस्या पर विचार करने तथा इसको हल करने सम्बन्धी ठोस सुझाव प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था और साथ ही समुचित स्थानों पर सुझाव पेश करने को कहा गया था जहां उचित रूप से तैयार की गयी योजना के अनुसार इन अनधिकृत ढांचों में रहने वाले लोगों को हटाया जा सके।

इस समिति की रिपोर्ट अभी हाल में ही प्राप्त हुई है और वह सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में आगामी कार्यवाही उक्त समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रख कर की जायेगी।

**श्री नवल प्रभाकर** : मंत्री महोदय ने जो अभी कहा कि किचनर रोड के ऊपर भूमि ली गई है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस भूमि के ऊपर नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी इस तरह के कितने श्रमिकों को बसायेगी ?

**श्री करमरकर** : शायद कोई ६००, ७०० श्रमिकों को बसाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**राजा महेन्द्र प्रताप** : सरकार को यह बात मालूम होगी कि १६ दिसम्बर सन् १९५८ को मैं एक बहुत बड़ा जलूस इन्हीं वर्कर्स का, करीब २५०० मज़दूरों का प्रोसेशन लेकर आया था और उन्होंने उस मौके पर अपनी कुछ डिमांडस दी थीं, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनके बारे में क्या फैसला किया है ?

†**श्री करमरकर** : प्रोसेशन किस बारे में था ?

**राजा महेन्द्र प्रताप** : १६ दिसम्बर सन् १९५८ को एक बहुत बड़ा जलूस इन्हीं वर्कर्स का लेकर मैं पार्लियामेंट के दरवाजे पर आया था। उस समय उन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स पेश की थीं। मैं जानना चाहता हूं कि वे डिमांड्स मिनिस्टर साहब तक पहुंची कि नहीं अगर पहुंची तो उनके बारे में क्या फैसला किया गया ?

**श्री करमरकर** : मेरे तक तो नहीं आई पता नहीं जनाब ने उनको कहां भिजवाया ?

**श्री नवल प्रभाकर** : रीडिंग रोड के पास जो भंगी बस्ती है और वहां पर जो बहुत सारे इस तरह के मज़दूर पड़े हुए हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार क्या सोच रही है और क्या उनको भी वहीं किचनर रोड में जगह दी जायगी ?

**श्री करमरकर** : किचनर रोड में सब जगह आबादी नहीं बसा सकते। इसके बारे में समिति को रिपोर्ट आ चुकी है और इस समय वह सरकार के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही उक्त समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रख कर की जायेगी और उस रिपोर्ट पर विचार पूरा हो जाने के बाद जहां मुनासिब समझेंगे वहां बसाया जायेगा।

## रेलों पर भिखारी

†*५८३. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों पर भिखारियों की रोकथाम करने के सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या इस समस्या को हल करने के लिये राज्य सरकारों का सहयोग मांगा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री ( श्री शाहनवाज खां )** : (क) (१) स्टेशनों पर, विशेषतः बड़े स्टेशनों पर, रेलवे पुलिस की सहायता से विशेष आन्दोलन चलाया गया है।

(२) भिखारियों को पकड़ने के लिये विशेष दल स्थापित किये गये हैं, जिनमें यात्रा टिकट परीक्षक और रेलवे सुरक्षा बल के सैनिक सम्मिलित हैं।

(३) रेलवे के क्षेत्र में भिखारियों को दाखिल होने से रोकने की ओर रेलवे कर्मचारी और रेलवे सुरक्षा बल विशेष रूप से ध्यान देते हैं।

(४) पोस्टरों और लाउड स्पीकरों द्वारा जनता से इस काम के लिये सहयोग मांगा जाता है और यह निवेदन किया जाता है कि वे भिखारियों को भिक्षा न दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) एक दीर्घकालीन कार्यवाही के रूप में पुराने सवारी डिब्बों के स्थान पर जिनमें कि डिब्बों के बाहिर पूरे पायदान होते थे, अब नये प्रकार के डिब्बे लगाये जा र हैं जिनमें केवल द्वार के पास ही पायदान होता है । यह इस दृष्टि से किया जा रहा है कि पहले भिखारी उस लम्बे पायदान से होते हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में चले जाते थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकारों ने यह सहयोग दिया है कि उन्होंने भिखारी गृह बना दिये हैं, भिक्षा-वृत्ति के नियंत्रण के लिये कानून बना दिया है और वे भिखारियों की समस्या को हल करने के लिये रेलवे पुलिस को सहयोग प्रदान कर रही हैं ।

†**श्री वाजपेयी** :. १९५७–५८ में कितने भिखारियों को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमें चलाये गये थे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : १९५७ में १०,१४,२२४ भिखारी गिरफ्तार किये गये थे, और १९५८–५९ में ९,४४,११४ भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था । यह ज्ञात नहीं है कि कितनों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये थे ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : भिखारियों के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है कि......

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार से प्रश्न पूछते रहेंगे तो मुझे विवश होकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : अन्य सदस्य इस तरह से प्रश्न पूछते हैं लेकिन आप मेरे ही बोलने पर एतराज करते हैं । मैं इस पर आपत्ति करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि वे बीच में बाधा न डालें । जब भी मेरा ध्यान उनकी ओर आकृष्ट होगा, मैं उन्हें प्रश्न पूछने के लिये अवश्य अवसर दूंगा । वे बिना अपनी पारी के स्वयं ही उठ कर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते । यह सत्य है कि वे वयोवृद्ध हैं, परन्तु मैं उन्हें केवल इसी आधार पर कोई प्राथमिकता नहीं दे सकता ।

†**श्री पाणिग्रही** : जिन ९ लाख भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया है ? क्या उन्हें राज्यों या भिखारी गृहों में भेज दिया गया है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : देश में इतने अधिक भिखारी गृह नहीं है कि उनमें सभी भिखारियों को स्थान दिया जा सके । सामान्यतया उन्हें गिरफ्तार करने के बाद रेलों से बाहिर निकाल कर छोड़ दिया जाता है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : मैं तो केवल यही पूछना चाहता हूं कि इन भिखारियों के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ? उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें तंग करना अच्छा नहीं है । उनके लिये कोई व्यवस्था करना आवश्यक है ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं माननीय सदस्य के विचारों से पूर्णतया सहमत हूँ । परन्तु भिखारियों के भोजन तथा निवास का प्रबन्ध करना रेलवे मंत्रालय का उत्तरदायित्व नहीं है । राज्य सरकारें उसके लिये कुछ भिखारी गृह बनवा रहीं हैं और उन्हें रोजगार भी दे रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : अभी तक कुल कितने भिखारी गृह खोले जा चुके हैं और उनमें कितने भिखारियों को दाखिल किया गया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : एक पहले अवसर पर हमें यह बताया गया था कि सितम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाली तिमाही में २.६३ लाख भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि पंच सूत्री कार्यवाहियों करने के बाद सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली तिमाही में कितने भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं।

**वन गवेषणा केन्द्र**

†*५८५. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९४ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी ज़ोन में वन गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की योजना के लिये मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोयम्बटूर में गवेषणा केन्द्र का कार्य प्रारम्भ हो गया है ; और

(घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इन दोनों में से प्रत्येक पर कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ग) अभी नहीं।

(घ) बंगलौर और कोयम्बटूर के दोनों केन्द्रों पर २५ लाख रुपये खर्च करने का विचार है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : यह कहा गया है कि बंगलौर में वन गवेषणा प्रयोगशाला चलाने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के प्रथम दो वर्षों में आने वाले खर्च की कुल २५ लाख रुपये की राशि के अन्दर ही व्यवस्था की जायेगी। उन दो वर्षों में वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह बात विवरण में बता दी गई है।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : उसके लिए २५ लाख रुपये निर्धारित किये गये थे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : विवरण में बता दिया गया है कि १९५९–६० में बंगलौर केन्द्र पर ६,८३,२५० रुपयों का खर्च आयेगा। १९५८–५९ में ७०,००० रुपया खर्च आया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५६–५७ में वास्तविक खर्च २,४८,४१२ रुपये खर्च किये गये थे और १९५७–५८ में ४२,००० रुपये खर्च किये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री यह सभी आंकड़े विवरण से पढ़ कर सुना रहे हैं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी नहीं, कुछ एक आंकडे मैं अपनी फाइल से भी पढ़ कर सुना रहा हूं ।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : कोयम्बटूर के गवेषणा केन्द्र में गवेषणा कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : अब उसके लिये मन्जूरी मिल गई है, अतः उसका कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

†**श्री दासप्पा** : क्या केन्द्र का चार्ज लेने के उपरान्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और निबन्धनों के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है ; यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस योजना के लिये अभी अभी तो मन्जूरी मिली है इसलिये इन सभी बातों पर विचार करने में कुछ समय लग जाना स्वाभाविक है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या कोयम्बटूर वन गवेषणा संस्था को भी देहरादून वन गवेषणा संस्था के समान ऊंचे दर्जे की संस्था बना दिया जायेगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं इस सम्बन्ध में तो कुछ नहीं कह सकता परन्तु यह तो स्पष्ट है कि इस संस्था में भी की जाने वाली गवेषणा उतने ही ऊंचे दर्जे की होगी जितनी देहरादून में की जाने वाली गवेषणा है ।

## गंडक नदी पर पुल

†*५८६. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाने के उद्देश्य से बिहार के सारन जिले के गुथनी नामक स्थान पर गंडक नदी पर एक पुल बनाने के सम्बन्ध में प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्रस्थापना मंजूर की गई थी, उस के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उसके लिये निर्माण कार्य को बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के सहयोग से प्रारम्भ किया जाना था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पुल के निर्माण में विलम्ब के क्या क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) बिहार सरकार ने लगभग १३·०६ लाख रुपयों का एक ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किया है, उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) निर्माण कार्य बिहार लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें १·५ लाख रुपया अदा करेगी और वह पुल के लिये स्थान तथा उसके डिजाइन के लिये मंजूरी देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५४ में जो मूल प्राक्कलन तैयार किया गया था, उस में कुछ संशोधन तैयार करने पड़ गये थे और फिर इस सम्बन्ध में निर्णय करने में भी कुछ समय लग गया है कि खर्च का कितना भाग बिहार सरकार वहन करेगी और कितना उत्तर प्रदेश सरकार।

संशोधित प्राक्कलन दिसम्बर, १९५८ में प्राप्त हुआ था और इस समय उस पर प्राविधिक दृष्टि से विचार किया जा रहा है।

†**श्री झूलन सिंह** : क्या इस पुल के महत्व को इस दृष्टि से महसूस किया गया है कि यह दोनों राज्यों में सम्पर्क स्थापित करेगा और अन्तर्राज्यीय संचार में सहायक सिद्ध होगा, और क्या इस दृष्टि से पुल के निर्माण के कार्य को गति देने को सम्बन्ध में प्रयत्न किये जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर** : पुल के इस महत्व को अच्छी प्रकार से महसूस किया गया है और इसीलिये हम इसमें इतनी अधिक रुचि ले रहे हैं, परन्तु फिर भी वित्तीय तथा प्रविधिक मामलों पर तो विचार करना ही पड़ता है।

## नागार्जुन सागर परियोजना

†*५८८. { **श्री दे० वें० राव** :
**श्री नागी रेड्डी** :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से यह प्रार्थना की है कि नागार्जुन सागर परियोजना के लिये वित्तीय सहायता में वृद्धि कर दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के लिये निवेदन किया गया है ; और

(ग) केन्द्र द्वारा कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ के वर्षों के लिये क्रमशः ३, ५.५ और ७ करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्रमशः ५.८ और ८.५ करोड़ रुपयों की मांग की थी।

(ग) केन्द्र ने १९५६–५७ में ३.९६ करोड़ रुपयों, १९५७–५८ में ७ करोड़ रुपयों और १९५८–५९ में ७ करोड़ रुपयों की ऋण सम्बन्धी सहायता दी है। इस प्रकार से कुल १७.९६ करोड़ रुपये दिये गये हैं जबकि मूल रूप से १५.५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था थी।

†**श्री दे० वें० राव** : इस दृष्टि से कि परियोजना के लिये अधिक धन की आवश्यकता है और विदेशी विनिमय की जरूरत नहीं है केन्द्रीय सरकार परियोजना की कार्यान्विति के लिये अपेक्षित धन क्यों नहीं दे रही ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हाथी :** समूचे वित्तीय साधनों का ध्यान रख कर वैत्तिक सहायता दी जा रही है। यह केवल विदेशी विनिमय का ही प्रश्न नहीं है अपितु देश के साधनों का भी प्रश्न है।

दूसरी बात यह है कि हमने द्वितीय योजना में ३२.३ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है। इसमें से १७.९६ करोड़ रु० व्यय हो चुका है और शेष १४ करोड़ रु० अगले दो वर्षों में व्यय होना है।

†**श्री दे० वें० राव :** इस दृष्टि से कि इस गति से परियोजना में अधिक समय लगेगा क्या यह आवश्यक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अधिक धन दे ?

†**श्री हाथी** : योजना का अर्थ है कि हम परियोजना का निर्माण उपलब्ध साधनानुसार योजनाबद्ध करते हैं। यह नागार्जुनसागर परियोजना इस प्रकार योजनाबद्ध की गई है कि इसकी प्रथम स्थिति १९६३–६४ तक पूरी हो जायेगी एवं द्वितीय योजना काल में परियोजना के लिये ३२.३ करोड़ रु० का आवंटन किया गया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस दृष्टि से कि इस परियोजना के लिये दी गई राशि का पूरा प्रयोग हो गया है, क्या अधिक सहायता दे कर इस परियोजना की पूर्ति के लक्ष्य का पुनरीक्षण नहीं हो सकता ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में हम यथासम्भव सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने ३ करोड़ रुपये के स्थान पर ३.९६ करोड़ रु० दिये ; हमने ५.५ करोड़ रु० के स्थान पर ७ करोड़ रु० का उपबन्ध किया। अतः यदि कुछ अतिरेक होता है तो वह परियोजना की प्रगति देख कर दे रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : १९५९–६० आयव्ययक वर्ष के लिये कितना उपबन्ध है ?

†**श्री हाथी** : यह बाद में विदित होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या यह कराधान है या क्या है ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि धन के अभाव व राज्य सरकारों के भाग न लेने से कार्य रोका जा रहा है ?

†**श्री हाथी** : कार्य बन्द नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह बड़ी अच्छी तरह चल रहा है।

†**श्री मं० र० कृष्ण** : क्या भारत सरकार आन्ध्र सरकार द्वारा अधिक राशि की प्रार्थना करते समय बताये गये कारणों से सन्तुष्ट है ?

†**श्री हाथी** : हम यथाशक्ति सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं। आन्ध्र सरकार भी प्रयत्न कर रही है तथा वे राज्य सरकार से १.७४ करोड़ रु० अधिक देंगे।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : इस दृष्टि से कि अब तक दिया गया सारा धन पूर्णतया प्रयोग हो चुका है क्या सरकार किसी अन्य साधन से कोई राशि प्राप्त करके इस परियोजना को देगी ताकि यह निश्चित समय से पहले पूर्ण हो जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हाथी : पिछले तीन वर्षों में हम यही करते रहे हैं। जो भी उपलब्ध था हमने इसे दे दिया।

**स्कूल स्वास्थ्य सेवा**

†*५८९. **श्री सूपकार :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ होने वाली व्यापक स्कूल स्वास्थ्य सेवा की कोई विस्तृत योजना बनाई गई है ; और

(ख) योजना की संभावित लागत क्या होगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) तथा (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलन के लिये अभी कोई व्यापक स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना नहीं बनाई गई है।

**सेठ गोविन्द दास** : क्या इस सम्बन्ध में कोई पत्र भिन्न भिन्न राज्यों को भेजा गया है और क्या इस विषय में उनकी कोई सिफारिशें मांगी गई हैं ?

**श्री करमरकर** : अभी यह काम चल रहा है।

**एक माननीय सदस्य** : कौन सा काम ?

**श्री करमरकर** : यह काम कि थर्ड फाइव यीअर प्लान में किस किस को रखना है। जो वर्किंग ग्रुप्स मिलते हैं उन में स्टेट गवर्नमेंट्स में भी राय ली जायेगी।

†**श्री सूपकार** : क्या योजना प्रारम्भिक स्कूलों सहित सब स्कूलों पर लागू होगी ?

†**श्री करमरकर** : कोई योजना पहिले से ही चल रही है। यदि मुझे ठीक याद है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये राज्यों की योजनाओं में ८५ लाख रु० का उपबन्ध किया गया है। वास्तव में, उदाहरणार्थ, मद्रास सरकार योजना लागू कर रही है और कुछ अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं। यथासम्भव प्रारम्भिक स्कूलों को भी सम्मिलित किया जा रहा है।

**पान के कीड़े**

†*५९३. { **श्री खादीवाला :** / **श्री क० भे० मालवीय :** }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था मेगोमिलविग कीड़ों को, जो कि पान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, मारने के लिये कोई विधि खोज निकालने के लिये प्रयत्नशील है ;

(ख) यदि हां, तो संस्था को इस सम्बन्ध में अब तक कहां तक सफलता मिली है ; और

(ग) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि ये कीड़े मध्य प्रदेश में पान की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) से (ग). पान की फसल के सम्बन्ध में मेगोमिलविगस[1] नाम का कोई ऐसा कीड़ा नहीं है। मैंगोमीली[2] नाम का एक कीड़ा है परन्तु वह पान की बेल पर नहीं होता है। लेकिन बहुत प्रकार के कीड़े हैं जिनको कि मीली बग्स[3] कहा जा सकता है और इन कीड़ों में से एक कीड़ा जो पान की बेल पर होता है, फेरीसिम्राना[4] किस्म का कहलाता है। भारतीय कृषि अनुसंधानशाला में बहुत से मीली बग्स पर अनुसंधान किये हैं परन्तु ऐसे मीली बग्स पर नहीं जो पान की बेल पर आक्रमण करते हैं। इस कीड़े पर अनुसंधान तथा कंट्रोल करने का कार्य स्टेट एन्टोमोलोजिस्ट द्वारा किया जाता है, जहां इस कीड़े की समस्या स्थानीय किस्म की है।

मीली बग् की एक किस्म अभी ग्वालियर में पान की बेल पर पायी गयी है और ग्वालियर के कृषि कालिज में एन्टोमोलोजिस्ट्स द्वारा इस कीड़े पर कन्ट्रोल करने के तरीके मालूम कर लिये गये हैं।

स्टेट के कार्यकर्त्ताओं ने रिपोर्ट दी है कि आर्गेनिक (organic) कीटाणुनाशक, पैराथियन[5] या मालाथियन[6] छिड़कने से इस कीड़े पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया गया है। ब्रूमस सूटूरालिस[7] नाम का एक शिकार करने वाला कीड़ा, जो इन मीली बग्स पर गुजारा करता है, भी देखने में आया है।

**श्री खादीवाला** : क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि मध्य प्रदेश में पान की काफ़ी खेती होती है और वहां उन पानों में कीड़ा लगने से काफ़ी नुकसान होता है?

**डा० पं० शा० देशमुख** : चन्द जगहों से इन कीड़ों के बारे में हमारे पास इत्तिला आई है। उसके बारे में रिसर्च का भी कुछ इन्तज़ाम किया गया था। इसकी इन्फ़र्मेशन अगर मेम्बर साहिब को चाहिये, तो मैं दे सकता हूं।

**श्री खादीवाला** : कितना वक्त हो गया है इस बात को?

**डा० पं० शा० देशमुख** : यह नहीं कह सकता।

**सेठ गोविन्द दास**: क्या माननीय मंत्री जी यह बात जानते हैं कि इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार ने भी और वहां की जनता ने भी बार बार लिखा है कि हर वर्ष वहां पर हजारों नहीं, लाखों रुपये का नुकसान होता है और क्या यह बात सही नहीं है कि इस कार्य के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बहुत देरी हो रही है और क्या यह आशा की जा सकती है कि इस सम्बन्ध में जल्दी हो?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: इस प्रकार का अनुसन्धान राज्य सरकार का काम है और वह यह कर कार्य रही है। इस सम्बन्ध में उसको केन्द्रीय सरकार को लिखने की आवश्यकता नहीं थी और वह जो कर रही है, वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है।

**श्री खादीवाला** : राज्य सरकार ने तो लिखा है आपको।

**श्री अ० प्र० जैन** : मैंने कहा है कि यह काम उनका है और वही कर रहे हैं। यह एक मुकामी दिक्कत है। उस को दूर करने के लिये वही रिसर्च करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Megomilvigs

[2]Mango Mealy.

[3]Mealy Bugs.

[4]Ferrisiana.

[5]Parathion.

[6]Malathion.

[7]Brumus Suturalis.

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

**महालक्ष्मी में दुर्घटना**

†*५७६. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
**श्री नागी रेड्डी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ दिसम्बर, १९५८ को पश्चिम रेलवे पर महालक्ष्मी में दो माल डिब्बे पटरी से उतरकर एक झोंपड़ी में घुस गये तथा दो व्यक्तियों को मार दिया तथा भूसा-स्थान पर अन्य दो व्यक्तियों को घायल कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दुर्घटना की जांच की है ;

(ग) क्या मृत व घायल व्यक्तियों के परिवारों को कोई प्रतिकर दिया गया है ; और

(घ) इस दुर्घटना के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) १८ दिसम्बर, १९५८ को ०५.४५ बजे जब कि नौ माल डिब्बे पश्चिम रेलवे पर महालक्ष्मी स्टेशन के ग्रास यार्ड में लाइन संख्या ३ पर लाने के लिये पीछे हटाये जा रहे थे, वे लाइन संख्या ९ पर चले गये और उस लाइन पर पहिले से खड़े पन्द्रह डिब्बों से टकरा गये । इसके परिणामस्वरूप लाइन के अन्त के पास के तीन डिब्बे लाइन के अन्त से टकरा गये और लाइन से उतर गये । लाइन के अन्त की पीछे बैठे हुये चार व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं । उनमें से एक वहीं मर गया और दूसरा अस्पताल ले जाते हुये मार्ग में मर गया ।

(ख) हां ।

(ग) प्राप्त दावों पर विचार होने तक घायल दो व्यक्तियों में से प्रत्येक १५० रु० का अनुग्रहात् भुगतान कर दिया गया है तथा दो मृत व्यक्तियों में से प्रत्येक के घरवालों को ३५० रु० का ऐसा भुगतान विचाराधीन है ।

(घ) रेलवे सम्पत्ति को केवल ९०० रु० की हानि हुई ।

**डामोनी रेलवे की ढलान पर दुर्घटना**

*५७८. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ दिसम्बर, १९५८ को प्रातः सात बजे देवरिया से २२ मील दूर पूर्वोत्तर रेल के लार रोड और सलीमपुर स्टेशनों के बीच के रेलवे लैवल क्रासिंग पर एक रेलवे मालगाड़ी के इंजन और भागलपुर से देवरिया जाने वाली एक बस की आपस में टक्कर हो जाने से बस के पांच यात्री मर गये और दर्जनों अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) तथा (ख). २६-१२-५८ को सुबह लगभग ७ बज कर १५ मिनट पर इंजन नं० ४२८२ वाई० जी० अपने कूवान के साथ एक पब्लिक बस से टकरा गया । टक्कर लार रोड और सलीमपुर स्टेशनों के बीच मील ११/३ बी० ए० पर बने

---

†मूल अंग्रेजी में

हुये सम-पार पर हुई जिस पर कोई चौकीदार नहीं रहता। यह सम-पार सड़क के रास्ते देवरिया से लगभग २३ मील के फ़ासले पर है। टक्कर की वजह से बस के ४ मुसाफिर वहीं मर गये और १५ को चोटें आयीं, जिन में से २ बाद में मर गये ।

### छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

†*५७६. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे पर पूना से मिराज तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना स्वीकृत हो गया था ; और

(ख) यदि हां, तो परिवर्तन-कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० नें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान । जनवरी, १९५७ में एक अभिदर्शन इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण मंजूर हुआ था जो पूर्ण हो गया है और प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है ।

(ख) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### बम्बई-कन्याकुमारी सड़क

†*५८०. { **श्री वे० ईयाचरण** :
**श्री जीन चन्द्रन्** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-कन्याकुमारी सड़क का निर्माण पूर्ण हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कहां रुका पड़ा है और क्यों ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख). कदाचित् माननीय सदस्य पश्चिमी तट सड़क का उल्लेख कर रहे हैं । यह एक बड़ी परियोजना है जिस पर लगभग ११ करोड़ रु० व्यय होने का अनुमान है और आशा है कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना तक पूरी होगी ।

### त्रिपुरा से रेल सम्पर्क

†*५८२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री रघुनाथ सिंह** :
**सरदार अ० सिं० सहगल** :

क्या **रेलवे** मंत्री १२ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा का शेष भारत से रेल सम्पर्क बनाने के सम्बन्ध में हाल की स्थिति क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : माननीय सदस्य का ध्यान रेलवे मंत्री के आय-व्ययक भाषण के पैरा २७ की ओर आकर्षित किया जाता है। इसमें बताया गया है कि पठारकंडी-धर्मनगर लाइन के निर्माण की संभावना सक्रिय विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## खाद्यान्न का संग्रह

†*५८४. **श्री राम कृष्ण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संग्रहण-सुविधा उपलब्ध न होने से खाद्यान्न की बड़ी हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्न के उत्तम संग्रहण के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) गैर सरकारी स्टाकों की सूचना प्राप्त नहीं है । केन्द्रीय सरकार के गोदामों में संग्रहण तथा परिरक्षण में अपनाये गये वैज्ञानिक ढंगों की दृष्टि से क्षति उपेक्ष्य है ।

(ख) गैर-सरकारी स्टोरों में सुधार करने के लिये समस्या का अध्ययन करने के लिये एक खाद्यान्न स्टोर परामर्शदात्री समिति बनाई गई है । संग्रहण के उत्तम ढंगों का सरकारी व गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये हापुड़ में एक अन्य संग्रहण प्रशिक्षण तथा गवेषणा संस्था स्थापित की जा रही है ।

## चावल और धान का समाहार

†*५८७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी समितियों को ऐसे सारे राज्यों में चावल व धान का समाहार करने का कार्य सौंपा गया है जहां समाहार हो रहा है ; और

(ख) क्या समाहार के लिये भारत के राज्य बैंक ने ऐसी सहकारी समितियों को ऋण दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जिन राज्यों में समाहार क्रम-दलालों द्वारा हो रहा है, वह उपलब्ध सहकारी समितियों को भी चावल के समाहार का कार्य सौंपा गया है ।

(ख) कुछ मामलों में राज्य बैंक ने सीधे ही या राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ऋण दिये हैं । अन्य मामलों में, ऋण राज्य सरकारों या राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाते हैं ।

## मालगाड़ी का पटरी से उतरना

†*५९०. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८-५९ में दक्षिण रेलवे के बैंगलौर-पूना भाग में अनेकों बार माल गाड़ियां पटरी से उतरी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) पटरी से उतरने के कारण निम्न हैं :—

(१) रेलवे कर्मचारियों की असफलता, और

(२) सामान की असफलता :—

(क) मशीन सम्बन्धी ।

(ख) मार्ग सम्बन्धी ।

**मत्स्यग्रहण स्थान[1]**

†*५६१. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली के पास मत्स्यग्रहण के नये स्थानों के विकास की कोई नयी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : नहीं, श्रीमान् । दिल्ली क्षेत्र में पहले से ही मत्स्यग्रहण के १२ अच्छे स्थान हैं ।

**उड़ीसा में ग्राम्य विश्वविद्यालय**

†*५६२. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उस राज्य में एक ग्राम्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टी० सी० एम० विशेषज्ञों ने हाल में ही मत प्रकट किया है कि उड़ीसा में ग्राम्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की परिस्थितियां अनुकूल हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नहीं ।

(ख) इस मामले में टी० सी० एम० विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त किये गये मतों का सरकार को कोई ज्ञान नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**अंडमान में राष्ट्रीय राजपथ**

†*५६४. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंदमान के सारे द्वीपों को एक राष्ट्रीय राजपथ से मिलानें का है ;

(ख) यदि हां, तो सड़क निर्माण कब पूर्ण होगा ; और

(ग) उसकी लगभग लागत क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fishing Resorts.

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). सरकार की इच्छा अन्त में उत्तर, मध्य और दक्षिण अंदमानों को मिलाने वाली ट्रंक सड़क बनाने का है। यह ट्रंक सड़क एक परियोजना में पूर्ण नहीं होगी। चालू और आगामी योजना कालों में सड़क निर्माण कार्य बस्ती बनाने तथा बसाने के कार्यक्रम से इस प्रकार सम्बद्ध होना कि बस्तियों की मुख्य सड़कें अन्त में ट्रंक सड़क बन जायेंगी। अतः अभी ऐसी सड़क की लागत तथा पूर्ति समय के बारे में कुछ कहना संभव नहीं है।

**गन्ने की कीमत**

*५९५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को दी जाने वाली गन्ने की कीमतों में से प्रति मन दो नये पैसे की कटौती की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कटौती के लिये अनुमति दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार इकट्ठी की गई रकम किन किन मदों पर खर्च की जायेगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) यह अंशदान विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये स्वेच्छा से दिया जा रहा है।

(ख) चूंकि यह अंशदान स्वेच्छापूर्वक दिया जा रहा है इसलिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि चीनी मिल क्षेत्र के चारों ओर सड़कों के विकास में खर्च की जायेगी।

**धान का मूल्य**

†*५९६. **श्री वोडयार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र, मैसूर और मद्रास राज्यों में धान का प्रति मन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है ; और

(ख) क्या ये मूल्य प्रादेशिक उत्पादन-परिस्थितियों पर आधारित हैं या स्वच्छन्द आधार पर हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) एक विवरण, जिसमें आन्ध्र, मैसूर और मद्रास राज्यों में धान के निर्धारित अधिकतम नियंत्रित मूल्य दिये हैं, पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**.

(ख) ये मूल्य सभी संगत बातों जैसे पिछले वर्षों में फसल के बाद के मूल्यों, प्रचलित बाजार मूल्यों तथा अन्य राज्यों के मूल्यों पर विचार करके निर्धारित किये गये थे।

**पनियार परियोजना**[1]

†*५९७. { **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री कोडियान**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पनियार परियोजना को योजना के मूल भाग (कोर) में सम्मिलित करने की प्रार्थना प्राप्त हुई है ;

†मूल अंग्रेजी में
[1]Panniar Project.

(ख) परियोजना के लिये कितने विदेशी विनिमय की आवश्यकता होगी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री** (**ी हाथी**) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १२० लाख रुपये ।

(ग) यह निश्चय किया गया है कि परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित हो । विभिन्न क्षेत्रों में किये गये आवंटनों की जांच करके परियोजना के लिये आवश्यक विदेशी विनिमय प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सामान की खरीद के लिये तत्काल आवश्यक ७८ लाख रु० के विदेशी विनिमय की मुक्ति स्वीकार कर ली गई है ।

## उड़ीसा का राज्य विद्युत् बोर्ड

†*५९८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बताया है कि राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना में उन्हें क्या कठिनाइयां हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) तथा (ख). उड़ीसा सरकार ने एक विद्युत बोर्ड की स्थापना के बारे में कुछ बातों पर स्पष्टीकरण मांगा है । स्थिति राज्य सरकार को बता दी गई थी ।

## जूट परिवहन के लिये माल डिब्बे

†*५९९. { **श्री फ० गो० सेन :**<br>**श्री झूलन सिंह :**<br>**श्री बर्मन :**<br>**श्री स० चं० सामन्त :**<br>**श्री विभूति मिश्र :**<br>**श्री रामेश्वर टांटिया :** }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में पूर्निया तथा सहरसा के विभिन्न केन्द्रों से जूट ढोने के लिये औसत रूप में कितने माल डिब्बे दिये गये हैं ;

(ख) वर्ष के किस काल में माल डिब्बों की मांग अत्यधिक होती है ;

(ग) क्या अक्टूबर से दिसम्बर, १९५८ तक बिहार में जूट के लिये माल डिब्बे कम दिये गये ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव जूट के मूल्य पर पड़ा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जूट लादने के सात महत्वपूर्ण स्टेशन जो बिहार राज्य के पूर्निया जिले के अंग थे १९५६ में पश्चिमी बंगाल में मिला दिये गये थे। १९५६, १९५७ और १९५८ में पूर्निया जिले के विभिन्न केन्द्रों से जूट भरने के लिये औसत रूप में ७५.१, ६९.७ और ६७.६ क्रमानुसार माल डिब्बे प्रति दैनिक दिये गये एवं सहरसा जिले से जूट लदान के लिये १९५६, १९५७ और १९५८ में १६.५, २५.२ और १८.१ क्रमानुसार प्रति दिन माल डिब्बे दिये गये।

(ख) साधारणतया जूट के लदान के लिये माल डिब्बों की मांग बाजार पर नया जूट आने पर सितम्बर में अत्यधिक हो जाती है और अप्रैल के अन्त तक रहती है।

(ग) जूट की बहुत अच्छी फसल होने के कारण तथा कलकत्ता-क्षेत्र में समस्त नये जूट का प्रयोग न कर सकने के कारण समय समय पर प्रतिबन्ध व कोटा लगाना पड़ा और अक्टूबर-दिसम्बर १९५८ में यथासम्भव अधिक माल डिब्बे देने पर भी भारी मात्रा में माल पड़ा रहा। व्यस्त काल में पड़े रहे माल से वास्तविक लदान से तुलना करने पर यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि माल डिब्बे कम दिये गये।

(घ) माल डिब्बे का संभरण कम होने से मूल्य पर प्रभाव पड़ा, यह नहीं कह सकते।

### बैलाडिला-रायपुर रेल सम्पर्क

†*६००. **श्री इलया पेरुमाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बैलाडिला को रायपुर से रेल द्वारा मिलाने के लिये एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### उत्तर रेलवे पर आर्थिक सहायता प्राप्त बाल छात्रावास

†*६०१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे पर रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रावास बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : उत्तर रेलवे पर लखनऊ में आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रावास की इमारत के निर्माण के लिये योजना व प्राक्कलन तैयार हो गये हैं और उनकी जांच हो रही है। अभी तक पुरानी अन्य दुकान में कुछ परिवर्तन करके जुलाई मास से अस्थायी छात्रावास खोलने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**समय पर गाड़ियां चलाने के लिये पुरस्कार योजना**

†*६०२. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
**श्री राधा रमण :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**
**श्री वाजपेयी :** }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर प्रदेश के अनुभव को देखते हुये रेलवे बोर्ड ने समय पर गाड़ियां चलाने के लिये पुरस्कार देने की योजना सभी रेलों में आरम्भ करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) पुरस्कारों के साथ-साथ और किन-किन सिद्धान्तों और प्रथाओं के कारण उस प्रदेश में गाड़ियां और अधिक समय पर चलने लगी हैं ; और

(ग) ये पुरस्कार किस प्रकार के और कितने होते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर समय पर गाड़ियां चलाने के लिये पुरस्कार देने की योजना के बारे में अन्य रेलों को भी बताया गया था क्योंकि जनरल मैनेजर ये योजनायें आरम्भ कर सकते हैं ।

(ख) और (ग). इस प्रदेश में अधिक इंजीनियरिंग कारखाने होने और यातायात अधिक होने के कारण, जो कई बार काबू से बाहर होता था, गाड़ियां अक्सर लेट चलती थीं । इन सब बातों के होते हुये भी गाड़ियों को समय पर चलाने की व्यवस्था करना ज़रूरी था इसलिये दक्षिण पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों ने सोचा कि शायद नगद पुरस्कार देने से कर्मचारियों का उत्साह बढ़ जाये और ये लाभप्रद साबित हों । गाड़ी चालक अर्थात् ड्राइवर, फायरमैन और गार्ड की एक टीम बना दी जाती है और निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर उन्हें पुरस्कार मिलता है :

(१) पुरस्कार जीतने वाली टीम की ८० प्रतिशत से अधिक गाड़ियां ठीक समय पर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचनी चाहियें ।

(२) कोचिंग गाड़ियों के लिये दिये गये इन्टर सैक्शनल टाइम में कमी करने, अथवा समय समय पर रफ्तार पर अस्थायी अथवा स्थायी रूप से लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने का कोई प्रयत्न न किया जाये ।

(३) गार्ड पुलन्दों के लदान अथवा उतारने से इनकार न करे । किसी पुलन्दे को गन्तव्य स्थान से आगे ले जाने और उसे लादने से इनकार करने पर वह टीम पुरस्कार नहीं पा सकती ।

प्रत्येक टीम के प्रति दिन का रिकार्ड रखा जाता है और सारे मास का काम देख कर पुरस्कार दिया जाता है । इन सेवाओं के लिये प्रति मास तीन पुरस्कार दिये जाते हैं :

(१) प्रमुख डाक और एक्सप्रेस गाड़ियां ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अन्य सवारी और मिली जुली गाड़ियां ; और

(३) उपनगरीय स्थानीय गाड़ियां ।

पुरस्कार गार्ड के लिये ३० रुपये और ड्राइवर और उसके दो फायरमैनों के लिये ६० रुपये होते हैं । इसके अतिरिक्त जीतने वाले दल के नाम रेलवे न्यूज़लेटर में निकलते हैं ।

### बड़े स्टेशनों पर लाकर

†*६०३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बड़े-बड़े स्टेशनों पर लाकरों की व्यवस्था करना चाहती है जहां उचित किराया दे कर ज़ेवरात आदि रखे जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो योजना किस अवस्था में है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : जी हां ।

(ख) योजना का ब्योरा विचाराधीन है ।

### खरीफ आन्दोलन

†*६०४. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
**श्री राम कृष्ण** :
**डा० राम सुभग सिंह** :
**श्री दी० चं० शर्मा** : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रबी आन्दोलन के बाद आगामी खरीफ के मौसम में सभी राज्यों में खरीफ आन्दोलन शुरू करना चाहती है ; और

(ख) क्या इस प्रस्तावित योजना के ब्योरे के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । खरीफ उत्पादन आन्दोलन १६५६ की रूपरेखा सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखा गया एल० टी०-१२४२/५६]**

### जनता गाड़ियों में स्लीपिंग कोच

†*६०५. **स० म० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन-टायर स्लीपिंग कोच के कारण जनता गाड़ियों की सवारियों को बहुत कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके स्थान पर दो-टायर वाले कोच की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली और हावड़ा के बीच दो-टायर वाले कितने कोच चल रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) कुछ शिकायतें मिली हैं कि सब से ऊपर वाले टायर पर चढ़ने के लिये वृद्ध लोगों को बड़ी कठिनाई होती है ।

(ख) तीसरे दर्जे में सोने के स्थान की व्यवस्था करना और उसके लिये कैसे डिब्बे इस्तेमाल किये जायें ये प्रयोग किये जा रहे हैं । अभी तीन-टायर वाले कोच बदलने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) कोई नहीं ।

**काज़ीपेट रेलवे यार्ड का नव निर्माण**

†*६०६. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **रेलवे** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काज़ीपेट रेलवे स्टेशन के यार्ड के नव निर्माण की योजना के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पुनरीक्षित योजना के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है ।

(ख) योजना पर अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद कार्य आरम्भ होगा और पुनरीक्षित प्रावकलनों की स्वीकृति दी जायेगी ।

**पंजाब में चीनी के सहकारी कारखानों के लिये विदेशी मुद्रा**

*†६०७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में चीनी के सहकारी कारखानों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की जरूरत है ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि स्वीकृत की जायेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) ५० लाख रुपये ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

**बी० ओ० ए० सी० द्वारा जेट विमानों के लिये भारतीय हवाई अड्डों का प्रयोग किया जाना**

†६०८. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
**श्री रा० स० तिवारी** :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ओ० ए० सी० समवाय अपनी जेट विमान की सार्वभौम सेवा के लिये भारतीय हवाई अड्डों का प्रयोग करना चाहता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन शर्तों पर उक्त योजना पर अनुमति दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) बी० ओ० ए० सी० ने जो उद्घोषणा की है उसके अनुसार वह १-४-५९ से लन्दन से टोकियो मार्ग पर बरास्ता भारत कामट ४ जेट सेवा चालू करेगा जो सप्ताह में चार बार चलेगी । भारत में वह विमान कलकत्ता में ठहरेगा ।

(ख) बी० ओ० ए० सी० की भारत को और भारत से हो कर जाने वाली सारी सेवायें भारत-ब्रिटेन विमान सेवा करार के अन्तर्गत चलती है ।

**चीनी**

†*६०९. { **श्री नागी रेड्डी :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्री मुरारका :** }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में ठेकेदारों द्वारा ५७,००० टन आयात की गई चीनी का संभरण न कर सकने के कारण कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या फर्मों से वसूल की जाने वाली राशियां प्राप्त की जा चुकी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो अभी कितनी राशि बकाया है और इसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). उस समय के मूल्य से ४ से ५ पौंड प्रति टन तक कम मूल्य पर ५७,००० टन आयात की गई चीनी का संभरण करने के ४ भारतीय सार्थों के प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे । ये फर्में ठेके पूरे नहीं कर सकीं और सरकार ने उन पर जुर्माना कर दिया । तीन फर्मों जसे पुनः प्राप्य ५१,०५५ रुपये वसूल कर लिये गये हैं । चौथी फर्म से अभी केवल १०,००० रुपये वसूल किये गये हैं ।

**दिल्ली में ग्लाइडर दुर्घटना**

†*६१०. { **श्री वाजपेयी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री राम कृष्ण :**
**श्री रा० स० तिवारी :** }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ जनवरी, १९५९ को एक ग्लाइडर नई दिल्ली के सफदर जंग हवाई अड्डे से उड़ान लेते समय गिर गया और विमान चालक की मृत्यु हो गई ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस में क्या पता चला है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

### कठूआ सहायक नहर[1]

†* ६११. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर में सिंचाई की सुविधायें देने के लिये माधोपुर हैडवर्क्स स्थान पर रावी नदी से निकली हुई कठूआ सहायक नहर का विस्तार किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना तैयार की गई है ;

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(घ) इस परियोजना के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

† सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री ( श्री हाथी): (क) और (ख). कठूआ सहायक नहर के निर्माण के लिये जम्मू व काश्मीर सरकार ने एक योजना तैयार की है । इस से उस क्षेत्र की सिंचाई करने का विचार है जिसकी सिंचाई पहले वसन्तपुर नहर से की जाती थी और जिसे १९५५ की बाढ़ में बहुत क्षति पहुंची थी । कठूआ सहायक नहर से रावी और इसकी सहायक नदियों के दाहिने किनारे के क्षेत्रों को पानी की पर्याप्त सप्लाई मिलेगी जिन्हें पहले ज़मींदारी कूलों से पानी मिला करता था और जो कि अपर्याप्त रहता था ।

(ग) ६६.६ लाख रुपये ।

(घ) योजना अभी विचाराधीन है और अभी स्वीकृत नहीं हुई है । योजना अनुमोदित हो जाने के बाद केन्द्रीय सहायता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

### इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन

†* ६१२. श्री वें० प० नायर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कर्मचारियों की एक से दूसरे ग्रेड में पदोन्नतियां करने के बारे में इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को कोई हिदायतें दी हैं ; और

(ख) क्या लागू की गई हिदायतों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

† असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). कर्मचारियों की पदोन्नतियां विमान निगम अधिनियम की धारा ४५ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की अनुमति से बनाये गये भर्ती तथा पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत की जाती हैं । इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन और उनके श्रमिकों के बीच हुए विवाद में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट के आधार पर इन नियमों का संशोधन किया गया था ।

### केरल में पर्यटन

†*६१३. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोडियान :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में केरल सरकार ने पर्यटन की कितनी योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Kathua Feeder Canal

(ख) क्या यह सच है कि पर्यटन विकास के लिये केरल को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और केरल में पर्यटकों के लिये अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) दो ।

(ख) और (ग). जी नहीं । राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम में मस्काट होटल के विस्तार और थिरेडी में अरण्य निवास नामक विश्राम गृह का सुधार करने के प्रस्ताव भेजे थे । त्रिवेन्द्रम में मस्काट होटल के विस्तार पर जो खर्च हो रहा है उसका आधा खर्च केन्द्रीय सरकार दे रही है । १६५८–५६ में हुए खर्च में केन्द्रीय सरकार के अंश के तौर पर राज्य को एक लाख रुपये की राज सहायता दी गई थी । राज्य सरकार ने बताया है कि इस वर्ष वह इस में से ४५,००० रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकेगी । थिरेडी के बारे में राज्य सरकार से कहा गया था कि वह विश्राम गृह के उस भाग का नक्शा भेजे जिसका सुधार किया जाना है और यह भी बताये कि १८ अगस्त, १६५८ को इसे बने कितने वर्ष हो गये होंगे । अभी यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

## पिप्ली-कोणार्क रोड पर पुल

†*६१४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १६५८ के नारांकित प्रश्न संख्या ४३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पुरी ज़िले में पिप्ली-कोणार्क रोड पर तीन प्रस्तावित पुलों का निर्माण शुरू हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिये प्रारम्भिक प्रबन्ध किये जा चुके हैं ;

(ग) कोणार्क तक सभी मौसमों में इस्तेमाल हो सकने वाली सड़क का निर्माण पूरा करने के लिये उड़ीसा को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(घ) इस सड़क के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । राज्य के लोक निर्माण विभाग ने भार्गवी और खुशभद्र पुलों के निर्माण के लिये टेंडर मांगे हैं । २४ दिसम्बर, १६५८ को धनुआ पुल के लिये प्राक्कलन मंजूर किया गया था ।

(ग) अभी तक कुल १८ लाख रुपये के अनुदान मंजूर किये गये हैं ।

(घ) सड़कों के निर्माण में भूमि अर्जन के कारण और पुल बनाने में जल सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करने में अधिक समय लगने से विलम्ब हुआ है । राज्य सरकार से पूरी जानकारी देने को कहा गया है ।

† मूल अंग्रेजी में

## भारतीय औषधीय अधिनियम, १९४८

†*६१५. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधि अधिनियम, १९४८ के उन उपबन्धों पर को लागू किया गया है जिन में यह सुझाव दिया गया है कि विभिन्न राज्यों में नकली और घटिया दर्जे की दवाइयां बनाने से रोकने के लिये औषधि परिषदों की स्थापना की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में और उसके क्या परिणाम रहे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री ( श्री करमरकर )** : (क) बिहार, बम्बई, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में औषधि अधिनियम, १९४८ के राज्य औषधि परिषदों की स्थापना सम्बन्धी उपबन्धों को लागू किया गया है । राज्य औषधि परिषदों के कृत्य औषधि निर्माताओं का पंजीयन करना और इस व्यवसाय का विनियमन करना है ना कि नकली और घटिया दवाइयां बनाने को रोकना ।

(ख) ऊपर के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## गन्ने का मूल्य

†*६१६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० के लिये गन्ने का मूल्य निश्चित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो आगामी मौसम के लिये गन्ने का मूल्य निश्चित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

† **खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

## पेराम्बूर का सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना

†*६१७. **श्री स० म० बनर्जी** :
**श्री तंगामणि** :
**श्री अ० क० गोपालन** :

क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेराम्बूर में सवारी डिब्बे बनाने के कारखाने ( इंटेग्रल कोच फैक्टरी) का उत्पादन १९५८ में बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) १९५८ में कितने डिब्बे बनाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७ के उत्पादन से १५७ डिब्बे अधिक बने हैं।

(ग) १९५८ में ३४४ खोला।

### कागज और गत्ते का उत्पादन

†*६१८. { **श्री नागी रेड्डी :**
**श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २६ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७७ के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टैक्नीकल सहकारिता मिशन करार के अन्तर्गत विदेशी फर्मों की सहायता से विभिन्न प्रकार के कागज़ और गत्ते बनाने का अग्रिम संयन्त्र तैयार किया जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** अभी नहीं। इस वर्ष जुलाई और दिसम्बर में इसे प्रयोगात्मक रूप से चलाया जायेगा और जनवरी, १९६० में यह पूरी तरह चलने लगेगा।

### चंडीगढ़ और व्यापारिक केन्द्रों के बीच टेलीफोन लाइनें

†*६१९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से व्यापारिक केन्द्रों से चण्डीगढ़ (पंजाब) तक टेलीफोन लाइनें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो चंडीगढ़ और व्यापारिक केन्द्रों, जैसे कि फगवाड़ा और अन्य स्थान, में प्रत्यक्ष टेलीफोन लाइनें लगाने के बारे में क्या नीति है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) नहीं। अम्बाला, अमृतसर, जालंधर, कालका, लुधियाना, नई दिल्ली, पटियाला, शिमला और सोलन का चंड़ीगढ़ से प्रत्यक्ष ट्रंक सर्किट है।

(ख) दो स्टेशनों के बीच प्रत्यक्ष टेलीफोन सर्किट तभी लगाया जाता है जब कि वह मितव्ययता-पूर्ण हो, टैक्नीकल दृष्टि से संभव हो और उसकी पर्याप्त मांग हो।

इस नीति के आधार पर इस समय फगवाड़ा और चंड़ीगढ़ के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना उचित नहीं होगा। फगवाड़ा से चंड़ीगढ़ के टेलीफोन सम्पर्क जालंधर से किये जाते हैं।

### रेल कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाना

†*६२०. **श्री वाजपेयी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक कितने रेल कर्मचारियों की ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् भी सेवावधि बढ़ाई गई है ;

(ख) क्या सरकार को अन्य कर्मचारियों से इस के खिलाफ अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १-१०-५८ को कुल २५ रेल कर्मचारी सेवावधि में वृद्धि प्राप्त किये हुए थे।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां।

(ग) सेवावधि उसी हालत में बढ़ायी जाती है जब कि इसके बिना काम नहीं चलता।

## टिड्डी दल

†*६२१. { **श्री राम कृष्ण :**
**श्री अनिरुद्ध सिंह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन टिड्डी दल पाकिस्तान में दाखिल हो गये हैं और डर है कि वे भारत पर भी आक्रमण करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे को देखते हुए टिड्डियों को नष्ट करने के क्या उपाय किये गये हैं।?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां।

(ख) टिड्डियां मुख्यतः राजस्थान के रेगिस्तान से दाखिल होती हैं। सैंट्रल लोकस्ट वार्निंग आर्गेनाइजेशन के अधीन रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थापित की गई २८ चौकियों और रेगिस्तानी क्षेत्र के आस पास के राज्यों को सतर्क कर दिया गया है कि यदि टिड्डी दल भारत में दाखिल हों तो उन पर नियंत्रण करने के उपाय किये जायें। इन चौकियों के पास आधुनिक सामान और कृमिनाशक औषधियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर पहले से जो वायरलेस सेट लगाये जा चुके हैं, उन्हें टिड्डी दल को नष्ट करने के काम में सूचना आदि भेजने के लिये प्रयोग में लाया जायेगा। वैमानिक कार्यवाही, यदि आवश्यकता हो, के लिये दो विमान भी तैयार रखे गये हैं।

## गाड़ियों का लेट चलना

†७३५ **श्री राम कृष्ण :** क्या ेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में उत्तर रेलवे के मीटर लाइन सैक्शन पर कितनी बार एक्सप्रेस, डाक और सवारी गाड़ियां लेट चलीं ;

(ख) कितने घंटे समय नष्ट हुआ ;

(ग) इस बेकायदगी के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :**

| | | |
|---|---|---|
| (क) | डाक/एक्सप्रेस और प्रमुख सीधी गाड़ियां . . | ९२७ |
| | सवारी गाड़ियां ( समेत मिली जुली ) . . | ३२५६ |
| | कुल . | ४१८३ |
| (ख) | डाक/एक्सप्रेस और प्रमुख सीधी गाड़ियां . . | ६८३ घंटे |
| | सवारी गाड़ियां (समेत मिलीजुली) . . | २८८३ घंटे |
| | कुल . . . | ३५६६ घंटे |

† मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९**]

## परिवार नियोजन क्लिनिक

†७३६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वेच्छा से काम करने वाली संस्थाओं को ग्राम्य क्षेत्रों (राज्यवार) में परिवार नियोजन क्लिनिक खोलने अथवा चलाने के लिये कुल कितनी राशि अनुदान स्वरूप दी गई है ?

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :**

| | |
|---|---|
| बम्बई | १७,५५० रुपये |
| केरल | ३८,४०० रुपये |
| पश्चिमी बंगाल | ६,८३६ रुपये |
| कुल | ६२,७८६ रुपये |

## स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधायें

†७३७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न में किन-किन स्टेशनों पर टेलीफोन की सुविधायें हैं; और

(ख) १९५९–६० में किन-किन स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न के वे स्टेशन जहां टेलीफोन सुविधायें हैं ;

१. बीकानेर
२. चूड़ू
३. श्री गंगानगर
४. हनुमान गढ़ जंक्शन
५. हनुमान गढ़ टाउन
६. राय सिंह नगर
७. श्री ककनपुर
८. मंडी डबवाली
९. हिसार
१०. हांसी
११. भिवानी
१२. रेवाड़ी

†मूल अंग्रेजी में

१३. गुड़गांव

१४. दिल्ली छावनी

१५. दिल्ली सराये रोहेला

१६. दिल्ली क्वीन्स रोड

१७. मुक्तसर

१८. गजनेर

१६. फाजिल्का

२०. लालगढ़

२१. बादलपुर ।

(ख) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीज़न के उन स्टेशनों के नाम जहां १६५६–६० में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था होने की आशा है—

१. रत्न गढ़

२. रमण

३. सांगरिया

४. चरखी दादरी

५. सिरसा

**स्टेशनों तक जाने वाली सड़कें[1]**

†७३८. { **श्री राम कृष्ण :**
**श्री दलजीत सिंह :** }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर स्टेशनों तक जाने वाली सड़कें बनाने के बारे में कोई उपबन्ध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १६५८–५६ में अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) उपर्युक्त काल में किन-किन स्टेशनों पर ऐसी सड़कें बनवाई गई अथवा उनकी मरम्मत की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री ( श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) १६५८–५६ में ५.०५ लाख रुपये के कुल आयव्ययक उपबन्ध में से दिसम्बर, १६५८ तक २.६५ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(ग) पीपर सिटी, मंदौर, मलवाना, जालौर, दिदवाना, राजा का सहसपुर, गढ़मुक्तेश्वर, ब्रिज हाल्ट, देहरादून, नजीबाबाद, राजघाट नरोरा, अतरौली रोड, बबराला, बहजोई, खागा, कंचौसी, भरथना, फीरोजपुर कैन्ट, अबोहर, लुधियाना फिल्लौर, गोराया, फगवाड़ा, उकलाना, जमालपुर शाई खां, पिरथला, ललूदा, जगरांव,

†मूल अंग्रेजी में

[1]Approach Roads.

फीरोज़शाह, अहमद गढ़, अमृतसर, तलवांडी, पठानकोट, पट्टी नूरमहल, दिल्ली किशनगंज, हजरत निज़ामुद्दीन, सब्जीमंडी, तारादेबी, काल्का, जगाधरी, गनूर, बादली, सोनीपत, तराउरी, तापा, धूरी, रोहतक, धरमपुर, खेरावीर, सम्पला, टोहाना, अमौरी, उन्नाव, कानपुर, ब्रिजलैक्ट बैंक, मलहौर, बाराबंकी, रसौली, सफदरगंज, दरयाबाद, सुल्तानपुर, बकशा, हनुमानगढ़ टाउन, चरखी दादरी, हिसार, केसरीसिंहपुर, कनीना खास, दिल्ली सराय रोहिल्ला, लोहारू, गुड़गांव, सिरसा, पटौदी रोड तथा मंडी दाबवाली ।

### गांवों में बिजली लगाना

†७३९. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में बिजली लगाने के बारे में अध्ययन दल के प्रस्ताव तथा राज्यों को सहायता दी जानी चाहिये इस पर कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल की सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

† **सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री ( श्री हाथी )** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा

†७४०. **श्री नागी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १७ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीर्घ कालिक आस्थगित भुगतान पर सामान प्राप्त करने के प्रयत्नों पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी ऋण, सहायता संबंधी योजनाओं तथा वस्तु-विनिमय करारों के रूप में सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध हुई थी ; और

(ग) इन समझौतों से किन-किन परियोजनाओं को और कहां तक लाभ पहुंचा ?

† **सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री ( श्री हाथी)** : (क) से (ग). दीर्घ कालिक आस्थगित भुगतान के आधार पर निम्न सामान खरीदा गया था :—

| सामान | मूल्य लाख रुपयों में |
| --- | --- |
| १. जापान के इन्सुलेटर जो विभिन्न राज्यों के विद्युत् प्राधिकार को चम्बल जल-विद्युत् परियोजना रिहांड परियोजना और हीराकुड परियोजना प्राधिकार के अलावा ( ट्रांसमिशन और वितरण योजनाओं के लिये) बांटे गये थे . . | ६०.०० |

†मूल अंग्रेजी में

| सामान | मूल्य लाख रुपयों में |
|---|---|
| २. भाखड़ा नंगल परियोजना के लिये जापान से आये विद्युत् उत्पन्न करने वाले संयंत्र तथा ट्रांसफार्मर . | १२७.४० |
| ३. मैसूर राज्य विद्युत् बोर्ड के लिये ब्रिटेन के स्विचगियर . . | ०.७६ |
| ४. भद्रा जल विद्युत् परियोजना के लिये इटली के ट्रांसफार्मर . | ६.१४ |
| ५. भद्रा जल विद्युत् परियोजना के लिये फ्रांस के टरबाइन्स . | ५२.५७ |
| ६. भद्रा जलविद्युत् परियोजना के लिये जापान के विद्युत् उत्पन्न करने वाले संयन्त्र . . . | ४४.६६ |
| ७. हीराकुड बांध परियोजना (प्रथम प्रक्रम) के लिये जापान के विद्युत् उत्पन्न करने वाले संयंत्र . . | ६१.११ |
| ८. परास ताप परियोजना (बम्बई) के लिये फ्रांस के स्विचगियर | ६.१२ |
| ९. हरदुआगंज पावर स्टेशन (उत्तर प्रदेश) के लिये पश्चिमी जर्मनी से विद्युत् उत्पन्न करने वाले संयंत्र | १२७.०० |
| १०. हरदुआगंज पावर स्टेशन ( उत्तर प्रदेश ) के लिये ब्रिटेन के बायलर | १९२.०० |
| ११. भाखड़ा बांध परियोजना के लिये पश्चिमी जर्मनी से एक १५० टन की गैंट्री क्रेन ( जो अब प्राप्त किया जा रहा है ) . | १४.३३ |

**मसुलीपटम्—गुंटूर लाइन**

†७४१. **श्री नागी रेड्डी :**
**श्री रामम् :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाडेपल्ली से गुंटूर के लिये मिली-जुली लाइन बनाने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्राक्कलित लागत कितनी है ;

(ग) यह काम कब से आरम्भ होने वाला है ; और

(घ) १९५९-६० में कितनी राशि आवंटित की गई ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री ( **श्री सें० वें० रामस्वामी** ) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सर्वेक्षण किया जा रहा है इस कारण अभी कुछ नहीं बताया जा सकता ।

(घ) कुछ नहीं ।

## दिल्ली के गांवों में नालियों की खुदाई

७४२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमीनों की चकबन्दी के समय ग्रामीण क्षत्रों में नालियां खोदने के लिये जो जगह छोड़ी गई थी वहां नालियों की खुदाई के लिये दिल्ली प्रशासन के राजस्व विभाग ने ५ से ११ जनवरी, १९५९ तक एक आन्दोलन चलाया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लम्बी नालियां खोदी गईं ;

(ग) ये नालियां किन-किन गांवों में खोदी गईं ;

(घ) यह कार्य शेष गांवों में कब तक पूरा हो जायगा ; और

(ङ) इस कार्य में कोई कठिनाइयां अनुभव की गई हों, तो वे क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मन्त्री ( श्री अ० प्र० जैन )** : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन के राजस्व विभाग ने इस वर्ष के जनवरी महीने में नालियां खोदने का कोई आन्दोलन नहीं चलाया ।

लेकिन अलीपुर और कंझावला ब्लाक्स के नहर द्वारा सींचे जाने वाले क्षेत्रों में विकास कमिश्नर, दिल्ली ने सिंचाई की छोटी नालियां खोदने के लिये एक आन्दोलन इस उद्देश्य से चलाया था । दिल्ली प्रशासन से मिली हुई सूचना निम्न प्रकार है :—

| | अलीपुर ब्लाक | कंझावला ब्लाक |
|---|---|---|
| १. गांवों के नाम जिनमें नालियां खोदी गयीं | (१) बादली<br>(२) खेड़ा खुर्द<br>(३) पहलादपुर<br>(४) कुरैनी<br>(५) लामपुर | (१) मदन पुर<br>(२) रानी खेड़ा<br>(३) सालापुर माजरा<br>(४) कंझावला<br>(५) लाडपुर<br>(६) जाट खोर<br>(७) बंवाना<br>(८) औचन्दी<br>(९) दरियापुर कलां |
| २. खोदी गई सिंचाई की नालियों की लम्बाई | १६२० गज़ | ४४०० गज़ |
| ३. साम प्राप्त क्षेत्र | १५०० बीघा | २२७५ बीघा |

(घ) यह कार्य केवल ऊपर दिये हुए गांवों में किया जाना था और पूरा कर दिया गया है ।

(ङ) इस आन्दोलन में कोई विशेष कठिनाइयां नहीं हुईं ।

†मूल अंग्रेजी में

### दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति केन्द्र

७४३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन बादली और बवाना में दो प्रसूती केन्द्र खोलने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो वे कब तक खोले जायेंगे और उन पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

**स्वास्थ्य मंत्री ( श्री करमरकर )** : (क) और (ख). इन केन्द्रों का दिल्ली नगर निगम द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जाने का विचार है तथा प्रत्येक केन्द्र पर लगभग ५२,६०० रुपये खर्च होने का अनुमान है।

### टेलीफोन के कनैक्शन

†७४४. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य के परभानी और नान्देर जिलों के प्रत्येक एक्सचेंज में टेलीफोन लगाने के लिये प्रतीक्षा करने वालों की सूची में अभी कितने लोग हैं ;

(ख) अभी तक टेलीफोन न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) आवेदकों को कब तक टेलीफोन मिल जाने की आशा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** :

(क) एक्सचेंज का नाम

| | प्रतीक्षा करने वालों की सूची में उम्मीदवारों की संख्या |
|---|---|
| जिला परभानी | |
| १. परभानी | ८ |
| २. हिंगोली | ३ |
| ३. सैलू | १ |
| ४. पार्लो | २ |
| ज़िला नानडेड | |
| १. नानडेड | १६ |
| २. धर्माबाद | १ |

(ख) मांग टिप्पणी जारी की जा रही है। कनेक्शनों में विलम्ब का कारण प्रमुख रूप से लोहे के तार और ब्रैकेटों की कमी है।

(ग) कनेक्शन तब दिये जायेंगे जब कि सामान उपलब्ध हो जायेगा। इस में छः महीनों से अधिक समय लगने की आशा नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में

## टेलीफोन के कनेक्शन

†७४५. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश में १९५७-५८ में ज़िलेवार अब तक टेलीफोन के कितने नये कनेक्शन दिये गये हैं?

† **परिवहन तथा संचार मंत्री ( श्री स० का० पाटिल )** :

| जिला | नये दिये गये कनेक्शन जिसमें पुनः चालू किये गये कनेक्शन भी शामिल हैं |
|---|---|
| उस्मानाबाद . | ३० |
| औरंगाबाद | ३९ |
| परभानी . | २४ |
| मीर | ७ |
| नानडेड . . . . . . | ६५ |

## नालियों का निर्माण

७४६. { **श्री खुशवक्त राय** :
**श्री विश्वनाथ राय** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को चालू वर्ष में नालियों के निर्माण के लिये २० लाख रुपये दिये हैं।

(ख) यह राशि किन-किन ज़िलों में खर्च की जायेगी ; और

(ग) क्या इस से उन क्षेत्रों की दशा सुधर जायेगी जिन में पानी भरा रहता है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री ( श्री अ० प्र० जैन )** : (क) जी हां। २० लाख रुपये अलाट किये गये हैं।

(ख) सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद और गुड़गांव।

(ग) जी हां। सुधरने की आशा है।

## बम्बई में चीनी के कारखाने

†७४७. **श्री जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में प्रदेशवार गैर-सरकारी और सहकारी चीनी कारखानों की संख्या कितनी है ?

†मूल अंग्रेजी में

† **खाद्य तथा कृषि मंत्री ( श्री अ० प्र० जैन )** : बम्बई राज्य में १९५८-५९ के सीज़न में (ज़िलेवार) चलने वाले गैर-सरकारी और सहकारी चीनी कारखानों की संख्या नीचे दी गई है :—

| ज़िले का नाम | कारखानों की संख्या | |
|---|---|---|
| | गैर-सरकारी | सहकारी |
| १. सूरत | — | १ |
| २. अहमद नगर | ६ | ५ |
| ३. नासिक | १ | १ |
| ४. पूना | १ | २ |
| ५. उत्तर सतारा | १ | १ |
| ६. दक्षिण सतारा | — | १ |
| ७. कोल्हापुर | १ | — |
| ८. औरंगाबाद | १ | — |
| ९. शोलापुर | २ | — |
| योग | १३ | ११ |

## वारंगल में नीचे का पुल

†७४८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हाल ही में वारंगल नगर की नगर पालिका द्वारा खम्भा संख्या २०७/१०–११ के बीच एक नीचे का पुल बनाने के बारे में प्रस्तुत किये गये सुझाव की सरकार ने जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

† **रेलवे उपमंत्री ( श्री सें० वें० रामस्वामी )** : (क) जी हां।

(ख) ऊपर पर्याप्त जगह न होने और नाली व्यवस्था में कठिनाई होने के कारण यह प्रस्ताव संभव नहीं समझा गया। शहर की नगरपालिका ने हाल ही में पुल बनाने के लिये एक वैकल्पिक स्थान का सुझाव दिया है जिसकी जांच की जा रही है।

## उत्तर रेलवे के गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता

†७४९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे पर स्थापित गैर-सरकारी स्कूलों के लिये १९५८-५९ में वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सहायता से कितनी शिक्षण संस्थाओं को लाभ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## मासिक और त्रैमासिक पास

†७५०. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५८ को पूना से डिहू रोड, पूना से ताल गांव और पूना से लोनावाले तथा प्रतिलोमतः सभी श्रेणियों के ऐसे मासिक और त्रैमासिक पासों की संख्या कितनी है जिनका भुगतान किया जा चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]**

## वातानुकूलित डिब्बे

†७५१. **श्री सिदय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की सभी रेलों में (प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अलग-अलग) प्रयोग में आने वाले वातानुकूलित डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) इन डिब्बों को खरीदने में कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) किन-किन श्रेणी के पदाधिकारियों को प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है और उनकी कुल संख्या कितनी है;

(घ) पदाधिकारियों द्वारा १९५७-५८ और १९५८-५९ में (जनवरी, १९५९ के अन्त तक) प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में जितना स्थान होता है उसका कितने प्रतिशत प्रयोग किया गया तथा अन्य व्यक्तियों का उसमें कितने प्रतिशत स्थान रहा; और

(ङ) १९५७–५८ और १९५८–५९ में (जनवरी, १९५९ के अन्त तक) प्रथम और तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में अलग-अलग यात्रा करने वाले लोगों से कुल कितना किराया प्राप्त हुआ ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) वातानुकूलित प्रथम श्रेणी २०९
तृतीय श्रेणी १५

(ख) लगभग ६,९१,४६,३९० रुपये जिसमें ८ विद्युत उत्पन्न करने वाली कारें भी शामिल हैं ।

(ग) प्रशासकीय पद वाले पदाधिकारी ड्यूटी के काम से यात्रा करते समय वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं । ऐसे पदाधिकारियों की कुल संख्या ४४२ है । रेलवे के गजटेड पदाधिकारियों के अलावा चाहे वे ड्यूटी पर अथवा विशेषाधिकार पास से यात्रा कर रहे हों, प्रथम श्रेणी के किराये और वातानुकूलित श्रेणी के किराये के अन्तर का १/३ भुगतान करके वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा कर सकते हैं ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(घ) इसका कोई रिकार्ड नहीं है जहां से यह जानकारी एकत्र की जा सके।

(ङ)

| | १९५७–५८ | १९५८–५९ |
|---|---|---|
| | (आंकड़े हजार रुपयों में) | |
| प्रथम श्रेणी | ९८९६ | ८००६ |
| तृतीय | २१२७ | १९०८* |

*(दिसम्बर, १९५८ और जनवरी, १९५९ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

**प्रतीक्षालय**

†७५२. **श्री सिदय्या :**
**श्री इलयापेरुमाल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर १९५७–५८ और १९५८–५९ में किन-किन स्टेशनों पर प्रतीक्षालय बनवाये गये हैं; और

(ख) उपर्युक्त काल में कितनी राशि व्यय की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). स्टेशनों के नाम तथा नये उच्च श्रेणी के बनवाये गये प्रतीक्षालयों पर हुआ व्यय इस प्रकार है :

१९५७–५८

| नाम | व्यय |
|---|---|
| | रुपये |
| कादिरी | ३,७६० |
| पादुगपट्टु | ४,००० |
| बपातला | ४,००० |
| **१९५८–५९** | |
| मदनापल्ली रोड | ३०० |
| तिरुवारूर | २८,००० |

**मैसूर में कृषि संबंधी योजनायें**

†७५३. **श्री सिदय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर राज्य को १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक विभिन्न कृषि सम्बन्धी योजनाओं में विकास के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** मैसूर राज्य के कृषि क्षेत्र के लिये निम्न केन्द्रीय वित्तीय सहायता आवंटित की गई है :—

| | (रुपये लाखों में) |
|---|---|
| १९५७—५८ | १९५.६८ |
| १९५८—५९ | २५३.४० |

**बम्बई बन्दरगाह**

†७५४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) द्वितीय योजना के दौरान में बम्बई बन्दरगाह के विकास के लिये पुनरीक्षित आवंटन;

(ख) अब तक की गई प्रगति ;

(ग) केन्द्रीय सरकार का धन सम्बन्धी अंशदान;

(घ) बम्बई पत्तन न्यास का अंशदान;

(ङ) मिलने वाली विदेशी सहायता और संभावना; और

(च) पूरी हो जाने पर सामान उतारने के चबूतरे की कितनी क्षमता बढ़ जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) २५.१८ करोड़ रुपये ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ग) द्वितीय योजना काल में १९५७—५८ के अन्त तक ७७ लाख रुपये ।

(घ) द्वितीय योजना काल में १० करोड़ रुपये ।

(ङ) १९५७ में पुनःनिर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से यह निवेदन किया गया था कि वह बम्बई पत्तन की विकास सम्बन्धी योजनाओं पर जितनी विदेशी मुद्रा व्यय हो उसके लिये ऋण की व्यवस्था कर दे । बैंक ऋण के आवेदन पर इस कारण विचार नहीं कर सका कि पत्तन सम्बन्धी दो प्रमुख योजनायें (उदाहरणतः प्रमुख जल मार्ग को नीचे से गहरा करने जिसके बारे में केन्द्रीय जल और विद्युत गवेषणा केन्द्र, पूना में नमूने के प्रयोग किये जा रहे हैं तथा प्रिंसेज और विक्टोरिया पत्तन के आधुनिकीकरण की योजना जिसके बारे में भारत सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं किया था) बैंक द्वारा विचार करने के लिये तैयार नहीं हुई थी । पुनःनिर्माण और विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से सहायता मांगने के प्रश्न पर इन पत्तन योजनाओं के बारे में अन्तिम निर्णय कर लेने पर विचार किया जायेगा ।

२. अन्य बाहरी ऋणों के इस्तेमाल करने की संभाव्यताओं का भी पता लगाया गया है । ५० लाख डालर (२.३८ करोड़ रुपये) ऋण पत्तन सम्बन्धी सामान खरीदने के लिये अमरीकी निर्यात आयात बैंक द्वारा इस कार्य के लिये नियत कर दिया गया । इस ऋण में से (१.२५ करोड़)

†मूल अंग्रेजी में

रुपये का उपयोग बम्बई के लिये एक तलकर्षक यन्त्र खरीदने के लिये करने का विचार था किन्तु अमरीका के उद्धरण बहुत अधिक होने के कारण यह विचार त्याग देना पड़ा । येन ऋण में से यह खरीद करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(च) प्रिंसेज़ और विक्टोरिया पत्तनों के आधुनिकीकरण की योजना जो द्वितीय योजना में शामिल है उससे इन पत्तनों में जहाजों को मुड़ने में आसानी रहेगी किन्तु उससे पत्तन में सामान रखने के चबूतरों में वृद्धि नहीं होगी । बलार्ड पियर में यात्री टर्मिनल बना देने से यात्रियों का एक चबूतरा और बढ़ जायेगा और अलेकजेण्ड्रा पत्तन में भी माल उतारा जा सकेगा । द्वितीय योजना में कुछ और योजनायें भी हैं जैसे अलेक्जेण्ड्रा पत्तन में क्रेनों में बिजली लगाना, १२५ टन की फ्लोटिंग भारी लिफ्ट क्रेन खरीदना जिससे पत्तन की क्षमता बढ़ जायेगी किन्तु इसमें कितना सुधार होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

### पंजाब से निर्यात किया गया धान और चावल

†७५५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब से अन्य राज्यों को १९५८–५९ में अब तक कितना धान और चावल निर्यात किया गया; और

(ख) इनका समाहार किस मूल्य पर किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** (क) पंजाब से सरकारी हिसाब में २७–१०–१९५८ से १३–२–१९५९ तक लगभग ३७,००० टन चावल का निर्यात किया गया था ।

(ख) विभिन्न किस्मों के मूल्य नीचे दिये गये हैं :—

| चावल की किस्म | केवल अनाज की प्रतिमन कीमत |
|---|---|
| | रुपये |
| १. बढ़िया | |
| बासमती (कच्चा) | २४.५० |
| सेला बासमती | २२.२५ |
| परमल और हंसराज | |
| (क) कच्चा | २१.७५ |
| (ख) उबाला हुआ | २०.०० |
| २. मोटा | |
| बेगमी | १७.५० |
| दड़ा | १६.०० |
| सेला जोशी | १६.०० |
| ३. टूटा चावल | |
| मोंगरा | १५.७५ |
| सफेद तोता | ११.७५ |

**टिप्पण :** उपर्युक्त मूल्य अच्छी औसत किस्म के हैं जिनके मूल्यों में मूल्य नियंत्रण आदेश में निर्दिष्ट भावों के आधार पर किस्म के हिसाब से कमी हो सकती है ।

†मूल अंग्रेजी में

**पंजाब में रोलर आटा मिलों के पास गेहूं**

†७५६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब की रोलर आटा मिलों के पास से केन्द्रीय सरकार ने कितने गेहूं की मांग की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** केन्द्रीय सरकार ने पंजाब की रोलर आटा मिलों से कुछ भी गेहूं की मांग नहीं की है ।

**मैसूर और चामराज नगर के बीच रेल गाड़ियों द्वारा लिये जाने वाले समय में कमी ।**

†७५७. **श्री सिदय्या :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चामराजनगर से मैसूर तक ३८ मील रेल यात्रा करने में ३ घंटे १५ मिनट समय लगता है ;

(ख) क्या समय घटा कर २ घंटे कर दिया जाये इस के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि यात्री बस से यात्रा करना अधिक अच्छा समझते हैं क्योंकि उसमें २ घंटे लगते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) मैसूर और चामराजनगर के बीच चलने वाली गाड़ियों को २ घंटे ५० मिनट और ३ घंटे ५० मिनट के बीच समय लगता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) चूंकि मैसूर और चामराजनगर के बीच चलने वाली गाड़ियां विभिन्न सेक्शनों पर अपनी अधिकतम स्वीकृत गति से चलती हैं, इस कारण उनकी गति बढ़ाना संभव नहीं । अभ्यावेदन कर्ताओं को यह स्थिति बता दी गई है ।

**भारत में कालाजार का होना**[1]

†७५८. **श्री वें० प० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कालाजार के रोगियों की कितनी संख्या है; और

(ख) हाल में किये गये अध्ययन का ब्योरा क्या है अथवा लीशाकारिया डोनोवानी कीटाणुओं के बारे में क्या अध्ययन किया जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**हैजा**

†७५९. **श्री वें० प० नायर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैजा पैदा करने वाले कीटाणुओं के 'फेज टाइपिंग' के लिये कोई अध्ययन किया जा रहा है;

(ख) पैथोजेनिक बैक्टीरिया का इस दृष्टि से वर्गीकरण करने के बारे में, यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है, कि इन पर विषाणुओं का क्या प्रभाव पड़ता है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Kala-Azar

(ग) क्या ऐसे कार्य से यह पता लगाया गया है कि भारत में हैजा कैसे फैलता है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । हैजा पैदा करने वाले फेज टाइपिंग कीटाणुओं का अध्ययन (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के अधीन) कलकत्ते के बायो-केमिस्ट्री तथा प्रयोगात्मक चिकित्सा की भारतीय संस्था में किया जा रहा है ?

भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् एक केन्द्र में इस प्रकार का अध्ययन भी आरम्भ कर रहा है जिससे बैक्टीरियोफेजेज़ की सहायता से विब्रियो स्ट्रेंस के वर्गीकरण की संभावना का पता लगाया जा सके और हैजा पैदा करने वाले तथा इनसे सम्बन्धित अन्य कीटाणुओं के परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन किया जा सके ।

(ख) इस प्रकार के अन्तर्सबन्धों के बारे में बहुत से अध्ययन किये जा रहे हैं परन्तु इन अध्ययनों पर आधारित पैथोजेनिक बैक्टीरिया अथवा विषाणुओं का सामान्य वर्गीकरण करना संभव नहीं है । बायोकेमिस्ट्री तथा प्रयोगात्मक चिकित्सा की भारतीय संस्था ने हैजा के कीटाणुओं (विब्रिओ कालरी) का वर्गीकरण अपनी हैजा बैक्टीरियोफेजेज़ की प्रतिक्रिया के अनुसार करना आरम्भ किया है । अब तक हैजा के बीमारों के पाखाने में से हैजा बैक्टीरियोफेज के १६८ स्टेन अलग किये गये हैं । हैजा के कीटाणुओं के सेलों को नष्ट करने की क्षमता, कितने तापमान पर वे हानिकारक नहीं रहते और अन्य प्रतिकारिकीय प्रतिक्रियाओं को देखते हुये इन्हें चार वर्गों में बांटा गया है । कलकत्ता में हैजा के बीमारों के शरीर से विब्रिओ कालरी के ४७३ स्ट्रेन अलग किये गये हैं और उनकी बैक्टीरियोफेजेज़ से जांच करके उन्हें पांच वर्गों में बांटा गया है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**पशु प्रजनन**

†७६०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है अथवा किया जा रहा है कि पशु प्रजनन पर 'कोरियोनिक गोनादो-ट्रौफिक हार्मोन'[1] का क्या असर पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन के अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या पशुओं के प्रजनन के लिये इस 'हार्मोन' का व्यापक प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां । दो परीक्षण किये गये हैं ।

(ख) प्राप्त परिणाम असंतोषजनक थे ।

(ग) इस 'हार्मोन' का व्यापक प्रयोग करने के सम्बन्ध में फिलहाल तो मंत्रणा नहीं दी जा सकती क्योंकि इसमें कई खतरे निहित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chorionic Gonado-Trophic Harmone.

### अम्बाला छावनी में रेलवे कर्मचारी

†७६१. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर रेलवे की अम्बाला छावनी के रेलवे कर्मचारियों ने दिसम्बर, १९५८ के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन ३ घण्टों के लिये काम करना बन्द कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). वहां काम बन्द नहीं किया गया था ।

### निर्माण कार्य में विशेषज्ञ

†७६२. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री वाजपेयी :
**श्री अजीत सिंह सरहदी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कार्य के लिये विशेषज्ञों की एक तालिका तैयार करने की प्रस्थापना के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) उस तालिका में कितने अवकाश प्राप्त पदाधिकारी हैं?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) प्रस्थापना के सम्बन्ध में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) इस समय प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### स्वास्थ्य मंत्री की स्वविवेक निधि

†७६३. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ से कितनी संस्थाओं को स्वास्थ्य मंत्री की स्वविवेक निधि में से अनावर्तक सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) तपेदिक तथा मानसिक रोगों के रोगियों को सब से अधिक कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) क्या १९५७-५८ में जितनी राशि निर्धारित की गयी थी, उस सब का उपयोग कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जनवरी, १९५७ से १० फरवरी, १९५९ तक १६० संस्थाओं को अनुदान दिये गये थे ।

(ख) १००० रुपये ।

(ग) जी, हां ।

**सन्देश दर पद्धति**

†७६४. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री रा० च० माझी :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्देश दर पद्धति को भारत की औद्योगिक बस्तियों की सभी टेलीफोनों में लागू कर दिया गया है;

(ख) क्या इसे अन्य शहरों में भी लागू करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसे कब लागू किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) निम्नलिखित स्थानों पर यह पद्धति लागू की गयी है:—

१. आगरा सिटी (बेलनगंज)
२. अहमदाबाद
३. अजमेर
४. इलाहाबाद
५. अमृतसर
६. रालेप्पी
७. बंगलोर
८. बरेली
९. भावनगर
१०. बिहार कोयला क्षेत्र के एक्सचेंज
११. बीकानेर
१२. बम्बई
१३. कलकत्ता
१४. कोचीन
१५. कोयम्बटूर
१६. दिल्ली
१७. एरणाकुलम
१८. हैदराबाद
१९. इंदौर
२०. जयपुर

†मूल अंग्रेजी में

२१. जोधपुर
२२. जबलपुर
२३. जलन्धर
२४. कानपुर
२५. कोट्टयम
२६. कोजीकोड
२७. लखनऊ
२८. लुधियाना
२९. मद्रास
३० मंगलोर
३१. मेरठ
३२. नागपुर
३३. पटना
३४. पूना
३५. क्विलोन
३६. रायपुर
३७. राजकोट
३८. सैलम
३९. शिमला
४०. त्रिचूर
४१. त्रिवेन्द्रम
४२. विजयवाडा

(ख) सामान्य नीति यही है कि ३०० तथा अधिक लाइनों के सभी एक्सचेंजों में यही पद्धति लागू की जाये।

(ग) ज्यों-ज्यों आवश्यक मीटर और सम्बद्ध सामान उपलब्ध होता जाता है, त्यों-त्यों यह पद्धति भी लागू की जा रही है।

**कृषि मूल्य जांच समिति**

†७६५. **श्री रा० च० माझी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि मूल्य जांच समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : अधिकांश राज्य सरकारों ने कृषि मूल्य जांच समिति की अधिकांश सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। शेष सिफारिशें भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

**दिल्ली में ट्राम सेवा**

†७६६ **श्री केशव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली में ट्राम सेवा का सुधार करने के सम्बन्ध में सरकार की एक योजना है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). ट्रामवेज़ के भविष्य के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रश्न पर दिल्ली नगर निगम और उसकी परिवहन समिति विचार कर रही है ।

## ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल

†७६७. { **श्री राम कृष्ण** :
**श्री शिवनंजप्पा** :

क्या **रेलवे** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: अन्य सहायक कार्य अर्थात् बिजली घर का निर्माण, क्रशिंग प्लांट लगाने का काम और साइडिंग बनाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अमीनगांव को जाने वाली लाइन के किनारे तैयार करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है और खम्बों की नींव के लिये कुएं खोदने का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है ।

## पंजाब के लिये सड़क परिवहन निगम

†७६८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब के शेष क्षेत्रों के लिये सड़क परिवहन निगम स्थापित करने के प्रश्न की इस समय क्या स्थिति है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मामला अभी पंजाब सरकार के विचाराधीन है ।

## दादरी के सीमेंट कारखाने को विद्युत् का संभरण

†७६९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालमिया दादरी सीमेन्ट लिमिटेड चरखी दादरी को विस्तृत सीमेन्ट कारखानों को चलाने के लिये पूरी विद्युत् संभरित नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो पूरे विद्युत संभरण के लिये क्या-क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां। राज्य में विद्युत् की कमी के कारण कारखाने के लिये पूरी बिजली नहीं दी जा सकी है ।

(ख) आशा है कि १९६० में जब भाखड़ा विद्युत केन्द्रों के वाणिज्यिक दृष्टि से बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा उस समय उस सार्थ तथा अन्य सभी औद्योगिक केन्द्रों को बिजली सभरित की जा सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दिल्ली में नलकूप

†७७०. **श्री राम कृष्ण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १२ दिसम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में नल कूपों द्वारा सिंचाई करने के प्रश्न की इस समय क्या स्थिति है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: पांच वर्गों (ग्रुप) में पांच पांच नल कूप लगाने अर्थात् कुल २५ नलकूप लगाने की एक योजना तैयार की गयी है। इन में से दो वर्ग (ग्रुप) अलीपुर ब्लाक में, दो शाहदरा ब्लाक में और एक महरोली ब्लाक में होंगे। इन पांचों क्षेत्रों में नमूने के तौर पर एक एक 'बोर' किया जायेगा ताकि यह पता लग सके कि क्या उन क्षेत्रों में पर्याप्त पानी प्रदान करने वाले नल कूप लगाये जा सकते हैं या नहीं। यह 'बोरिंग' अभी तक महरोली ब्लाक के छत्तरपुर में और अलीपुर ब्लाक के बखतावरपुर के निकट दो स्थानों पर किये गये हैं। इन स्थानों पर संतोषजनक परिणाम निकले हैं। उनका पानी रसायनिक विश्लेषण के लिये भेज दिया गया है।

## भारत का राज्य बैंक

†७७१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य बैंक ने १६५८ में उधार, विपण्णन और उत्पादन से सम्बन्ध रखन वाली सहकारी संस्थाओं की मांगों को कहां तक पूरा किया था ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु कु० डे)**: १. भारत के राज्य बैंक ने विशेषत: ग्राम्य क्षेत्रों की शाखाओं को निधि भेजने के लिये ३० जून, १६५८ तक समाप्त होने वाले सहकारिता वर्ष में सहकारी बैंकों को ८,४२८ लाख रुपये देने के लिये सुविधायें दी थीं।

२. राज्य बैंक सहकारी बकों को ब्याज की रियायती दरों पर सरकारी प्रतिभूतियों पर ऋण/ड्राफ्ट सम्बन्धी सुविधायें देता रहा है। ३० नवम्बर, १६५८ को इस प्रकार कुल ऋण १,०६१ लाख रुपये था।

३. राज्य बैंक सहकारी बैंकों को ब्याज की रियायती दरों पर सामान के बदले अल्प कालीन ऋण देता रहा है। ३० नवम्बर, १६५८ को इस प्रकार का कुल ऋण २ लाख रुपयों का था।

४. बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों पर अस्थायी रूप से राशि दी है ताकि व विशेष प्रयोजनों के लिये अपनी सम्बद्ध, सहकारी समितियों को धन दे सकें। ३० नवम्बर, १६५८ को दो सहकारी बैंकों को ३ करोड़ रुपये दिये हुए हैं।

५. ३० जून, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य बैंक ने सहकारी बैंकों के लिये रियायती दरों पर १७६.८४ लाख रुपयों के बिलों/ड्राफ्टों/चैकों का संग्रहण/क्रय/बट्टा किया।

६. भारत का राज्य बैंक निम्नलिखित प्रकार से भूमि बन्धक बैंकों को महायता देता रहा है :—

(क) बांडों या प्रतिज्ञा पत्रों के परिचालित होने तक ऋण सम्बन्धी व्यापार चलाने के लिये सरकारी प्रतिभूतियों के बदले अस्थायी रूप से वित्तीय सहायता देना। (३० दिसम्बर, १६५८ तक ३० लाख रुपये दिये जा चुके हैं)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रकार के बांडों के लिये धन प्रदान करना । (दिसम्बर, १९५८ तक ६२.२५ लाख रुपये दिये जा चुके थे)

(ग) बांडों को बिक्री के योग्य बनाने के लिये इस प्रकार की बांडों की प्रतिभूतियों के लिये अग्रिम राशियां देना । (३० नवम्बर, १९५८ को इस प्रकार की ३२ लाख रुपये की राशि दी हुई थी)

७. जिन क्षेत्रों में कोई भी सहकारी वित्तीय अभिकरण नहीं होता वहां राज्य बैंक सहकारी मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग सोसाटियों को वित्तीय सहायता देता है। ३१ दिसम्बर, १९५८ को ४६ सहकारी समितियों ने ३९.६८ लाख रुपयों की प्रविज्ञा कर रखी थी।

८. औद्योगिक वित्त निगम से फैक्टरियों को ऋण प्राप्त हो जाने तक राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर सहकारी चीनी फैक्टरियों को अन्तरिम रूप से ऋण दिया जाता है। ३० सितम्बर १९५८ को बैंक की ओर से पांच चीनी फैक्टरियों को १६५ लाख रुपयों का ऋण दिया हुआ है।

९. बैंक ने ३० सितम्बर, १९५८ को दो चीनी मिलों को चीनी के स्टाक पर लगभग ८०, लाख रुपये का ऋण दिया हुआ था।

१०. राज्य बैंक ने उधार पर चलाने और चीनी मिलों की मशीनरी के संभरण कर्ताओं को आस्थगित अदायगी की गारंटी देने के सम्बन्ध में सहकारी चीनी फैक्टरियों की सहायता की है। इस सम्बन्ध में इन दोनों कार्यों के लिये बैंक ने ३० सितम्बर, १९५८ तक क्रमश: ३.१८ करोड़ और ४.०३ करोड़ रुपयों की सहायता की है।

## दुर्घटनायें

†७७२. **श्री तंगामणि :**
**श्री स० म० बनर्जी :**
**श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **रेलवे** मंत्री २१ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं और गाड़ियों के पटरी से उतर जाने की घटनाओं की रोक-थाम के लिये कोई और कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेल दुर्घटनाओं की रोक-थाम करने के लिये किये गये उन विभिन्न उपायों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख 'ए फेक्युवल रिव्यू आफ एक्सीडेन्टस आन इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज' नामक फैम्फलेट के अध्याय ४ में निहित है और जिसकी एक प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को दे दी गयी थी, रेलवे प्रशासनों को हिदायत दे दी गयी है कि वे इस सम्बन्ध में हर प्रकार का उपाय करें। रेलवे के सम्बन्ध में गत वर्ष जो सुरक्षा संगठन स्थापित किये गये थे वे पूरे जोर शोर से काम कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## बबराला-रोसा लाइन

**७७३. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले सरकार के सामने बबराला से रोसा तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है; और

(ग) क्या बबराला से गजरौला अथवा सम्भल से गजरौला तक रेलवे लाइन बिछाने की कोई योजना है?

**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) और (ग). जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

## हवाई अड्डों पर घोषणा करने की व्यवस्था

**७७४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किन-किन हवाई अड्डों पर, यात्रियों के पथ-प्रदर्शन के लिये, लाउडस्पीकरों पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में घोषणा करने की व्यवस्था है;

(ख) उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं, जिन पर केवल अंग्रेजी में घोषणा की जाती है; और

(ग) किन हवाई अड्डों पर अंग्रेज़ी के अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाओं में भी घोषणा की जाती है?

**असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** :

१. एयर इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन नीचे बतलाई हुई जबानों में एयरपोर्टों पर ऐलान करता है:—

| जबानें | एयरपोर्ट |
|---|---|
| १. अंग्रेजी और हिन्दी | दिल्ली |
| २. अंग्रेजी | कलकत्ता, बम्बई और मद्रास । |

२. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन नीचे बतलाई हुई जबानों में एयरपोर्टों पर ऐलान करता है :—

| जबानें | एयरपोर्ट |
|---|---|
| १. अंग्रेजी और हिन्दी | दिल्ली—पालम और सफदरजंग श्रीनगर, जम्मू, पठान—कोट, बनारस, लखनऊ, अमृतसर, अहमदाबाद, बम्बई, नागपुर और पटना । |
| २. अंग्रेजी | कलकत्ता, अगरतला, गौहाटी, बागडोगरा, भुज, भाव—नगर, बंगलौर, कोचीन, हैदराबाद, मद्रास, मंगलौर राजकोट, तिरुचिरापल्ली और त्रिवेन्द्रम । |

| | | |
|---|---|---|
| ३. अंग्रेजी और मौजूं प्राविन्शल जबानें | अगरतला<br>बागडोगरा | } बंगाली |
| | भुज<br>भावनगर<br>बम्बई<br>राजकोट | } गुजराती |

## दुजाना हाउस, दिल्ली

†७७५. **श्री वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जामा मस्जिद, दिल्ली, के आस पास की गन्दी बस्तियों की सफाई के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या 'दुजाना हाउस', दिल्ली, में एक नया मछली बाजार बनाने से सम्बन्धित योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). सरकार ने 'दुजाना हाऊस' को नया रूप देने की योजना मंजूर कर दी है। उसमें रिहायशी मकानों, सब्जी की दूकानों तथा अन्य दूकानों के अतिरिक्त एक मछली बाजार और शीतागार भी बनाया जायेगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य को हाथ में ले लिया है, परन्तु जब तक उस स्थान के पहले के लोगों को हटाया न जाये तब तक वहां काम शुरू नहीं किया जा सकता। दिल्ली विकास प्राधिकार उन लोगों को इस बात के लिये मनवाने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहा है कि वे अस्थायी रूप से किसी अस्थायी कैंप या राजकीय सहायता पर बने हुए मकानों में चले जायें; परन्तु इस काम में अभी तक सफलता नहीं मिली है। दिल्ली नगर निगम से भी निवेदन किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में अपनी ओर से प्रयत्न करें ताकि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जा सके। वहां के लोगों के अन्य स्थानों पर जाने में आनाकानी करने से इस योजना की कार्यान्विति में देर हो रही है।

## हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क

७७६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क के बारे में ४ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण कार्य कहां तक पूरा हो चुका है;

(ख) इस पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ;

(ग) शेष कार्य कितने समय में समाप्त होने की आशा है; और

(घ) शेष कार्य को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :**

| | | |
|---|---|---|
| (क) मोटर चलाने लायक (शिमला से आगे) | —— | ९४ मील |
| जीप मोटर चलाने लायक (इसमें ११ मील लम्बी सड़क शामिल है जो कई टुकड़ों में है) | —— | ३८ मील |
| ६ फीट चौड़ा पैदल रास्ता | —— | १८ मील |
| पैदल रास्ते के लिए डाले गये २ फीट के निशान | —— | १३ मील |

(ख) मार्च, १९५८ तक १.८८ करोड़ रुपए। चालू वर्ष के बजट में ३८.८४ लाख रुपए सड़क बनाने में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए रखे गए हैं।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शिमले से १३८ मील दूर चिनी (Chini) तक जाने वाली सड़क के मोटर चलाने लायक बन जाने की आशा है। सीमा पर शिपकी तक ६२ मील लम्बी सड़क के टुकड़े का काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया जायगा।

(घ) सड़क को और जल्दी तैयार करने के लिए चिनी में एक नया सरकारी निर्माण विभाग खोला जा रहा है।

## नागार्जुनसागर परियोजना

†७७७. **श्री नागी रेड्डी :**
**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनसागर परियोजना क्षेत्र का कोई कृषि-आर्थिक सर्वेक्षण करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना पर कितना खर्च आयेगा;

(ग) उस पर लगभग कितना समय लगेगा; और

(घ) यह सर्वेक्षण किस की देख रेख में किया जायेगा?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी हाँ।

(ख) २.३ लाख रुपये।

(ग) आशा है कि जून, १९६२ तक सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा।

(घ) इस सम्बन्ध में मोटे तौर पर नीति तो परियोजना की प्रविधिक मंत्रणा समिति और विकास समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी, परन्तु उसका ब्योरा आन्ध्र विश्व-विद्यालय के सांख्यिकीय तथा अर्थशास्त्र विभागों के अध्यक्षों द्वारा तैयार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

**भारतीय सड़क कांग्रेस**

†७७८. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री राम कृष्ण :**
**श्री अरविन्द घोषाल :** }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५९ में हैदराबाद में भारतीय सड़क कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये थे; और

(ख) क्या सरकार उन सभी निर्णयों को कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) उन निर्णयों के सम्बन्ध में सरकार को अभी तक सूचित नहीं किया गया है। ये निर्णय सरकार के पास उस समय भेजे जायेंगे जब कि पहले भारतीय सड़क कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति उन पर विचार कर लेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**चिकित्सा वैज्ञानिकों का रूस में प्रशिक्षण**

†७७९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि औषधियों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्ति करने के लिये कुछ चिकित्सा वैज्ञानिकों को रुस भेजा जा रहा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** इस प्रकार की कोई प्रस्थापना नहीं है।

**अनाज का संग्रह**

७८०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर १९५८ और जनवरी, १९५९ के महीनों में संघ सरकार के पास चावल और अन्य अनाज का कितना स्टाक था?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** यह सूचना देना सार्वजनिक हित में नहीं हैं।

**अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था**

†७८१. { **श्री वें० प० नायर :**
**श्री ईश्वर अय्यर :** }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के कार्डियोलोजी विभाग में किन-किन विशेष विषयों के सम्बन्ध में गवेषणा की जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था के कार्डियोलोजी विभाग में इस समय निम्नलिखित विषयों पर गवेषणा की जा रही है:——

**एक——वर्ग-क** **एप्लाइड कार्डियोलोजी**

**१. हैमोडाइनेमिक अध्ययन :——**

'केथिटर लेबोरेटरी' में भुजा की किसी उपरिष्ठ नाड़ी से दिल की दायीं ओर के विभिन्न 'चेम्बरों' में 'कार्डियक केथिटर' दाखिल करके तथा रक्त के दबाव और उसकी आकसीजन की गहनता की जांच करके 'कार्डियक हेमोडाइनेमिक' अध्ययन किया जाता है। यह अनुसन्धान सामान्य व्यक्तियों तथा दिल के रोग के रोगियों पर किये जा रहे हैं।

**२. फोनोकार्डियोग्राफी :——**

इसके द्वारा दिल की ध्वनियों और दिल की धड़कनों को एक कागज पर ग्राफ के रूप में अभिलिखित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की दिल की बीमारियों में दिल की ध्वनियों और धड़कनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

**३. ऐलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी :——**

ए बी सी नामक एक नया उपाय लागू करके यह मालूम किया जा रहा है कि क्या 'कोरोनरी आर्टरी' रोग के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अच्छी जानकारी प्राप्त हो सकती है।

**दो——वर्ग-ख** **प्रयोगात्मक गवेषणा**

पशु प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं में कुत्तों के दिल की एक धमनी को बांधने के उपरान्त वहां उत्पन्न होने वाली दूसरी नयी रक्त धमनी के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है। कुत्तों के दिल में रक्त पहुंचाने के लिये विभिन्न प्रकार के वेसोडिलेटरों के प्रभाव का भी अध्ययन किया जा रहा है।

**तीन——वर्ग-ग** **क्लिनिकों में अनुसंधान**

१. क्लिनिकों में बालपन से गठिया के बुखार के परिणाम स्वरूप 'मिट्रल स्टेनोसिस' के रूप में उत्पन्न होने वाले बाल रोगों तथा एक विशेष प्रकार के 'पेरीफेरल वेस्कुलर' रोग के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है।

२. अस्पतालों में दाखिल होने वाले तथा बाहिरी दोनों प्रकार के रोगियों पर नये डयूरेटिक ड्रग 'केलोर्थियाजाइड' तथा एक वेसडिलेटर ड्रग कोलेडिल—— के सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है।

## रेलों में यात्रियों का छूटा हुआ सामान

†७८२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों में प्रतिमास यात्रा करने वाले यात्रियों का रेल डिब्बों में भूल से बहुत सा सामान रह जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि जब उस सामान के लिये कोई व्यक्ति दावा करने के लिये नहीं आता तो उसे प्रत्येक रेलवे के खोई सम्पत्ति के दफ्तरों में भेज दिया जाता है और अन्त में नीलाम कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो १ अप्रैल, से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में सभी रेलों में से इस प्रकार की कुल कितनी वस्तुएं पायी गयी थीं और उन्हें नीलाम करके कितनी राशि की प्राप्ति हुई थी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में स्टेशनों तथा गाड़ियों में औसत १९२६ पैकेज प्रतिमास रह गये थे।

(ख) जी, हां।

(ग) १ अप्रैल से ३१ अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में मध्य तथा पश्चिम रेलों के अतिरिक्त अन्य रेलों में लगभग ८,७०० पैकेजों की नीलामी की गयी थी और उनस लगभग ४०,००० रुपये की प्राप्ति हुई थी।

मध्य तथा पश्चिम रेलों में लगभग ४,४०० पैकेजों की नीलामी की गयी थी। परन्तु उनसे प्राप्त होने वाली राशियों को अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

इन आंकड़ों का सम्बन्ध उन पैकेजों से है जो कि अप्रैल, १९५८ से पहले खोई सम्पत्ति के दफ्तरों में पहुँच गये थे और अप्रैल से अक्तूबर, १९५८ तक की अवधि में बेचे गये थे।

### हापुड़ (उत्तर प्रदेश) में साइलो एलीवेटर लगा हुआ गोदाम

†७८३. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गेहूं का आधुनिक ढंग से संग्रह करने के लिये हापुड़ (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा गोदाम बनाया गया है जिसमें साइलो एलीवेटर[1] लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितना खाद्यान्न एक समय रखा जा सकेगा और प्रति मन कितना खर्च आयेगा;

(ग) खाद्यान्न कितनी अवधि के लिये रखा जा सकेगा;

(घ) क्या इसमें खाद्यान्न संग्रह करने के परीक्षण सफल रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के गोदाम स्थापित करने का विचार है; और

(च) इस साइलो एलीवेटर के निर्माण पर क्या व्यय हुआ है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). जी हां, हापुड़ में साइलो–कम–एलीवेटर की माल रखने की क्षमता १०,००० टन है। प्रति मन पर खर्च का अनुमान, साइलो–कम–एलीवेटर को कुछ समय तक प्रयोग में लाने पर और माल की आमदनी और निकासी और उस समय के खर्च के आधार पर ही लगाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Silo-elevator

(ग) साइलो में पाश्चात्य परिस्थितियों में खाद्यान्न ३ से ५ वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भारतीय परिस्थितियों में कितने काल के लिये माल सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका पता लगाया जा रहा है।

(घ) और (ङ). साइलो परीक्षणार्थ लगाया गया है। इसकी सफलता पर ऐसे ही अन्य साइलों के निर्माण पर विचार किया जायेगा। एक दूसरा साइलो–कम–एलीवेटर जी० टी० सी० एम० सहायता के आधीन प्राप्त हुआ है कलकत्ते में लगाया जा रहा है।

(च) साइलो की सज्जा, जो टी० सी० एम० ने दी है, का मूलय ४ लाख डालर अनुमान किया जाता है, और इसके निर्माण में लगभग ८·३ लाख रुपये खर्च हुए हैं।

## पीलीभीत उपनिवेषण योजना

†७८४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिये आरम्भ की गयी पीलीभीत उपनिवेशन योजना के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** निम्नलिखित विवरण में सितम्बर, १९५८ तक हुई प्रगति बताई गई है: जिसका ब्योरा राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है;

### विवरण

**सड़कें**

१३ मील लम्बी सड़क के निर्माण के लिये सर्वेक्षण पूरा हो गया है और प्राक्कलन भेज दिये गये हैं और ९ मील लम्बी सड़क का निर्माण कार्य जारी है जिसके लिये प्राक्कलन अनुमोदित किये जा चुके हैं।

**पुल और पुलियायें**

१३ मील लम्बी सड़क के निर्माण के लिय पुल और पुलियाओं के निर्माण के लिये प्राक्कलन तैयार कर लिय गये हैं और उनकी टक्निकल जांच हो रही है।

**मकान**

६७५ मकान बनाने के प्राक्कलन पर सरकार विचार कर रही है।

**पानी सम्बन्धी पड़ताल**

पानी सम्बन्धी पड़ताल कार्य प्रगति पर है। १६७६ एकड़ का क्षेत्र समोन्न्वरखित[1] कर दिया गया है।

**कांटेदार तारों की बाढ़ लगाना**

कांटेदार तारों की बाढ़ लगाने के लिये प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और उनकी टेक्निकल जांच हो रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Contoured.

**सिंचाई विभाग**

नल-कूल बनाने के लिये प्राक्कलन तैयार हो गये हैं।

**मिट्टी सम्बन्धी सर्वेक्षण**

कबीरगंज खण्ड के मिट्टी सम्बन्धी विस्तृत रूप से सर्वेक्षण और हजारा खण्ड के मिट्टी सम्बन्धी अनियत सर्वेक्षण के बारे में मिट्टी रसायनशास्त्री (सोयल कैमिस्ट) की रिपोर्ट अगस्त में प्राप्त हुई थी और उस पर १८ अगस्त, १९५८ को उपनिवेशन योजना को क्रियान्वित करने के लिये सम्पूर्ण नगर में हुई सम्बन्धित पदाधिकारियों की बैठक में विचार किया गया।

**भूमि सर्वेक्षण**

३००० एकड़ के क्षेत्र में सड़कें बिछाई जा चुकी हैं।

## गाड़ियों का पटरी से उतरना

†७८५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक गाड़ियों के पटरी से उतरने की कितनी घटनायें हो चुकी हैं और उनसे कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई और कितने व्यक्तियों की जानें गयीं; और

(ख) प्रत्येक दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). वर्ष १९५८-५९ में (३१-१-५९ तक) भारत सरकार की रेलों पर गाड़ियों के पटरी से उतरने की १० भयंकर दुर्घटनायें हुईं। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारी बताई गयी है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

## आन्ध्र में पत्तनों का विकास

†७८६. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर पत्तनों के विकास के बारे में योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पत्तन पर क्या-क्या विकास किये जायेंगे;

(ग) प्रस्तावित विकास के कब तक पूरा हो जानें की आशा है; और

(घ) प्रस्तावित विकास के परिणामस्वरूप इन पत्तनों से कितने टन माल और आ जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) सभा पटल पर रएक विवरण रखा जाता है। [ देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३]

## रायचूर रेलवे स्टेशन पर गोलीकांड

†७८७. { **श्री अगाडी :**
**श्री सिद्धनंजप्पा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायचूर स्टेशन पर २६ मार्च, १९५८ को सशस्त्र सैनिकों द्वारा चलाई गयी गोलियों के फलस्वरूप घायल और अयोग्य रेलवे कर्मचारियों को कोई प्रतिकर दिया गया है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** रायचूर स्टेशन पर २६ मार्च के गोलीकांड में १८ व्यक्तियों को चोटें आयीं जिनमें १४ रेलवे कर्मचारी थे, १ लाइसेंस प्राप्त पोर्टर और तीन गैर-रेलवे कर्मचारी। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत केवल एक आहत कर्मचारी प्रतिकर पाने का पात्र था। बाकी में से कोई भी अयोग्य नहीं हुआ जिससे उन्हें प्रतिकर मिल सकें। तथापि एक कर्मचारी को छोड़कर (जिसके केवल बहुत कम चोटें आई थी) सब रेलवे कर्मचारियों को और लाइसन्स प्राप्त पोर्टर को ५० रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रसादतः भुगतान किया गया। केवल एक रलवे कर्मचारी को, जो दैनिक वेतन पर स्थानापन्न रूप से काम पर लगा हुआ था और जो प्रतिकर के लिये पात्र था, ५० रुपये के प्रसादतः भुगतान के अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत-उसकी कमाने की क्षमता की हानि के अनुपात में--५०४ रुपये दिये गये। उसको उसकी बारी से पहले ही मासिक वेतन पर अस्थायी रूप से काम पर लगा लिया गया।

## राष्ट्रीय ग्रामीण जल संभरण योजना

†७८८. **श्री पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक राष्ट्रीय ग्रामीण जल संम्भरण योजना के अन्तर्गत गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये उड़ीसा के लिये कोई योजना स्वीकार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी योजना को क्रियान्वित किया जा चुका है; और

(ग) १९५७-५८ में और १९५८-५९ में अब तक कितने गांवों में पीनें के पानी की व्यवस्था की गयी है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी, हां। राज्य के सूखें से प्रावित क्षेत्रों में जल संभरण की एक योजना का १९५७-५८ में अनुमोदन किया गया था।

(ख) १९५७-५९ की अवधि में खोदे जाने वाले १,६८२ कुओं और ६०० नल कूपों में से १०३९ कुओं और १६५ नलकूपों पर कार्य पूरा हो गया है।

(ग) सूखे मे प्रभावित क्षत्रों में जल संभरण की व्यवस्था के अतिरिक्त द्वितीय पंच-वर्षीय योजना काल में अब तक ९५८ गांवों में जल संभरण की व्यवस्था की गयी है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

### उत्तरीय रेलवे मजदूर संघ

†७८९. **श्री तंगामणि :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध उत्तरीय रेलवे मजदूर संघ, दिल्ली का पंजीकरण दिल्ली में कार्मिक संघों के रजिस्ट्रार ने रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां। परन्तु यह संघ इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध नहीं है; वह रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय फेडरेशन (नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवे मेन) से सम्बद्ध है।

(ख) भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ के अन्तर्गत अपेक्षित वार्षिक विवरण न भेजना।

### दिल्ली में क्लोरीन मिले पानी[1] का संभरण

†७९०. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १६ जनवरी, १९५९ को दिल्ली के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में छपे दिल्ली के डा० वी० एन० राय द्वारा सम्पादक के नाम लिखे गये पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि दिल्ली की जनता को कुछ वर्षों से लगातार क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर मिले पानी का संभरण किये जाने के कारण ८५ प्रतिशत व्यक्ति पेचिस के शिकार हो गये हैं और परिणामस्वरूप युवा व्यक्ति समय से पहले ही गंजे होने लगे हैं व औरतों के सिर के बाल गिरने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस गंभीर विषय के बारे में क्या पग उठाये गये हैं या उठायें जाने का प्रस्ताव है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां।

(ख) इस बात का कोई विश्वासनीय प्रमाण नहीं है कि क्लोरीन की अधिक मात्रा से पेचिश हो जाती है या लोग समय से पहले गंजे होने लगते हैं। क्लोरीन की उचित मात्रा और मनुष्यों पर इसके प्रभाव से सम्बन्धित प्रश्न का दिल्ली नगर निगम ने बड़ी सावधानी से अध्ययन किया है। १.५ पी० पी० एम० तक 'रिसिड्वल' वाली क्लोरीन की मात्रा के बारे में यह समझा गया है कि इसका मनुष्यों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

### मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राजपथ

†७९१. **श्री अम्बलम सुब्बया :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Chlorinated

(ख) अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है;

(ग) अब तक कितने मील सड़कें बनायी गयी हैं; और

(घ) पूर्वी तट राष्ट्रीय राजपथ सड़क योजना में रामनाथपुरम् बेगपतिनाम् सेतु सड़क के काम में कितनी प्रगति हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) २२०.०५ लाख रुपये।

(ख) ३१ जनवरी, १९५९ तक ११४.४९ लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) १०३ मील लम्बी सड़क का सुधार हुआ है और २ मील लम्बी नई सड़क बनाई गई है। एक पुल भी बनाया गया है और तीन अन्य पुलों का निर्माण कार्य चालू है।

(घ) सम्भवत: माननीय सदस्य नागपतिनाम् रामनाथपुरम् सड़क की ओर निर्देश कर रहे हैं जिससे राज्य सरकार का सम्बन्ध है और इस सड़क के विकास के लिये कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गयी है।

## अपंग व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास

†७९२. **श्री झूलन सिंह**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपंग व्यक्तियों को सहायता देने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से किस प्रकार की और कितनी व्यवस्था की गयी है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना का सम्बन्ध है, शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के लिये बम्बई में एक पुनर्वास और प्रशिक्षण परियोजना स्थापित करने के लिये १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। सितम्बर, १९५५ से बम्बई में एक अखिल भारतीय शारीरिक औषधि और पुनर्वास संस्था काम कर रही है। इस संस्था में अपंग व्यक्तियों के इलाज के अतिरिक्त उन व्यक्तियों के पुनर्वास के तरीके भी बतलाये जाते हैं।

## मनीपुर में मछुए

†७९३. **श्री ले० अचौ सिंह**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोकटक झील में थंगा द्वीप के मछुओं की किसी व्यथा का निवारण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किन व्यथाओं का निवारण किया गया है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) थांगा द्वीप के मछुओं की व्यथाओं के बारे में कोई शिकायत नहीं आयी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें**

†७९४. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चिकित्सा सुविधायें प्राप्त करने के अधिकारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे के कितने ऐसे कर्मचारियों को १९५८ में यह लाभ मिला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। वे निःशुल्क चिकित्सा के अधिकारी हैं।

(ख) १९५८ के पत्री वर्ष में रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य यूनिटों में पंजीकृत और चिकित्सा सुविधा दिये जाने वाले रोगियों की संख्या नीचे दी गयी है :

| | पूर्व | | दक्षिण पूर्व | |
|---|---|---|---|---|
| | अस्पताल (भर्ती रोगी) | स्वास्थ्य यूनिटें (बाह्य रोगी) | अस्पताल (भर्ती रोगी) | स्वास्थ्य यूनिटें (बाह्य रोगी) |
| तृतीय श्रेणी | ४,४४२ | १,३९,२२१ | २,१६४ | १,६२,००१ |
| चतुर्थ श्रेणी | १०,८७४ | २,१३,१०३ | ३,६५९ | २,९१,६४९ |

**पेदनन्दीपदु उच्च स्तरीय नहर योजना**[1]

†७९५. { **श्री नागी रेड्डी** :
**श्री रामम्** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पेदनन्दीपदु उच्च स्तरीय नहर योजना को केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिये भेज दिया है;

(ख) इसकी कुल कितनी अनुमानित लागत है; और

(ग) क्या इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक योजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस समय इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

[1] Pedanandipadu High Level Canal Scheme

## त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजनायें

†७९६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में छोटी सिंचाई के लिये वर्ष १९५८-५९ के लिये स्वीकृत धनराशि पूर्णरूप से खर्च नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितना धन खर्च नहीं किया गया है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). त्रिपुरा की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये ५ लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गयी थी परन्तु प्रशासन ने यह बतलाया है कि टेक्निकल कर्मचारियों की कमी के कारण चालू वित्तीय वर्ष में २ लाख रुपये से अधिक खर्च करना सम्भव नहीं होगा ।

## दक्षिण रेलवे पर भीड़भाड़

†७९७. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे की पश्चिमी तट की लाइन पर तृतीय श्रेणी के डिब्बों में भीड़भाड़ कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है या किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) १९५७-५८ और १९५८-५९ में बड़ी लाइन के कितने डिब्बे आयात किये गये और कितने भारत में बनाये गये; और

(ग) इनमें से कितने डिब्बे दक्षिण रेलवे की पश्चिमी तट शाखा को दिये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही नीचे बतायी गयी है :

(१) १४-८-५८ से मद्रास से और १५-८-५८ से सलेम से मद्रास और सलेम के बीच संख्या १९/२० मद्रास-कोचीन एक्सप्रेस गाड़ियों पर एक विभागीय तृतीय श्रेणी का डिब्बा लगाया गया ।

(२) मद्रास और जालारपेट के बीच सेक्शनल ट्रैफिक की आवश्यकता पूरी करने और पश्चिमी तट तक सीधे जाने वाले यात्रियों को कुछ सहायता देने के लिये, उस सेक्शन पर चलने वाले तृतीय श्रेणी के डिब्बे को, जो मद्रास और अर्केजिम् के बीच नं० १९ मद्रास-कोचीन एक्सप्रेस और नं० ३१२ जालारपेट-मद्रास पैसेंजर के साथ लगता था, १४-२-५९ से मद्रास और जालारपेट के बीच तक बढ़ा दिया गया ।

(३) उपरोक्त भाग (२) में निर्देशित मद्रास जालारपेट सेक्शन पर चलने वाले तृतीय श्रेणी के डिब्बे को १-४-५९ से नं० १९/२० मद्रास-कोचीन एक्सप्रेस गाड़ियों पर मद्रास और इरोड के बीच तक बढ़ा दिया जायेगा ।

(४) १-४-५९ से वर्तमान गाड़ियों की सेवाओं को पुनः क्रमबद्ध करके, मद्रास और शोरानूर के बीच प्रत्येक मार्ग पर सुविधाजनक समयों पर एक सीधी पैसेंजर गाड़ी की व्यवस्था की जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

(५) १-४-५६ से ३०-६-५६ तक की कालावधि में संख्या १६ और २० मद्रास-कोचीन एक्सप्रेस और संख्या १ तथा २ मद्रास-मंगलौर मेल के साथ यथासम्भव तृतीय श्रेणी का एक और डिब्बा जोड़ दिया जायेगा ।

(६) गाड़ियों में जगह और भीड़भाड़ को देखते हुए पश्चिमी तट लाइन पर चलने वाली अन्य पैसेंजर गाड़ियों के साथ भी गर्मी के महीनों में अधिकतम डिब्बे लगाये जायेंगे ।

(ख) १९५७-५८ और १९५८-५९ में बड़ी लाइन का तृतीय श्रेणी का कोई भी डिब्बा आयात नहीं किया गया ।

१९५७-५८ और १९५८-५९ में (दिसम्बर, १९५८ तक) भारत में बने बड़ी लाइन के तृतीय श्रेणी के डिब्बे निम्न प्रकार हैं :—

| | पूर्ण तृतीय श्रेणी | तृतीय श्रेणी के मिले हुए |
|---|---|---|
| १९५७–५८ | ४४३ | १८६ |
| १९५८–५९ (दिसम्बर, १९५८ तक) | ४०६ | ११० |

(ग) १९५७ और १९५८ के वर्षों में ओलावाकोट डिवीजन पर, जो दक्षिण रेलवे के पश्चिमी तट सेक्शन पर हैं, चलने के लिये तृतीय श्रेणी के ४० डिब्बे आवंटित किये गये हैं ।

## दन्त चिकित्सा विद्यालय (डेन्टल कालेज)

†७९९. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों में कितने दन्त चिकित्सा विद्यालय (डैंटल कालेज) खोले जायेंगे और वे कहां कहां खोले जायेंगे; और

(ख) प्रत्येक कालेज पर कुल कितनी लागत आयेगी और केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देगी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग

†८००. **श्री पद्म देव :**
**श्री स० चं० सामंत :**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग की घटनायें वृद्धि पर हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) आंकड़ों के अभाव में यह कहना सम्भव नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग वृद्धि पर है या नहीं।

(ख) हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा चम्बा और मन्डी जिलों में क्षय रोग का नमूना सर्वेक्षण किया गया था और उन जिलों में क्षय रोग का आपात क्रमशः ०.५५ और ०.४६ प्रतिशत पाया गया।

### हिमाचल प्रदेश में पंचायतें

†८०१. { **श्री पद्म देव :**
**श्री स० चं० सामन्त :** }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) उनका स्वरूप क्या है; और

(ग) बाकी पंचायतों को ये सुविधायें कब तक उपलब्ध की जायेंगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) २४१।

(ख) असैनिक अस्पताल और औषधालय, ग्रामीण औषधालय (आयुर्वेदिक औषधालय समेत) और स्वास्थ्य केन्द्र।

(ग) प्रगति की गति निधि और टेक्निकल व्यक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

### राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खंडों को ऋण

८०२. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों और सामुदायिक विकास खंडों के अधिकारियों ने प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भवन निर्माण के लिये पृथक-पृथक कितना ऋण दिया और इससे कितने भवन बनाये गये;

(ख) क्या ऋणों की पूरी वसूली हो गई है; और

(ग) शेष ऋण की वसूली के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)**: (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से पूरी जानकारी की प्रतीक्षा अभी तक की जा रही है और मिलने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी।

### कुनिहार खंड में ऋण

८०३. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुनिहार खंड में अच्छे बीज, खेती के औजारों, बैलों और घरों के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कितना ऋण दिया गया;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस प्रकार दी गई धन राशि की वसूली हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और मिलने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

## हिमाचल प्रदेश में पंचायतें

८०४. **श्री पद्म देव :** क्या **सामुदायिक विकास तथा** सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ में हिमाचल प्रदेश में पंचायतों द्वारा कितनी सड़कें, बावलियां और पंचायतघर बनाये गये; और

(ख) पंचायतों ने लोगों में कितनी-कितनी मात्रा में उर्वरक, अच्छे बीज, फलों के पौधे और खाद्यान्न वितरित किये ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क)

| | |
|---|---|
| सड़कें व गांव के रास्ते जो बनाये गये | २१० मील |
| बावलियां जो बनाई गई | ४९८ |
| पंचायतघर बनाये गये | ३८ (बन रहे हैं) |

(ख) यह चीजें पंचायतों द्वारा नहीं बांटी जातीं ।

## हिमाचल प्रदेश में विद्युत् परियोजना

८०५. **श्री पद्म देव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश की विद्युत् परियोजनाओं के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में अब तक आयात किये गये सामान का क्या मूल्य है;

(ख) जो सामान अभी बाहर से आना है उसका क्या मूल्य है;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनायें अब तक पूरी हो चुकी हैं और अब तक कौन सी अधूरी पड़ी हैं; और

(घ) क्या ये सारी योजनायें योजनावधि में पूरी हो जायेंगी ?

**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) १९.०० लाख रुपये ।

(ख) ७.२ लाख रुपये ।

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कुल २० योजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव है ।

निम्नलिखित ४ योजनायें लगभग पूरी हो चुकी हैं :—

(१) मंडी से सुन्दरनगर तक बिजली का विस्तार

(२) नाहन-पयोन्टा घाटी को बिजली देने की योजना

(३) जोगिन्दरनगर से चौन्तरा तक बिजली का विस्तार

(४) सोलन तथा उसके बाहरी क्षेत्रों को बिजली देने की योजना ।

अन्य १६ योजनाओं के सम्बन्ध में काम हो रहा है। इन में से कई निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(घ) निम्नलिखित ८ योजनायें दूसरी योजना अवधि के अन्त तक पूरी हो जायेंगी और बाकी योजनाओं पर भी काफी काम हो जायेगा ।

(१) थ्योग, कोटकहाई, नरकण्डा क्षेत्रों को बिजली देना ।

(२) रामपुर, कोटगढ़ को बिजली देना ।

(३) नाहन-पयोन्टा घाटी बिजली योजना में सुधार ।

(४) सोलन को बिजली देने की योजना में सुधार ।

(५) मण्डी-सुन्दरनगर लाइन से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बिजली का विस्तार ।

(६) लाड भरोल और उसके आसपास के क्षेत्रों को बिजली देना ।

(७) लोलन से अर्की और कुनिहार तक बिजली का विस्तार ।

(८) मण्डी से रावलसर और सरका घाट तक बिजली का विस्तार ।

## हिमाचल प्रदेश में फलों की पौधशालायें

८०६. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय वन विभाग द्वारा फलों की कितनी पौधशालाओं का संचालन किया जा रहा है;

(ख) इन पौधशालाओं में कौन-कौन से फलों के पौधे पैदा किये जाते हैं;

(ग) १६५८ में सरकार ने लोगों को कितने प्रकार के फलों के पौधे दिये; और

(घ) उन की बिक्री से सरकार ने कितनी धन राशि वसूल की ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## हिमाचल स्टट फेडरेशन (कोआपरेटिव) द्वारा खरीदे गये आलू

८०७. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश स्टेट फेडरेशन (कोआपरेटिव) द्वारा १६५८ में कितने आलू खरीदे गये ;

(ख) किसानों को क्या कीमत दी गई; और

(ग) इस सौदे में उक्त फेडरेशन को कितना लाभ हुआ ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

### हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियां

८०८. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५८ में आलुओं का व्यापार करने वाली सहकारी समितियों की संख्या क्या थी ;

(ख) कृषकों को दिया गया उच्चतम मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या आलुओं की बिक्री के लिये कोई ऐसी योजना सहकारिता विभाग के विचाराधीन है जिससे कृषकों को लाभ हो ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश प्रशासन से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

### हिमाचल प्रदेश में भेड़ों की नस्ल सुधार की योजना

८०९. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में भेड़ों की नस्ल सुधारने की योजना १९५८ में किन-किन स्थानों पर लागू की गई ;

(ख) प्रत्येक नस्ल सुधार केन्द्र में कितनी-कितनी भेड़ें हैं ; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र का १९५८ का बजट क्या है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के लिये १९५७-५८ में एक भेड़ प्रजनन फार्म, जिसके साथ ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला थी और ८ भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र स्वीकृत किये गये । चम्बा के भेड़ प्रजनन फार्म के कार्य आरम्भ करने की आशा १९५८-५९ के अन्त तक है । आठ भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्रों में से निम्न तीन केन्द्र स्थापित हो चुके हैं :–

१. महासू ज़िले में दोदरा कवर
२. चीनी ज़िले में सांगला
३. चम्बा ज़िले में चूरी

(ख) इस भेड़ प्रजनन फार्म में ६०० भेड़ें होंगी, जिनमें भेड़ा, भेड़ और उनके बच्चे शामिल हैं । प्रत्येक विस्तार केन्द्र में २०००--३००० प्रजनन भेड़ें होंगी ।

(ग) १९५८-५९ में भेड़ प्रजनन फार्म के लिये १,९५,५०० रुपये और प्रत्येक विस्तार केन्द्र के लिये १७,००० रुपये किये गये हैं ।

### पलवर्थ नस्ल के मेंढे

८१०. **श्री पद्म देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के गांवों को देशी भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिये पलवर्थ नस्ल के कितने मेंढे दिये गये हैं ;

(ख) ये सुविधायें कितने गांवों को दी गई हैं ; और

(ग) इनका क्या परिणाम निकला है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५६–५७ में ६१ मेंढे ।

(ख) २३ ।

(ग) इन मेंढों से अभी तक पैदा हुई कुल संतति लग भग ४०० है ।

### राज्यों में सींची गयी भूमि

†८११. **श्री जाधव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सींची गयी भूमि के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो यह सभा पटल पर कब रखी जावेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) इस सम्बन्ध में जानकारी इक्ट्ठी की जा चुकी है कि कुल कितने एकड़ भूमि है और उसमें कितने प्रतिशत भूमि जोते जाने के योग्य है । इस जानकारी की अब जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ख) जानकारी के तैयार होते ही यह सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

### दिल्ली में क्षय रोग

†८१२. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
**श्री राम कृष्ण** :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में क्षय रोग-निरोधक कार्यवाही करने के लिये अधिक अनुदान के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

### खाद्यान्न का स्टाक

†८१३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी, १९५९ को बम्बई राज्य में स्थित अनाज के केन्द्रीय गोदामों में कितना चावल और गेहूं था ; और

(ख) वर्ष १९५८ की अन्तिम तिमाही में इन गोदामों में से कितनी मात्रा राज्य से बाहर गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) यह समझा जाता है कि यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

(ख) लगभग २ लाख ६५ हजार टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## चावल की वसूली

†८१४. **श्री पांगरकर:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के नवम्बर और दिसम्बर तथा १९५९ के जनवरी महीनों में केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य और मध्य प्रदेश से कुल कितना चावल वसूल किया है ; और

(ख) इसे किन किन स्थानों पर जमा किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित विवरण में दी जाती है :

| राज्य का नाम | नवम्बर, १९५८ में वसूल किया गया परिमाण | दिसम्बर, १९५८ में वसूल किया गया परिमाण | जनवरी, १९५९ में वसूल किया गया परमिाण | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| | | (ये आंकड़े हजार टनों में हैं) | | |
| आंध्र प्रदेश | बिल्कुल नहीं | बिल्कुल नहीं | १७.५ | १७.५ |
| मध्यप्रदेश | बिल्कुल नहीं | ३८.८ | ४८.९ | ८७.७ |
| उड़ीसा | बिल्कुल नहीं | बिल्कुल नहीं | बिल्कुल नहीं | बिल्कुल नहीं |
| जोड़ | बिल्कुल नहीं | ३८.८ | ६६.४ | १०५.० |

(ख) यह चावल बम्बई, बिहार, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में केन्द्रीय सरकार के डिपुओं में जमा करने के लिये ले जाया गया है ।

## सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में सूअर

†८१५. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में सूअरों का पालन आरम्भ करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) भारत सरकार ने सूअरों को पालने और उनकी नस्ल में सुधार करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन हाल ही में एक अखिल भारतीय सूअर-पालन योजना आरम्भ की है । इस योजना के अधीन उन सभी सामुदायिक विकास सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को सूअर-पालन का विकास करने में प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें इस क्षेत्र में विकास की काफी गुंजायश हो ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक टिप्पण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**

†मूल अंग्रेजी में

## नई रेलवे लाइनें

†८१६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से लेकर १९५८ के अन्त तक प्रत्येक ज़ोन में कुल कितने रूट मील लम्बी रेलवे लाइनें बिछायी गयी हैं ;

(ख) उन पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) क्या पिछड़े हुये क्षेत्रों में भी इस प्रकार की नयी लाइनों का निर्माण किया जायगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५]**

## सिंचाई की दरें

†८१७. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैदावार बढ़ाने के लिये खाद्यान्न समिति की सिफारिश के अनुसार विभिन्न राज्यों में सिंचाई की दरें कम कराने के लिये कुछ कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). विचार और आवश्यक कार्यवाही के लिये खाद्यान्न जांच समिति की सिंचाई की दरों सम्बन्धी सिफारिश विभिन्न राज्य सरकारों को भेज दी गयी है क्योंकि वही इसे क्रियान्वित करने के लिये उत्तरदायी हैं ।

## कांगड़ा वैली रेलवे

†८१८. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी लाइन (नैरो गेज) की कांगड़ा वैली रेलवे के लिये १९५८ में कुल कितने सवारी-डिब्बे, माल डिब्बे और इंजन मंजूर किये गये थे ;

(ख) इन सवारी डिब्बों, माल डिब्बों और इंजनों में से वास्तव में कितनों-कितनों का इस्तेमाल किया गया ;

(ग) इनमें से प्रत्येक में कितने-कितने डिब्बे--इंजन आदि टूटी-फूटी या इस्तेमाल न किये जा सकने की हालत में हैं ; और

(घ) वे कितने समय से इस दशा में पड़े हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

| | | |
|---|---|---|
| | इंजन | १९ |
| | सवारी-डिब्बे | ६६ |
| | माल डिब्बे | ८६ |
| (ख) | इंजन | १६ |
| | सवारी-डिब्बे | ५४ |
| | माल डिब्बे | ७५ |

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) इनमें से एक भी क्षतिग्रस्त अथवा इस्तेमाल न किये जा सकने की हालत में नहीं था, लेकिन ३१–१–५९ को निम्नलिखित स्टाक समय समय पर होने वाली सफाई आदि या संचालन-जन्य मरम्मतों के लिये पड़ा था :—

| | |
|---|---|
| इंजन | ३ |
| सवारी डिब्बे | १२ |
| माल डिब्बे | ११ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (घ) | (१) | १ सवारी डिब्बा | ३-१२-५८ से |
| | | १ सवारी डिब्बा | १२-१-५९ से |
| | | १० सवारी डिब्बे | एक माह से । |
| | (२) | १ माल डिब्बा | २६-७-५८ से |
| | | १ माल डिब्बा | ४-१२-५८ से |
| | | १ माल डिब्बा | ३-१२-५८ से |
| | | १ माल डिब्बा | १५-१-५९ से |
| | | ७ माल डिब्बे | एक महीने से |
| | (३) | ३ इंजन | एक महीने से |

कांगड़ा वैली सेक्शन के छोटी लाइन वाले इंजन-डिब्बों और कालका-शिमला सेक्शन की देखरेख करने वाली वर्कशाप कालका में है । समय समय पर होने वाली सफाई आदि के लिये कांगड़ा वैली सेक्शन के इंजन-डिब्बे बड़ी लाइन के माल डिब्बों में लाद कर कालका भेज दिये जाते हैं और इसी प्रकार कालका भेजे जाते हैं, इसलिये स्वाभाविक ही है कि ये इंजन-डिब्बे आदि काफी दिन में लौट कर आते हैं। ऊपर से बड़ी संख्या में इंजन-डिब्बे प्रतिमान से घटिया किस्म के हैं और केवल इसीलिये उन से काम लिया जा रहा है कि अर्थोपाय सम्बन्धी स्थिति काफी विषम है ।

### दुहरी फसल वाली ज़मीन

†८१९. { **श्री अरविन्द घोषाल :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :** }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के आंकड़े एकत्र किये गये हैं कि कितने एकड़ भूमि में दो फसलें पैदा होती हैं; और

(ख) यदि हां, तो कौन-सा राज्य दो फस्लें पैदा करने में सबसे आगे बढ़ा हुआ है ?

**†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) जी हां। "फसली वर्ष में एक से अधिक बार बोये जाने वाले क्षेत्रों" सम्बन्धी जानकारी वार्षिक भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़ों के अंश के रूप में एकत्र की जाती है ।

(ख) १९५५-५६ के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार वह सब से बड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है जिसमें वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है । एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह दिखाया गया है कि प्रत्येक राज्य के कितने कितने क्षेत्र में वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा की जाती है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९**]

---

†मूल अंग्रेजी में

## त्रिपुरा में भूमि का अधिग्रहण

†८२०. **श्री दशरथ देब :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन द्वारा अधिगृहीत भूमि का मुआवज़ा १९४६ की दर पर दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो त्रिपुरा की १९४६ या उससे पहले की और १९५५ के बाद की दरों में कितना अन्तर है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

## हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्नों का स्टाक

†८२१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के केन्द्रीय गोदामों में अनाज के स्टाक की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय सरकार का एक भी गोदाम नहीं है । यह ख्याल किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन की डिपुओं के स्टाक के बारे में जानकारी देना लोक-हित में नहीं है ।

## भाल (राजकोट) में भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजनायें

†८२२. { **श्री अगाड़ी :**
**श्री सिद्धनंजप्पा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाल (राजकोट) में भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण और मुख्य योजना की प्राक्कलित लागत कितनी है; और

(ग) इसकी संभावनाएं क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) और (ख). बम्बई सरकार ने खबर दी है कि भूतपूर्व सौराष्ट्र सरकार ने लगभग चार वर्ष पहले एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया था लेकिन उसकी लागत कितनी थी यह पता नहीं है । मुख्य योजना की लागत (पुनरीक्षित) ५६ लाख रुपये है । ४५ लाख रुपयों की प्राक्कलित लागत पर डच विशेषज्ञों की सहायता से एक अग्रिम पोल्डर[1] का निर्माण किया जाने वाला है । इस सम्पूर्ण परियोजना पर, जिसमें अब तक पूरे हो चुके और चालू निर्माण कार्य की लागत भी शामिल है, लगभग १८३ से २०० लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) मौजूदा प्राक्कलनों के अनुसार अंततोगत्वा ६२,००० एकड़ क्षेत्र को इससे लाभ पहुंचेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Polder.

## पुरी रेलवे स्टेशन

†८२३. { श्री संगण्णा :
　　　　श्री पाणिग्रही :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पश्चिम रेलवे के पुरी रेलवे स्टेशन के सुधार की कोई योजना रेलवे मंत्रालय के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो पुरी रेलवे स्टेशन के लिये किन सुधारों का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) क्या प्रस्तावित सुधार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त के पहले पूरे हो जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

(ख) (१) प्लेटफार्म संख्या २ और ३ का विस्तार।

(२) उपरोक्त संख्या १ के ऊपर की साया का विस्तार।

(३) कार्यालय के साथ एक नये गुड्सशेड और व्यापारियों के एक प्रतीक्षालय का निर्माण।

(ग) उपर्युक्त (१) पूरा हो चुका है, (२) को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और (३) के योजना अवधि के भीतर पूरे हो जाने की आशा है।

## अनाजों की किस्में

†८२४. **श्री जाधव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस समय प्रत्येक प्रकार के कितने कितने अनाजों की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में प्रत्येक में किन-किन अनाजों की पैदावार होती है और किन-किन में कौन-कौन से अनाजों की कमी पड़ती है;

(ग) उपर्युक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस समय कुल कितनी भूमि में खेती की जाती है और कितने क्षेत्र में निकट भविष्य में खेती आरम्भ की जाती है; और

(घ) राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में इस समय कितने प्रतिशत सिंचित भूमि है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). विनियंत्रण अथवा सीमित नियंत्रण की हालत में ठीक-ठीक इस बात का अनुमान लगाना कठिन होता है कि किसी विशेष काल में किसी राज्य में कितने अनाज की कमी है क्यों कि सामान्य उत्पादन वाले वर्ष में जो राज्य साधारणतया बचत वाला या आत्म-निर्भर राज्य होता है वह कम उत्पादन या व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों में अत्यधिक अनाज मंगा लिये जाने के कारण कमी वाला राज्य बन जा सकता है। साधारणतया आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब बचत वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मद्रास और मैसूर कमोबेश आत्म-निर्भर राज्य हैं और अन्य राज्य बचत वाले राज्य हैं।

उत्पादन और निकासी के आंकड़े खाद्य सांख्यकी सम्बन्धी बुलेटिन में दिये हुए हैं जिसकी प्रतियां संसद् सदस्यों को दे दी गयी हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) और (घ). लोक सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७**]

**मुआवज़ा**

†८२५. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक रेलवे के प्रत्येक ज़ोन में कितनी-कितनी दुर्घटनायें हुई हैं और इनमें दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को कितना मुआवज़ा दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : १९५७-५८ और १९५८-५९ (३१-१-५९ तक) में भारतीय रेलवे के प्रत्येक ज़ोन में हुई गम्भीर दुर्घटनाओं और दिये गये मुआवजे का विवरण नीचे दिया जाता है :—

| रेलवे | गम्भीर ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या | | चोटों, मृत्यु या सम्पत्ति की क्षति के बारे में यात्रियों को दिया गया मुआवजा | |
|---|---|---|---|---|
| | १९५७-५८ | १९५८-५९ ३१-१-५९ तक | १९५७-५८ | १९५८-५९ ३१-१२-५९ तक |
| मध्य | ४ | १ | २,७१,५३३.३३ | ४०,४०४.७९ |
| पूर्व | ६ | १ | ५९,३०९.३१ | कुछ नहीं |
| उत्तर | ३ | २ | १,२६,०९०.१८ | कुछ नहीं |
| पूर्वोत्तर | — | ५ | कुछ नहीं | ४,०८५.०० |
| पूर्वोत्तर सीमा | — | २ | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| दक्षिण | १ | १ | १००.०० | कुछ नहीं |
| दक्षिण-पूर्व | ३ | १ | २,३८५.०० | १,५००.०० |
| पश्चिम | — | १ | कुछ नहीं | १,४२,५४७.०० |
| जोड़ | १७ | १४ | ४,५९,४१७.८२ | १,८८,५३६.७९ |

**दावे**

†८२६. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में प्रत्येक ज़ोन में खोये और क्षतिग्रस्त माल के लिये दावों के रूप में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

| रेलवे | १९५७-५८ (हजार रुपयों में) | *१९५८-५९ (३१ दिसम्बर, १९५८ तक) (हजार रुपयों में) |
|---|---|---|
| मध्य | ७५,०३ | ३०,७७ |
| पूर्व | ४३,१८ | ५१,३३ |
| उत्तर | ५२,८८ | ३८,०१ |
| पूर्वोत्तर | ५१,२३ | १६,०८ |
| पूर्वोत्तर सीमा | .. | १५,७० |
| दक्षिण | २०,६४ | १६,४८ |
| दक्षिण पूर्व | ५३,६५ | ३२,५४ |
| पश्चिम | ३०,८४ | २६,४३ |
| जोड़ | ३२७,४५ | २२७,३४ |

*अस्थायी और बिना लेखा-परीक्षा हुए ।

**अनाजों की मूल्य देशना**

†८२७. **श्री जाधव : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनाजों की मूल्य देशना क्या थी और प्रत्येक राज्य तथा राज्य-क्षेत्र के विषय में अब तक हर महीने के अलग अलग आंकड़े क्या हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कितनी-कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें हैं ; और

(ग) कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उचित मूल्य पर समुचित संभरण सुनिश्चित करने के लिये पिछले छः महीनों में कितन-कितने चक्की वालों और थोक-व्यापारियों के स्टाक जब्त कर लिये गये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) मांगी गयी जानकारी भारत सरकार के आर्थिक परामर्शदाता के कार्यालय द्वारा बिक्री के प्रकाशित "भारत में थोक भावों के देशनांक" नामक प्रकाशन में उपलब्ध हैं ।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**

†मूल अंग्रेजी में

(ग) माननीय सदस्य का प्रयोजन शायद स्टाकों के अधिग्रहण से है। अनाजों के स्टाक आन्ध्र, बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में अधिगृहीत कर लिये गये थे।

### पंजाब में गन्ना

†८२८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब राज्य में गन्ने के विकास के निमित्त दी गई कुल कितनी राजसहायता अब तक किन-किन फैक्टरियों में पक्की सड़कों के निर्माण पर व्यय की गई है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और इन से लाभान्वित होने वालों ने कितना-कितना व्यय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

### पंजाब में गेहूं के भाव

†८२९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में गेहूं के मौजूदा भाव क्या हैं ; और

(ख) राज्य में अब तक कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें खोली गई हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पंजाब में अच्छे औसत दर्जे के गेहूं के थोक भाव इस समय २० रुपये से २२.५० रुपये प्रति मन की दर से चल रहे हैं। और आम रुझान गिरावट की ओर है।

(ख) १,०९२ ।

### होटल उद्योग

†८३०. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों के परामर्श से होटल उद्योग के सभी पहलुओं को लेते हुए एक व्यापक विधान तैयार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक तैयार हो जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). यह बात कि होटल उद्योग के सभी पहलुओं को लेते हुए एक व्यापक विधान पुरःस्थापित किया जाय, होटल प्रतिमान तथा दर निर्धारण समिति की सिफारिशों में शामिल थी, जो उसने भारत सरकार को पिछले वर्ष दिये गये अपने प्रतिवेदन में की थीं। इस सिफारिश को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार का विधान पेश करने से पहले भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटक-अभिकरणों के प्रतिनिधियों आदि से परामर्श करना पड़ेगा, अभी से यह कहना कठिन है कि प्रस्तावित विधान संसद् में पुरःस्थापन के लिये कब तक तैयार हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

## केलों का विजलीयन[1]

†८३१. **श्री जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में केलों के विजलीयन के कितने-कितन केन्द्र हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि रूस में भारत के विजलीकृत केलों की काफ़ी मांग है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## दामोदर घाटी निगम का जल-कर

†८३२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की जल-कर सम्बन्धी सूचना इस बीच संकलित हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : पश्चिम बंगाल सरकार से अब भी इस सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और यथासमय इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

## पंजाब में कृषि सम्बन्धी योजनायें

†८३३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में विभिन्न कृषि सम्बन्धी योजनाओं के विकास के लिये उस राज्य को प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने कितनी-कितनी राशि आवंटित की थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: प्रथम पंचवर्षीय योजना के अलग अलग वर्षों में पंजाब सरकार को विभिन्न कृषि सम्बन्धी योजनाओं के विकास के लिय केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशियां निम्नलिखित हैं :—

| | (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| १९५१-५२ | ०.५ |
| १९५२-५३ | ०.९ |
| १९५३-५४ | ०.६ |
| १९५४-५५ | २.४ |
| १९५५-५६ | ४.७* |

*इस में नलकूपों के लिये मंजूर किया गया ३.५ करोड़ रुपयों का ऋण भी शामिल है ।

## पुस्तिकायें तथा प्रचार पुस्तिकायें

†८३४. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों में बचाव सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करने के लिये बचाव सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों की अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में छपी पुस्तिकायें और प्रचार पुस्तिकायें उनमें बांटी जा रही हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Dehydration.

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी पुस्तिकायें और प्रचार-पुस्तिकायें पंजाबी में प्रकाशित हुई हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(घ) उनके कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) पंजाबी भाषा केवल उत्तर रेलवे के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है और उसने गुरुमुखी लिपि में एक प्रचार-पुस्तिका निकाली है । इसके अलावा एक मासिक दुर्घटना सम्बन्धी बुलेटिन भी गुरुमुखी भाषा में नियमित रूप से निकलता है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

### जिंदपुर रेलवे स्टेशन पर डाकुओं का छापा

†८३५. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकुओं ने ६ फरवरी, १९५९ को शाहजहांपुर और पीलीभीत के बीच जिन्दपुर रेलवे स्टेशन पर छापा मार कर रेलवे सम्पत्ति लूट ली जिसमें नक़दी भी शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). ५ फरवरी, १९५९ की रात को २–१५ बजे के लगभग करीब २०–२५ व्यक्ति दरवाज़े के शीशे तोड़ कर जिन्दपुर स्टेशन के असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के कार्यालय में घुस गये । अनाधिकार प्रवेश करने वाले इन व्यक्तियों ने असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सभी खाने छान मारे और पड़ोस के गांवों से मदद आने पर १२ रुपयों की थोड़ी सी नकदी और थोड़ी सी कीमत के कुछ कपड़े आदि ले कर चलते बने । इसके अलावा रेलवे की और कुछ सम्पत्ति नहीं लूटी गई न कोई रेलवे कर्मचारी घायल ही हुआ ।

(ग) तत्काल रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र संरक्षण की व्यवस्था कर दी गई और इस मामले की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गई । अधिकारीगण भी शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंच गये, उन्होंने आवश्यक पूछताछ की और कर्मचारियों को ढाढस दिया ।

### गौहाटी में मेडिकल कालेज

†८३६. **श्री बसुमतारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आसाम सरकार ने गौहाटी में एक दूसरे मेडिकल कालेज की स्थापना के बारे में कोई योजना दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : भारत सरकार को गौहाटी में एक दूसरे मैडिकल कालेज़ की स्थापना के बारे में आसाम सरकार की कोई योजना नहीं मिली है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

### गोदामों के किरायों का भुगतान न किया जाना

†८३७. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा गोदामों का किराया न दिये जाने के संबंध में कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) इन मामलों को समाप्त क्यों नहीं किया गया है; और

(ग) क्या निकट भविष्य में इन मामलों के समाप्त हो जाने की कुछ आशा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) गैर-सरकारी पार्टियों से किराये पर लिये गये गोदामों के बारे में ४६ ।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) जी हां, ऊपर (ख) में उल्लिखित बातों के तय होते ही ।

### दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानें

†८३८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की विभिन्न सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में उचित मूल्य की कितनी दूकानें हैं; और

(ख) अब तक ये दूकानें किन बस्तियों में नहीं खुली हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) तथा (ख). इस वर्ष उचित मूल्य की दूकानों की खोलने में वितरण का वही आधार अपनाया गया है जो पिछले वर्षों में था, अर्थात् दिल्ली को १८ ऐसे सर्किलों में बांटना जिन में प्रत्येक उपभोक्ताओं को वितरण की दृष्टि से सुविधापूर्ण हो : कुछ क्षेत्रों में उचित मूल्य की दूकानों की संख्या, जहां कि अधिकतर जनसंख्या सरकारी कर्मचारियों की हैं, निम्न है :

| क्षेत्र | गेहूं की दूकानों की संख्या | आटे की दूकानों की संख्या | योग |
|---|---|---|---|
| विनय नगर . | १ | ३ | ४ |
| लोदी कालोनी . | ४ | २ | ६ |
| गोल मार्केट | ३ | ९ | १२ |
| देव नगर | ३ | ८ | ११ |
| सेवा नगर | १ | .. | १ |
| तिमारपुर | १ | १ | २ |
| साउथ एवेन्यू . | .. | १ | १ |
| योग . . | १३ | २४ | ३७ |

†मूल अंग्रेजी में

## दिल्ली मल शोधन संयंत्र

†८३९. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री ६ दिसम्बर १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १११६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के पास केशवपुर में मल शोधन संयंत्र से उत्पन्न गैस को विद्युत् में परिवर्तित करने की योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: केशवपुर का मल शोधन संयंत्र अभी चालू नहीं हुआ है । इस संयंत्र द्वारा उत्पादित गैस शक्ति विद्युत् शक्ति में परिवर्तित की जायेगी और इस में कार्य आरम्भ होने पर संयंत्र के चलाने में प्रयोग होगी ।

## केरल में तटबन्ध

†८४०. **श्री सिद्धनन्जप्पा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने राज्य में तटबन्धों के निर्माण की योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की तफसील क्या है ? और

(ग) योजना पर केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) तथा (ख). केरल सरकार ने पिछले दिनों केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को एक नोट भेजा था जिस में राज्य के लिये आवश्यक बाढ़ नियंत्रण उपायों का उल्लेख था । इन उपायों में तटबन्धों का निर्माण, नदियों से मिट्टी हटाना तथा जलमार्ग बनाना एवं बाढ़ के जल का विभिन्न नदियों पर जमा करना सम्मिलित है । नोट में भारत सर्वेक्षण चित्रमान के सामान्य अध्ययन तथा क्षेत्र के मार्गदर्शन पर आधारित अस्थायी प्रस्ताव हैं । जिन प्रस्ताव की पुष्टि आंकड़ों से नहीं की गई है उन पर १२५० लाख रु० के व्यय का अनुमान है जैसा कि निम्न दिया है :

| | लाख रुपये |
|---|---|
| तटबन्ध . . . | ८७५ |
| संग्रहण कार्य . . . | २०० |
| मिट्टी हटाना तथा जल मार्ग बनाना . . . | १४६ |
| विविध कार्य . . . . | २९ |
| योग | १२५० |

(ग) केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड न अभी तक केरल सरकार के नोट पर विचार नहीं किया है । राज्य सरकार से गहन जांच पड़ताल के बाद जल विद्युत् संबंधी तथा अन्य आंकड़ों सहित विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है । इन के तैयार होने पर राज्य टैक्निकल परामर्शदात्री समिति तथा राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड विचार करेगा तथा स्वीकार करेगा । तब मध्य भारत नदी आयोग (बाढ़) इन की जांच करेगा और फिर ये केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के समक्ष रखे जायेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

**कलकत्ता में धूंश्रा से परेशानी**

†८४१. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री मोहम्मद इलियास :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार से धुंश्रा से होने वाली परेशानी का मुकाबला करने की एक योजना प्राप्त हुई है; श्रौर

(ख) यदि हां, तो क्या इस के लिये मंजूरी दे दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

## स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : (बसिरहाट) : श्रीमान्, श्राप ने इंडियन श्राइरन एण्ड स्टील कम्पनी में हुई उस दुर्घटना से सम्बन्धित मेरे स्थगन प्रस्ताव की श्रनुमति नहीं दी है, जिस में पिघले हुए लोहे के गिरने के कारण श्रनेक कर्मचारी मारे गये हैं। श्रापने श्रनुमति इस श्राधार पर नहीं दी है कि वह एक निजी समवाय है। लेकिन श्राप को मालूम होगा कि भारत सरकार ने उसे १० करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये हैं ।

†**श्रध्यक्ष महोदय** : इस दुर्घटना के बारे में "स्टेट्समैन" की खबर है कि पिघले हुए लोहे के गिरने से एक व्यक्ति मारा गया। यह दुर्घटना क्रेन के टूटने से हुई। ऐसी दूर्घटनायें हो जाती हैं, मगर इस के लिये बैठक का स्थगन तो नहीं किया जा सकता। फिर किसी निजी समवाय को ऋण भर देने से वह हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं श्रा जाता। इसलिये मैं इस की श्रनुमति नहीं दूंगा। उस दुर्घटना के लिये समवाय पर मुकदमा चलाया जा सकता है, इस सभा में स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता। मैं इस की श्रनुमति नहीं देता ।

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

**श्रत्यावश्यक पण्य श्रधिनियम के श्रन्तर्गत श्रधिसूचनायें**

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : मैं श्रत्यावश्यक पण्य श्रधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के श्रन्तर्गत, निम्न श्रधिसूचनाश्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० श्रार० ६२, दिनांक १७ जनवरी, १९५९, श्रौर

(२) जी० एस० श्रार० १०२, दिनांक २४ जनवरी, १९५९ ।

**[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी०—१२४१/५९]**

---

†मूल श्रंग्रेज़ी में

## विनियोग विधेयक*

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान तथा विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५८-५९ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों का भुगतान तथा विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित§ करता हूं :

---

## विशेषाधिकार समिति

### आठवां प्रतिवेदन

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : विशेषाधिकार समिति के आठवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं एक स्पष्टीकरण कर लेना चाहता हूं। ऐसे मामलों में, नियम ३१५ के अनुसार, हमें पहले तो प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा करनी पड़ेगी और उसके स्वीकृत होने के बाद मूल प्रतिवेदन पर चर्चा करनी पड़ेगी। प्रतिवेदन पर तो हम सभी चर्चा करना ही चाहते हैं। इसलिये अच्छा तो यह होगा कि पहली अवस्था को छोड़ दिया जाये, विचार प्रस्ताव को रखा ही न जाये, सीधे प्रतिवेदन पर चर्चा की चाये। इस से सभा का समय बच जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रक्रिया के अनुसार तो यह है कि विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित होने के बाद उस पर विचार करने का प्रस्ताव रख कर सभा की अनुमति ली जाती है, और अनुमति मिलने के बाद फिर उस प्रतिवेदन पर विचार किया जाता है। अब यदि सभा श्री नौशीर भरूचा के सुझाव से सहमत हो, तो हम पहली अवस्था को छोड़ कर, दूसरी से चर्चा आरम्भ कर सकते हैं। इस से आध घंटे की बचत होगी ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : मैं समझता हूं कि यह भी जानना जरूरी है कि हम प्रतिवेदन पर चर्चा क्यों करना चाहते हैं। विशेषाधिकार समिति को यह मामला सौंपते समय हमें तार का पूरा पाठ नहीं मालूम था। समिति ने यह सोचा कि उस तार के सिर्फ उस एक वाक्य पर ही उसे विचार करना है जिसे सदस्यों ने आपत्तिजनक बताया था। अब हमारे सामने पूरा तार आ गया है। इसलिये अब पूरे तार को सामने रख कर, समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना आवश्यक है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : क्या मैं प्रस्ताव कर सकता हूं कि इस मामले पर आगे चर्चा न की जाये ?

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २४-२-५९ में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेजी में

§राष्ट्रपति की अनुमति से पुरःस्थापित ।

†**अध्यक्ष महोदय**: यह प्रस्ताव विचार-प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही रखा जा सकता है।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड): प्रतिवेदन पर चर्चा होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नयी संसद् में विशेषाधिकार भंग के कई मामले उठे हैं, लेकिन केवल इस बार ही ऐसा हुआ है कि विशेषाधिकार समिति को सौंपने से पहले उस पर पूरी तौर से चर्चा कर ली गई है। अब प्रतिवेदन आने के बाद फिर से उस पर चर्चा करने की बात कही जा रही है। अभी तक तो प्रथा यही रही है कि सभा विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेती है। हमें लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देना चाहिये कि इस मामले पर बार-बार चर्चा इसीलिये की जा रही है कि यह केरल के मुख्य मंत्री से सम्बन्धित मामला है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अब इस मामले पर फिर से चर्चा क्यों की जाये। वैसे मुझे उस पर आपत्ति नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट): मैं एक बात पूछती हूं। अभी हम, नियम ३१५(१) के अन्तर्गत प्रतिवेदन पर विचार करने की अनुमति का प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे। उसके बाद, फिर एक मूल प्रस्ताव रखा जायेगा कि सभा संशोधनों और सिफारिशों से सहमत या असहमत है। लेकिन वे संशोधन अभी परिचालित कहां किये गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को मौखिक रूप से संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे दूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : लेकिन सामान्यतया तो आप इसकी अनुमति नहीं देते। आपका विनिर्णय क्या है ?

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) जब तक प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता तब तक कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमों में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन नियमों से यह लगता है कि विचार आरम्भ करते ही, कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर अपना संशोधन मौखिक रूप से बता सकते हैं। यदि वह संशोधन पेचीदा किस्म का हो, तो माननीय सदस्यों को उसे विचारने और अन्य संशोधन पेश करने के लिये अधिक समय दिया जा सकता है। इसमें तो कोई घुमावदार बात है नहीं। श्री नौशीर भरूचा ने यही सुझाव दिया है कि इस पर दो अवस्थाओं में चर्चा न की जाये। मैं सीधे ही विचार प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रख सकता हूं। माननीय सदस्य यदि प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कोई संशोधन रखना चाहेंगे तो मैं उन्हें लिख लूंगा, और फिर उन्हें निपटाया जा सकता है।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : इस नियम से ऐसा कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता, कि संशोधन रखे जा सकते हैं; क्योंकि इस नियम में संशोधनों का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। अन्य प्रक्रिया नियमों में जहां भी संशोधनों का उल्लेख आवश्यक है, वहां अवश्य किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि विचार-प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद, संशोधनों के लिये कुछ समय देना जरूरी ही हो, तो माननीय सदस्य अभी से अपने संशोधन मुझे दे सकते हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : आप विचार-प्रस्ताव मतदान के लिये रख दें, उसके बाद ही मैं मूल प्रस्ताव रख सकूंगा।

†**श्री अशोक मेहता** : मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि सभा को पूरे तार पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जाये। समिति ने पूरे तार पर विचार नहीं किया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा): माननीय सदस्य सिर्फ यही चाहते हैं कि उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले । श्री भरूचा भी यही चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस नियम के उपखंड (२) के अनुसार, इस अवस्था पर प्रतिवेदन के ब्यौरे पर चर्चा नहीं की जा सकती । मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य सहमत हैं कि प्रतिवेदन पर विचार किया जाये । इसलिये अब हम दूसरी अवस्था में चल सकते हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि विशेषाधिकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर, जो २० फरवरी, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा में २० फरवरी, १९५९ को उपस्थापित किये गये विशेषाधिकार समिति के आठवें प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए और यह सिफारिश करते हुए कि इस मामले में आगे और कोई कार्यवाही न की जाये यह सभा इस बात पर खेद प्रकट करती है कि दिनांक २० सितम्बर, १९५८ के तार में इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उचित रूप से व्यक्त किये गये विचारों के सम्बन्ध में 'अनियमित रूप से प्रहार करना' और, 'राजनैतिक प्रचार की दृष्टि से धोखाधड़ी' जैसे अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया ।"

मोटे तौर पर यह पूरा मामला इस तरह है । २० सितम्बर, १९५८ को 'प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया' की एक सूचना के अनुसार, केरल के मुख्य मंत्री ने गृह-कार्य मंत्री के नाम एक तार भेजा था । उसमें कुछ शब्द ऐसे थे जिनका मतलब निकलता था कि इस सभा के कुछ सदस्य केरल प्रशासन के प्रति अपमान वचन कह रहे हैं या झूठी बदनामी कर रहे हैं ।

उस समय इस मामले पर जितनी भी चर्चा हुई थी, वह केवल एक शब्द यानी अपमान वचन (स्लैंडर) को लेकर हुई थी, क्योंकि मूल तार का पूरा पाठ हमारे सामने नहीं था । हमने विशेषाधिकार भंग का प्रश्न समाचार पत्रों की सूचना के आधार पर ही उठाया था । उसी को देखते हुए यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था । उस समय सभा का पूरा ध्यान उन कुछ शब्दों पर ही लगा था, और विशेषाधिकार समिति की राय उन कुछ शब्दों के बारे में ही मांगी गई थी ।

समिति के लिये यही उचित था और उसने यह किया भी कि सिर्फ उन कुछ शब्दों के औचित्य पर ही विचार किया । उस समय हम समाचार पत्रों की सूचना के आधार पर यही समझ रहे थे कि उस तार में सिर्फ यही कहा गया है कि कुछ माननीय सदस्य केरल प्रशासन की झूठी बदनामी करने की कोशिश करते हैं । जबकि पूरा तार अब देखने से स्पष्ट है कि मुख्य मंत्री का आशय यह था कि अगर केरल राज्य सरकार को स्पष्टीकरण करने का अवसर न दया गया तो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा केरल प्रशासन के बारे में कही गई बातें अपमान वचन या झूठी बदनामी (स्लैन्डर) ही मानी जायेंगी, फिर उनमें तथ्य चाहे जितना हो, या न हो । जाहिर है कि विशेषाधिकार समिति ने इसे विशेषाधिकार भंग नहीं माना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन पूरा तार सामने आने पर, उसमें दो और ऐसी शब्दावलियां मिलती हैं, जो पहले की उस शब्दावली से कहीं सख्त हैं जिसकी हमने शिकायत की थी। प्रतिवेदन के परिशिष्ट २ में तार का मूल पाठ दिया गया है। उसमें एक स्थान पर कहा गया है कि श्री मेहता ने केरल के कुछ अधिकारियों पर जो आक्षेप किये हैं वे अनुचित रूप से किये गये हैं और ऐसा करना अनियमित रूप से प्रहार करना है, जब तक कि वास्तविक तथ्यों को और उनका स्पष्टीकरण नहीं सुना जाता। बाद में, उसी तार में श्री मेहता के आरोपों को राजनीतिक प्रचार की दृष्टि से धोखाधड़ी कहा गया है।

विशेषाधिकार समिति इन पर विचार नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके निर्देश पद में केवल एक ही पहले वाली शब्दावली पर विचार करना था।

विशेषाधिकार समिति ने केवल अपमान वचन (स्लेन्डर) शब्द पर विचार किया है। लेकिन सभा इन दो शब्दावलियों पर भी विचार कर सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो सभा को उसी समय कहना चाहिये था कि विशेषाधिकार समिति पूरे तौर पर विचार करे। अब इस समय उस पर विचार नहीं किया जा सकता। अभी तो प्रतिवेदन के विषय पर ही विचार व्यक्त किये जा सकते हैं।

समिति ने तार के पूरे पाठ पर इसीलिये विचार नहीं किया कि उससे सभा ने एक शब्दावली विशेष पर ही विचार करने के लिये कहा था। इसलिये अब पूरे तार को चर्चा का विषय बनाना प्रस्ताव के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

†**श्री नौशीर भरूचा :** लेकिन सभा तो उन पर विचार कर सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसके लिये अलग से सूचना दी जानी चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा :** यह सभा इस प्रतिवेदन को फिर से विशेषाधिकार समिति को सौंप सकती है और अनुरोध कर सकती है कि समिति तार के पूरे पाठ पर विचार करे।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं समझी। सभा ऐसा तभी कर सकती है जबकि कोई माननीय सदस्य ऐसा प्रस्ताव करें। उसके लिये माननीय सदस्य को सूचना देनी चाहिये, जैसी कि श्री मसानी ने दी थी। तब हम उस पर विचार करेंगे कि उसे विशेषाधिकार समिति को सौंपना चाहिये, या नहीं। लेकिन अभी इस समय तो हम तार के उसी भाग को चर्चा का विषय बना सकते हैं, जो विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया था।

†**श्री नौशीर भरूचा :** नियम ३१५ (३) में दिया गया है कि विचार प्रस्ताव को स्वीकृति के बाद कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है या संशोधनों के साथ स्वीकार करती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** लेकिन संशोधन भी तो प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ही होना चाहिये।

इसलिये प्रस्ताव का वह भाग नियम बाह्य है। हां, प्रस्ताव का पहला भाग अवश्य संगत है। अन्य बातों की चर्चा के लिये, माननीय सदस्य को अलग से प्रस्ताव रखना चाहिये। अभी इस समय तो हम प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्रश्नों को ले सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अशोक मेहता** : सभा ने विशेषाधिकार समिति को सौंपने का जो प्रस्ताव स्वीकृत किया था उसमें तार की ओर समिति का ध्यान आकर्षित किया गया था। उस समय पूरा तार हमारे सामने नहीं था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस प्रस्ताव में खास तौर पर अपमान-वचन (स्लैन्डर) शब्द की ओर समिति का ध्यान आकर्षित किया गया था, पूरे तार की ओर नहीं। उस समय समाचार पत्रों से जो भी सूचना मिली थी, वह उसी के बारे में ही थी। विशेषाधिकार समिति ने उसे विशेषाधिकार भंग नहीं माना है। अब यदि माननीय सदस्य उस तार की दूसरी बातों को लेना चाहते हैं, तो उसके लिये अलग से प्रस्ताव की सूचना आनी चाहिये, इस प्रतिवेदन के संशोधन के रूप में नहीं। मैं इसे नियम बाह्य करार देता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : पूरे तार में दो अन्य स्थानों पर भी निन्दापूर्ण आक्षेप किये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री भरूचा के प्रस्ताव के उस भाग की अनुमति नहीं दी है। श्री भरूचा अब अपने प्रस्ताव के केवल पहले भाग--"आगे और कोई कार्यवाही न की जाये"-- के बारे में ही कहें।

†**श्री नौशीर भरुचा** : तार भी तो अब प्रतिवेदन का भाग है। मैं उस के सम्बन्ध में तो कह सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, लेकिन संगत होना चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा** : प्रतिवेदन के साथ तार का पूरा पाठ संलग्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिये, जो मूल प्रस्ताव में न हो।

अब मैं अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : विशेषाधिकार समिति ने जो कुछ भी कहा है, वह हमें स्वीकार है। हमें किसी दलगत आधार पर इस मामले पर विचार नहीं करना चाहिये। हमें सब को मिल कर देश के लिये काम करना सीखना चाहिये। मेरा सुझाव है कि इस मामले में आगे और कोई कार्यवाही न की जाये।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची--पश्चिम--रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां) : अब पूरा तार सामने आने पर एक बिल्कुल नई परिस्थिति पैदा हो गई है। प्रश्न यह है कि क्या हम प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दें, और एक दूसरा प्रस्ताव रखें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : न्यायालयों में भी मानहानि के मुकदमों में यही होता है कि जिस चीज को मानहानि का आधार बनाया जाता है, केवल उसी चीज पर विचार किया जाता है। सारी जिरह उसी पर होती है। उस के सिद्ध होंने न होने पर ही, मुकदमे का निर्णय होता है। हां, बाद में दूसरी बात को लेकर दूसरा मुकदमा दायर किया जा सकता है।

इसलिये अब यदि कुछ माननीय सदस्य तार के दूसरे भागों के बारे में कुछ नये प्रश्न उठाना चाहें, तो वे नये प्रस्तावों की सूचना दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मूल प्रस्ताव पर हम विचार कर चुके हैं। श्री नौशीर भरूचा का विचार प्रस्ताव पारित हो चुका है। राजा महेन्द्र प्रताप ने संशोधन के रूप में एक प्रस्ताव रखा है। उन्होंने अपने संशोधन में कहा है "कि प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद, सभा की राय है कि इस मामले में आगे और कुछ कार्यवाही न की जाये ।"

†**श्री जयपाल सिंह** : यह नियम बाह्य है। यदि श्री भरूचा का प्रस्ताव नियम बाह्य है, तो प्रस्ताव का कोई संशोधन नहीं हो सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन तो प्रतिवेदन के विचार-प्रस्ताव के सम्बन्ध में है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या किसी प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय हम उस के किसी भी भाग का उल्लेख नहीं कर सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह पूरा प्रतिवेदन इस सभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के आधार पर ही खड़ा है। उस से बाहर कैसे जाया जा सकता है ? मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं ।

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : उस समय हमारे पास तार का मूल पाठ तो था ही नहीं। गृह-कार्य मंत्री उस तार को सभा-पटल पर रखने के लिये तैयार थे। यदि सभा उन से कहती तो वह रख देते। सभा ने यह काम विशेषाधिकार समिति पर छोड़ दिया था कि वह गृह-कार्य मंत्रालय से मूल तार प्राप्त कर लें। मूल तार कहीं अधिक खेदजनक है। मुख्य मंत्री ने इस पर बड़े बुरे आक्षेप किये हैं। यह पूरी सभा को चुनौती है। श्री अशोक मेहता को ही नहीं, उस में मुझे भी लपेटा गया है। मुख्य मंत्री संसद्-सदस्यों को बेकार बातें बनाने वाले, मदारी समझते हैं ।

अब विशेषाधिकार समिति ने मूल तार सभा को सुलभ बना दिया है। इसलिये अब सभा को तार के पूरे पाठ पर विचार करना चाहिये। संसद्-सदस्यों की प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये यह जरूरी है ।

†**श्री महन्ती** (ढ़ेंकानाल) : मैं ने एक स्थानापन्न संशोधन रखने की सूचना दी है। मेरा संशोधन यह है कि केरल के मुख्य मंत्री के तार के सारे पाठ को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिवेदन को फिर से विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये। मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि विशेषाधिकार समिति चाहती तो पूरे तार पर विचार कर सकती थी। उस के निर्देश-पद काफी व्यापक थे। संकल्प की प्रस्तावना देखिये ......

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को फिर से वापिस नहीं भेजा जा सकता ।

†**श्री महन्ती** : तब मैं नियम ३१५ (३) के अन्तर्गत यह तो कह सकता हूं कि मैं प्रतिवेदन से सहमत नहीं हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस संशोधन की अनुमति नहीं देता। हां, श्री महन्ती कह सकते हैं कि वह प्रतिवेदन से सहमत नहीं हैं। प्रतिवेदन को फिर से विशेषाधिकार समिति में भेजने की कोई व्यवस्था ही नहीं है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : पहले आप ने सुझाव दिया था कि नया प्रस्ताव रखा जा सकता है, स्थानापन्न प्रस्ताव रखा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन इसी समय नहीं । नये प्रस्ताव की सूचना देनी होगी, और मैं उसे परिचालित करूंगा । मुझे भी विचार करना पड़ेगा कि उस की अनुमति देना ठीक है या नहीं ।

†**श्री महन्ती** : मैं नियम ३१५(३) के अन्तर्गत यह कह सकता हूं कि सभा को विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करना चाहिये । बाद में, इस के लिये एक मूल प्रस्ताव भी रखा जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम में कहा गया है संशोधन के साथ सहमति या असहमति प्रकट की जा सकती है । एक संशोधन रखा जा चुका है कि इस मामले में आगे कार्यवाही न की जाये । माननीय कह सकते हैं कि वह संशोधन से सहमत नहीं हैं । लेकिन इस मामले को विशेषाधिकार समिति को वापिस तो नहीं भेजा जा सकता ।

†**श्री जयपाल सिंह** : आप का विनिर्णय तो उचित है । लेकिन अब तो एक नयी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है । अब हमारे सामने पूरा तार आ गया है । अब हम इस पूरे तार को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं और नये प्रतिवेदन के लिये अनुरोध कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब यदि तार के किसी और भाग के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन चाहिये, तो उस के लिये फिर एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है । मैं उसे माननीय सदस्यों में परिचालित करूंगा । और साथ ही अपनी अनुमति देने न देने के सम्बन्ध में भी विचार करूंगा ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : प्रतिवेदन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । हम उसे स्वीकार करते हैं । हम विशेषाधिकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों से सहमत हैं ।

हम सभी, मेरा ख्याल है कि विरोधी दल के सदस्य भी, श्री अशोक मेहता का बड़ा सम्मान करते हैं । वे बड़े ही निष्ठान, चरित्रवान, ईमानदार, सुसंस्कृत लगनशील और लोकहित के पक्षपाती पुरुष हैं । उन का बर्ताव और उन की आदतें, सभी एक बड़े सज्जन पुरुष की हैं । इसलिये, इस प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए, मैं उन के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहता हूं । और यदि कहीं कोई ऐसी टिप्पणी की गई हो, जो मेरे इस कथन से मेल न खाती हो, तो मैं उस पर अपना खेद प्रकट करने के लिये तैयार हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : यही तो मेरा प्रस्ताव है । उसे स्वीकार कीजिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भरूचा के प्रस्ताव के पहले भाग से ही मेल खाता हुआ, एक प्रस्ताव और आया है । उस की सूचना श्री राधारमण ने दी है । मैं उसे मतदान के लिये रख रहा हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि विशेषाधिकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्, इस सभा की राय है कि इस विषय में आगे और कोई कार्यवाही न की जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

# भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री मोरारजी देसाई द्वारा २३ फरवरी १९५९ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे चर्चा करेगी :—

"कि भारतीय आय-कर अधिनियम १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये "

श्री न० रा० मुनिस्वामी अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : कल मैं ने अपने भाषण के दौरान में १९५६ के वित्त अधिनियम का जिक्र किया था तो आप ने कहा था कि वित्त अधिनियम के सम्बन्ध में जिक्र करने का यह उचित समय नहीं है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

वस्तुत: मैं केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के कार्य की प्रशंसा करता हूं । निस्संदेह वह बहुत बड़ा कार्य करती है तथापि यदि वह थोड़ा परिश्रम और समय और देवें तो इस से भी अधिक राशि एकत्र कर सकती है ।

इस सम्बन्ध में मेरा यह अनुभव है कि आय-कर विभाग कम आय वाले सामान्य व्यक्तियों पर ही अधिक सख्ती करता है और बड़ी आय वाले धनी व्यक्तियों से बचता है । इन लोगों की आय बहुत अधिक होती है और ये झूठा हिसाब किताब रखते हैं तथापि उन के बारे में कुछ नहीं किया जाता है । मुफस्सिल में मोटर बसों के मालिकों को बहुत आय होती है लेकिन वे अपना हिसाब किताब इस प्रकार रखते हैं कि उन की सही आय का पता नहीं लग सकता है । इस के लिये आय-कर अधिकारियों को विशेष अधिकार प्रदान किये जाने चाहियें कि वह ऐसे व्यक्ति नियुक्त कर सकें जो वेष बदल कर इन लोगों की आय का पता लगायें । विधेयक में तत्संबंधी संशोधन किये जाने चाहियें ।

आय-कर विधेयक की भाषा बहुत जटिल और अस्पष्ट है । कई बार इस में ऐसी धारायें जोड़ी जाती हैं जो कि तत्सम्बन्धी नियमों की विरोधी होती हैं । अत: हमें इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये जिस से यह विधेयक अधिक स्पष्ट सरल और संक्षिप्त हो जाये ।

**श्री राम कृष्ण** (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह बिल पेश किया गया है, जिस का मकसद यह है कि १ अप्रैल, १९४२ के बाद की तमाम इनकम पर भी सेक्शन ३४ का असर हो और इस बिल के जरिये इस बात को साफ कर दिया जाये मैं उस की ताईद करता हूं । इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर शुरू से इस तरफ ध्यान दिया जाता तो और भी ज्यादा अच्छा होता । हालांकि जो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन कमिशन मुकर्रर किया गया था, उस ने अपनी रिपोर्ट में, जो कि सन् १९५३ में उस ने तैयार की थी, इस बात का ज़िक्र किया और इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया था, लेकिन इस के बावजूद ६ साल के बाद आज इस बिल को तरमीम किया जा रहा है, जिस से एरियर्स को वसूल करने में काफी दिक्कत आई और गवर्नमेंट का काफी नुकसान हुआ ।

इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछली दफा आनरेबल डिप्टी मिनिस्टर आफ फाइनेन्स (वित्त उपमंत्री) ने हाउस में इस बात का ज़िक्र किया था कि इनकम टैक्स के एरियर्स (बकाया राशि) की बहुत सी रकम ऐसी है जो वसूल नहीं हो सकती । और उस के वसूल न होने

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राम कृष्ण]

का सब से बड़ा कारण यह है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर हैं । जब हमें एरियर्स को वसूल करने में काफी दिक्कत आती है तो हमें चाहिये कि हम कोई इस किस्म का कानून तैयार करें, एक कांप्रिहेन्सिव (व्यापक) बिल ले आयें ताकि इस रक़म को आसानी से वसूल कर लिया जाय । यह इसलिये भी जरूरी है कि उस रकम की तादाद काफी से ज्यादा है । इसलिये मैं अपील करूंगा कि उस रकम को वसूल करने की पूरी कोशिश की जानी चाहिये । इसके लिये अगर इनकमटैक्स ऐक्ट में कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत हो तो वह भी जरूर किया जाय ।

दूसरी बात जो मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं ने इस मकसद के लिये एक बिल भी पेश किया था कि हमें जो सेक्शन ५४ इनकम टैक्स ऐक्ट का है उस को कुछ तरमीम कर लेना चाहिये । बड़े दुःख की बात है कि हमें आज यह नहीं मालूम, कोई भी इस हाउस का मेम्बर यह नहीं जान सकता कि इनकमटैक्स की कुल कितनी रकम बाकी है, वह किन किन लोगों की तरफ बाकी है और उस को वसूल करने के लिये क्या कोशिश की जा रही है । जब भी कोई इस किस्म का सवाल यहां किया जाता है तो कहा जाता है कि सेक्शन ५४ के तहत इस तरह की इन्फार्मेशन नहीं दी जा सकती । इसलिये मैं अपील करूंगा कि इस सेक्शन को भी अमेंड किया जाय, ताकि पार्लियामेंट के मेम्बरान को यह पता लग सके कि वह कौन-कौन सी बड़ी फर्म्स या कारखानेदार हैं जिन की तरफ इनकमटैक्स का काफी बड़ा अमाउंट बाकी है और वे लोग अपनी राय दे सकें कि उस रकम को वसूल करने के लिए क्या कोशिश हमें करनी चाहिये ।

हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिये कि टैक्सेज के अन्दर जो चोरी होती है, जो एवेजन होता है, उस को हम रोक सकें । इनकमटैक्स इन्वेस्टिगेशन कमिशन जो मुकर्रर किया गया था उस ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर बहुत सी ऐसी बातों का ज़िक्र किया था । ऐसे तरीके बतलाये थे जिन से इस रकम की चोरी करने की कोशिश की जाती है । मैं उन दो चार तरीकों को इस हाउस के सामने रखना चाहता हूं ताकि हम ऐसे कदम उठा सकें जिन से इनकमटैक्स की ज्यादा से ज्यादा रकम वसूल हो सके ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस बिल की तो हिमायत कर रहे हैं, यह ठीक है । लेकिन बाकी चीजें या जो अपने सजेशन्स दे रहे हैं उन को किसी और मौके के लिये रखें । आपने बहुत ज्यादा हवाला दे दिया कि गवर्नमेंट को एक कांप्रिहेन्सिव बिल लाना चाहिये । अगर इनकम-टैक्स ऐक्ट को एक-एक चीज को लेंगे तो हम सारे दिन भी बैठे रहें तो भी यह चीज खत्म नहीं होगी ।

**एक माननीय सदस्य** : लेकिन यह बहुत जरूरी है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने तो नहीं कहा कि नहीं जरूरी है लेकिन इस मसले के साथ ताल्लुक नहीं रखता ।

**श्री राम कृष्ण** : इसलिये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें ऐसे तरीके अख्त्यार करने चाहियें जिन से कि इनकम टैक्स की चोरी कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा रकम गवर्नमेंट के खजाने में दाखिल हो ताकि हम उस रकम को सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन के लिये और देश के अच्छे कामों के लिये इस्तेमाल कर सकें ।

इस सिलसिले में मेरी आखिरी तजवीज यह है कि जैसे कि कम्पनी ऐक्ट के मातहत एक रिपोर्ट सालाना पेश की जाती है कि कम्पनी ऐक्ट के मुताबिक कैसा काम हुआ, उसी तरीके से

इनकमटैक्स ऐक्ट के सिलसिले में भी होना चाहिये कि इन रकमों की वसूली के लिये कमिशन ने क्या काम किया और कौन-कौन से कदम उठाये। इस तरह की एक कांप्रिहेन्सिव रिपोर्ट सालाना हाउस की मेज पर रखी जाय। ताकि मेम्बरान को यह मौका मिले और वे यह जान सकें कि इनकमटैक्स की वसूली के लिए क्या-क्या कोशिशें की जा रही हैं और वे अपनी राय दे सकें।

मुझे इस सिलसिले में इतना ही कहना था। यह कह कर मैं इस बिल की ताईद करता हूं और मैं आनरेबुल मिनिस्टर से फिर अपील करूंगा कि वे मेरी इस तजवीज़ को ज़रूर स्वीकार कर लें जिससे कि तमाम मेम्बरान को यह मालूम हो सके कि इनकमटैक्स की रकम किन-किन लोगों की तरफ़ बकाया है और उसकी वसूली के लिए क्या कोशिश की जा रही है। आज सबसे ज्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम सेक्शन ५४ को तरमीम करें।

†**श्री झुनझुनवाला** (भागलपुर) : मेरे विचार से कर अपवंचन करने वालों से बचने के लिये सरकार के पास एक ही मार्ग था कि राष्ट्रपति द्वारा यह अध्यादेश जारी किया जाये और तत्पश्चात इस आशय का विधेयक प्रस्तुत किया जाय।

हम देखते हैं कि सदैव धारा ३४ का संशोधन किया जाता है और अब इसकी अवधि अनिश्चित काल तक के लिये बढ़ा दी गई है। सरकार को चाहिये कि वह एक अवधि निश्चित करे जिसके पूर्व कर अपवंचन करने वाले अपना निश्चय कर लेवें।

यह कहा गया है कि हिसाबों की फिर से जांच की जायेगी। मेरे विचार से सरकार को इस सम्बन्ध में आय-कर विभाग को यह सुझाव देना चाहिये कि निर्णय द्वारा जो हिसाब सही मान लिया गया था उसी को आधार मान कर आगे कार्यवाही की जाय। इन सब बातों पर अन्तिम निर्णय करने के लिये सरकार को एक अवधि निश्चित कर देनी चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं इस विधेयक के उद्देश्य से मोटे तौर पर सहमत हूं यद्यपि मैं इस बात का विरोध करता हूं कि सरकार ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस सत्र के प्रारम्भ होने के तीन सप्ताह पूर्व एक अध्यादेश जारी किया। यह अध्यादेश १९-११-५८ को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के कारण जारी किया गया था। जब सरकार दो महीने तक ठहर सकती थी तो क्या तीन सप्ताह और नहीं रुक सकती थी अतः समय असमय पर अध्यादेश जारी करने की नीति का मैं विरोध करता हूं।

जहां तक मामलों के पुनर्विचार करने का अधिकार देने वाले खंड का तात्पर्य है मेरे विचार से यह खंड संविधान विरोधी है क्योंकि आप किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक उसके धन से वंचित कर रहे हैं लेकिन सरकार उस अवधि के लिये उस धन का कोई ब्याज नहीं देगी। मेरे विचार से न्यायालयों द्वारा यह खंड शून्य करार दिया जायेगा। तब सरकार को एक अन्य अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता होगी। अतः यह आवश्यक है कि इसके उपचार के निमित्त इस आशय का एक उपबंध इसमें और जोड़ दिया जाय कि यदि करदाता अपने दावे की राशि को पुनः सरकार द्वारा प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो उसे बैंक की दर से सूद भी दिया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझाव पर विचार करेंगे।

**चौ० रणबीर सिंह** (रोहतक): मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि मेरे ख्याल में यह आर्डिनेंस देर में निकला। इसको पहले निकलना चाहिये था। मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि किसी को एक पाई भी रिफंड न हुई हो लेकिन यह भी हो सकता है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

कुछ अफसरान जिन्हें कि वापिस करना हो वे शायद किसी-किसी में इंटरेस्टेड (दिलचस्पी रखते) हों और उन को उन्होंने वापिस भी कर दिया हो। तो उससे सरकार को घाटा भी रह सकता है। मैं मानता हूं कि आज के हिसाब से शायद यह नहीं कहा जा सकता कि वह रुपया सरकार का है। चुनांचे जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हुआ तो उसके मुताबिक वह रुपया सरकार का मानना शायद सही बात न हो लेकिन जब वह खुद मानते हैं और कानून की अदालत को छोड़ करके बाकी हर एक हिन्दुस्तानी यह मानता हो कि वह रुपया सरकार का है तो उनके साथ हमदर्दी रखना मेरी समझ में नहीं आता।

जहां तक सूद का वास्ता है मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं कोई वकील तो हूं नहीं। लेकिन जिस वक्त उनसे फैसला हुआ था अदालत में कि इतना रुपया उनसे लेना है तो क्या उस वक्त भी सूद का हिसाब लगाया गया था कि इतने दिन तक उन्होंने पैसा नहीं दिया उसका भी वे सूद अदा करें। आखिर वह तो अदालत और वकीलों का काम है। रोज़ाना हम कानूनों को गैरकानूनी बनते देखते हैं। उस डर से कोई सदन चल नहीं सकता और यह भी नहीं हो सकता कि अदालत के अधिकार को छीना जाय और उसको भी बरकरार रखना है लेकिन साथ ही इस प्रजातन्त्रवादी युग में डर कर भी नहीं चल सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि उनके साथ हमें हमदर्दी अवश्य रखनी चाहिये क्योंकि जैसे मेरे साथी श्री राम कृष्ण ने बताया कि एक तरफ़ तो यहां तक उनके साथ यह रियायत है कि पैसा सरकार का देश का मारे फिरते हैं लेकिन उनका नाम नहीं लिया जा सकता और दूसरी तरफ इसी देश के कुछ देशवासियों की एक बहुत बड़ी तादाद है और अगर उन पर २ रुपये भी बाकी होता है तो पुलिस उनसे वह रिकवरी करने के लिये पहुंच जाती है और रकम न मिलने की सूरत में उनका सब कुछ कुर्क कर लिया जाता है। यही नहीं वह रुपया एक किस्म का टैक्स है। उस लैंड रेवेन्यू को आप रैंट नहीं कह सकते क्योंकि देश सब का है, उनका भी है जो लैंड रेवेन्यु देते हैं और एक कौड़ी भी फ़्री नहीं। अगर उन्हें सोना भी हो तो टैक्स देना है। इस तरह ३६००, ४२०० तक की छूट है। उसने इधर उधर दांये बांयें कागज रख कर छूट रख ली और अब भी उसके साथ हमदर्दी रक्खें, यह मेरी समझ में नहीं आता और मैं चाहता हूं कि अगर सरकार उनके साथ उतनी सख्ती न करे जितनी सख्ती कि वह गरीब किसानों के साथ करती है तो कम से कम ऐसे बेईमान आदमियों के नाम तो देश के सामने आने चाहिये ताकि लोगों को यह पता तो चल सके कि कैसे दयानतदार और सज्जन लोग हैं जो कि बहुत अच्छी कोठियों में रहते हैं, अच्छी-अच्छी कारों में घूमते घामते हैं और लाखों रुपये का सरकार की ठेकेदारी से फायदा उठाते हैं, आखिर कैसी उनकी इंटैगिरेटी है, कैसी ईमानदारी है और राष्ट्र के रुपये की वह कितनी कद्र करते हैं।

**श्री त्यागी** (देहरादून) : अंग्रेज़ों के वक्त का रुपया है।

**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : जहां तक इस कानून का सवाल है मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं परन्तु दुःख है कि जिस तरीक़े से आर्डिनेंस पास किया गया, उसका मैं समर्थन नहीं कर सकता।

आपको याद होगा कि लोक सभा का जो पिछला अधिवेशन हुआ था उससे पहले सरकार ने कई आर्डिनेंस पास किये थे और उन आर्डिनेंसेज़ को खत्म करने के लिये और डिस्एप्रूव करने के लिये इस सदन में प्रस्ताव भी आये। यह आर्डिनेंस जिस वक्त यह पास हुआ था उस वक्त भी मैं सोचता था कि क्या यह मुनासिब होगा कि इसके डिस्एप्रूवल के लिये कोई प्रस्ताव भेजा जाय लेकिन

यह सोचते हुये कि यह अच्छे उद्देश्य से पास किया गया है वह प्रस्ताव नहीं भेजा गया । लेकिन मेरा कहना है कि उद्देश्य कितना ही अच्छा हो, जहां तक विधान की धाराओं का सवाल आता है, उनको तोड़ने की और उनके खिलाफ जाने की हमें कभी कोशिश नहीं करनी चाहिये । मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह की बात क्या सरकार को पहले से नहीं मालूम रहती ? कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें कि बहुत पहले से ही कार्यवाही की जा सकती है । सदन के सामने कानून लाये जा सकते हैं । सदन के सामने कानून न लाकर उन्हें आर्डिनेंसेज़ के ज़रिये पास किया जाता है । इसमें इस सदन के सदस्यों को अपनी राय जाहिर करने का अच्छी तरह मौका नहीं मिलता । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि पिछले अधिवेशन और इस वर्तमान बजट अधिवेशन के बीच में जो यह सिर्फ एक ही आर्डिनेंस पास हुआ, तो यह एक अच्छी बात है । यह आर्डिनेंस भी एक अच्छे कार्य के वास्ते पास हुआ इसलिये यह अच्छी बात है लेकिन मैं चाहूंगा कि भविष्य में सरकार इतनी आगाह रहे कि उन्हें कतई किसी तरह का आर्डिनेंस पास करने की ज़रूरत न पड़े । विधान में यह धारा होते हुये भी कि किसी वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो आर्डिनेंस पास किया जा सकता है, आर्डिनेंस पास करने की कोई आवश्यकता पड़े ही नहीं और गवर्नमेंट आफ इंडिया की मशीनरी इतनी सतर्क होनी चाहिये कि वह पहले से ही देख ले कि हमें किन-किन कानूनों की ज़रूरत है और उनको इस सदन के सामने लाकर पहले ही से पास करवा ले ।

जहां तक इस कानून की भावनाओं का सवाल है मैं समझता हूं कि यह देर से आया है और इसको और पहले आना चाहिये था । हमें हर वह कोशिश करनी चाहिये जिससे कम से कम राष्ट्र के वे नागरिक जो कि समर्थ हों राष्ट्र की सहायता करने में टैक्स के ज़रिये उनसे जो टैक्स वाजिब हो वह कहीं पर छिपाया न जाय और जो उनसे लिया जा सकता है वह ज़रूर लिया जाय ।

मैं अपने से पूर्ववक्ता चौ० रणवीर सिंह के उस कथन से सहमत हूं जब कि वह कहते हैं कि जहां पर किसानों और गरीबों का सवाल आता है तो कानून के ज़रिये उन्हें जेल भी भेज कर यह रुपया वसूल किया जाता है लेकिन जहां पर कि ऐसे लोगों का सवाल आता है जो कि समर्थ हैं और जो इनकमटैक्स देते हैं, उनमें से टैक्स की चोरी करने वाले कितने लोगों को जेल भेजा जाता है ? वसूली के लिये यह अभी तक हमें जानने को नहीं मिला है ।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बारे में ज़रूर सख्ती होनी चाहिये और जो इनकमटैक्स का बकाया है वह सख्ती से वसूल किया जाना चाहिये । मैं इस कानून की भावना के साथ हूं लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आर्डिनेंस बनाने की ताकत का कतई इस्तेमाल न हो तो हम वास्तव में एक अच्छा राज्य बना सकेंगे ।

**श्री त्यागी** (देहरादून) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं यह समझता हूं कि यह जरूरी था और इसका पास होना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार यह तै होने के बाद भी कि इतना रुपया गवर्नमेंट को वसूल होना चाहिये, कानूनी फैसला होने की वजह से वह खतरे में पड़ गया । गवर्नमेंट की इतनी बड़ी रेवेन्यू खतरे में पड़ जाये और गवर्नमेंट सोती रहे, यह मुनासिब नहीं था । मेरे खयाल में यह कहना गलत है कि इसके लिये आर्डिनेंस नहीं निकालना चाहिये था । यह तो रुपये पैसे का मामला है । इसमें गवर्नमेंट को देर करने का अधिकार नहीं है । गवर्नमेंट को अधिकार है कि अपने पैसे की वसूली के लिये आर्डिनेंस निकाले । और यह तो बिल्कुल निर्दोष किस्म का आर्डिनेंस था । इससे आम जनता पर तो कोई सख्ती नहीं होती न कोई दबाव पड़ता है । इसलिये मेरे खयाल में इस आर्डिनेंस की मुखालिफत करना तो बिल्कुल गलत होगा ।

[श्री त्यागी]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट को एक सलाह देना चाहता हूं । मैं ने देखा है कि इनकमटैक्स और दूसरे डाइरेक्ट टैक्सों के मामले में गवर्नमेंट और असेसीज़ में काफी खींचखांच होती है । अब ज़माना ऐसा आ गया है कि कोई ऐसा तरीक़ा निकाला जाये कि गवर्नमेंट और असेसीज़ के नाते में मिठास आवे । आज हालत यह है कि असेसीज़ को डिपार्टमेंट पर ऐतबार नहीं रहा है । वह समझते हैं कि कम रिटर्न दो क्योंकि बाद में डिपार्टमेंट तो बढ़ायेगा ही ; डिपार्टमेंट को आम तौर से असेसीज़ पर ऐतबार नहीं रहा है । तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट के तरीक़े में कुछ तबदीली होनी चाहिये । यह जो कैपीटलिस्ट को रोजाना बुरा-बुरा कहा जाता है, इसकी मुझे शिकायत है । ऐसा कहने से असेसी बिदक जाते हैं । अगर आप गाय को लाठी मारेंगे तो वह दूध नहीं देगी । दूध देने के लिये गाय को पुचकारना पड़ता है ताकि वह दूध देने वाली हालत में आ जावे । आज इन असेसीज़ के ऊपर ही हमारी डिमाक्रेसी का इनहिसार है । आज जो पैसा टैक्स के ज़रिये से आता है वह असेसी से ही आता है । इसलिये मेरी राय में आज डिमाक्रेसी असेसी से टैक्स मिलने पर ही टंगी हुई है । अगर आमदनी का वह रास्ता बन्द हो जाये तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता । असेसीज़ से ही स्टेट के सारे कामों के लिये रुपया मिलता है । इसलिये इनकमटैक्स वगैरह का मुहकमा निहायत मुलायमियत से काम करने वाला होना चाहिये । उसको इस तरह काम करना चाहिये जिस तरह कि दरख्त की जड़ें जमीन से रस चूसती रहती हैं पर जमीन के साथ कोई वायलेंस नहीं करतीं, खामोशी से रस चूसती हैं और दरख्त फल देते हैं । तो गवर्नमेंट का यह फर्ज़ है कि जिनका रस चूसना है उनको अच्छा खाद भी दिया जाये ।

**श्री ब्रजराज सिंह :** अगर खाद देने पर भी फल न दे तो ?

**श्री त्यागी :** सिर्फ खाद ही नहीं दी जाती बल्कि जो घास वगैरह उग आती है उसको खुरपी से खरोंचा भी जाता है । लेकिन खाद तो दिया ही जाना चाहिये ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि असेसी को बिदकाने से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असेसी की जितनी आमदनी होती है उसका करीब-करीब आधा हिस्सा या उससे ज्यादा स्टेट के पास आ जाता है । तो एक डिमाक्रेटिक स्टेट को यह समझना चाहिये कि वह एक तरह से असेसी की हिस्सेदार है, बिना इनवेस्टमेंट किये हुये । यह इसी लिये है कि वह स्टेट है । असेसी को जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना ही ज्यादा स्टेट को फायदा होगा । तो मेरा खयाल यह है कि स्टेट को अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिये यह ज़रूरी है कि जिनसे टैक्स लेती है उनके मुनाफे को बढ़ाने का भी इन्तिजाम करे । और यह तभी सम्भव हो सकता है जब असेसी की सारी समस्याओं, लेबर वगैरह की तरफ़ ठीक से ध्यान दिया जाये । जब ऐसा होगा तभी मुल्क के अन्दर इस मामले में अमन हो सकता है । तो मेरे खयाल में यह पालिसी ज्यादा अच्छी होगी बजाये इसके कि रोजाना यह कहा जाये कि यही कपीटलिस्ट एक्सप्लाइट करते हैं, यही खराब हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । क्योंकि जब एक आदमी को बार-बार चोर या बेईमान कहा जाता है तो उसके दिमाग पर एक अजीब तरह का असर होता है और वह सचमुच चोर होने लगता है ।

**चौ० रणवीर सिंह :** और अगर साबित हो जाये ?

**श्री त्यागी :** और जो यह रुपया है यह उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत के वक्त टैक्स में नहीं दिया था । वही चला आता है । उस वक्त कोई भी देशभक्त यह नहीं चाहता था कि किसी किस्म की रुपये पैसे

की इमदाद अंग्रेजी हुकूमत की की जाये । इसलिये उस जमाने में टैक्स का कम देना भी कोई बुरी चीज़ नहीं समझी जाती थी । उस वक्त सरकार के पैसे को लोग दूसरे तरीके से भी लेना बुरा नहीं समझते थे । क्या आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने काकोरी की डकैती डाली वे बुरे थे या जिन्होंने नो रेंट कैम्पेन किया वे लोग बुरे थे । उस वक्त तो यह समझा जाता था कि जो भी जिस तरह से अंग्रेजों की मुखालिफत करता है वह सही बात करता है । तो मेरा ख्याल है कि जिस आदमी ने उस जमाने में टैक्स का पैसा बचाया है उसको चोर न कहा जाये । हां, जिसने अपने देश की सरकार के आने के बाद एक पैसा भी बचाया है उसको मैं बख्शना नहीं चाहता, उसने तो मेरी राय में स्टेट के खिलाफ आफेंस किया है। उसका हमारा स्वराज्य आने के बाद पैसा चुराना वैसा ही है जैसा कि किसी का सरकारी खजाने से पैसा चुराना और वह एक क्राइम है ।

मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका खोजा जाना चाहिए कि जिससे एक मर्तबा जिस तरह के ताल्लुकात आज चल रहे हैं वे खत्म हो जायें । इसके लिए जरूरी है कि मिनिस्टर साहिबान में से कोई बराहरास्त इस चीज़ में दिलचस्पी लें और असैसीज़ के साथ मीठे ताल्लुकात बढ़ायें । सरकार को कोई आखिरी तारीख मुकर्रर कर देनी चाहिए जिस तारीख तक असेसी अपने पुराने हिसाब की सफाई कर लें, और यह साफ कर दिया जाये कि अगर उसके बाद यह मालूम होगा कि किसी असेसी ने अपनी आमदनी छुपा कर सरकार को कम पैसा दिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायगी और उस को सख्त सजा दी जायेगी । उसको जेलखाने की सजा से कम सजा नहीं की जायेगी। मेरा अपना ताल्लुक भी इस डिसक्लोज़र की स्कीम से था । लेकिन उसमें एक कमी रह गयी। हम लोग यह भूल गये हमको ख्याल नहीं रहा, कि उसमें कोई इस किस्म का प्रावीजन रख दिया जाता कि जो डिस्कलोजर में नहीं आता है और उसके बाद जिस पर पैसा निकलता है तो उसे जेलखाने की सख्त सजा दी जाये । तो मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा ही तरीका निकालना चाहिए जिसमें न देने वाले को सख्त सजा हो, ताकि जो किसी तरह पैसा देने से बच जाता है उसको फायदा न हो जाये और जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया है उनको मायूसी हो ।

और इसके साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से यह भी तै कर दिया जाये कि इस तरह से एक मर्तबा हिसाब हो जाने के बाद फिर बाद में कोई हिसाब नहीं मांगेगा । इस तरह से मैं चाहता हूं गवर्नमेंट को असेसीज़ के साथ ईमानदारी और मोहब्बत के ताल्लुकात पैदा कर लेने चाहियें ? बेहतर तो यह हो कि कोई परसेंटेज मुकर्रर कर दिया जाये, २५ परसेंट या ३० परसेंट जो कि गवर्नमेंट लेले । अगर हो सके तो ऐसा किया जाये कि असेसी उस रुपये से बांड खरीद ले जिसमें से ३० फीसदी या २५ फीसदी गवर्नमेंट ले ले और वह रुपया इनकमटैक्स में चला जाये । बाकी रुपया उस आदमी का रहे । और साथ ही उन बांड्स को नैगोशियेबिल भी कर दिया जाये ताकि उसको अपने व्यापार में रुपये की दिक्कत भी न हो । मेरा अपना अन्दाजा तो यह है कि इस तरह से अरबों रुपये का डिस्क्लोजर हो सकता है और सरकार और असेसीज़ के ताल्लुकात भी मीठे हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि उन बांड्स में गवर्नमेंट का हिस्सा २५ परसेंट रखा जाये और उन बांड्स को नैगोशियेबिल कर दिया जाये तो गवर्नमेंट को बहुत रुपया मिल सकता है । अगर आपके एक्सपर्ट इस राय को पसन्द करें तो आप ऐसा करें । मैं समझता हूं कि इस वक्त जबकि इंटरनल फाइनेंस का प्राबलम हमारे सामने है, अगर हम यह तरीका अपनायें तो हमारा मसला बहुत कुछ हल हो सकता है ।

अगर पार्लियामेंट इजाजत दे तो आप यह कदम उठायें और आखिरी तारीख मुकर्रर कर दें कि उस तारीख तक सारा हिसाब हो जाये और यह बतला दिया जाये कि अगर उस तारीख के बाद यह मालूम होगा कि किसी ने चोरी की है तो उसको काले पानी जैसी आठ दस साल की सख्त सजा दी जायेगी और उसको स्टेट के खिलाफ क्रिमिनल करार दिया जायेगा । बहरहाल मेरा खास जोर इस बात पर है कि गवर्नमेंट और असेसीज़ के ताल्लुकात मीठे होने की आज बहुत जरूरत है ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) संविधान के अनुच्छेद १९ (१) (च) के अनुसार आय कर विभाग किसी भी करदाता की सम्पत्ति या धन अपने पास नहीं रख सकता है क्योंकि करदाता को इस बात पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार है कि उससे कर निर्धारण के पश्चात् उक्त राशि वसूल की जा सकती है ।

धारा ३४ (१) (ख) के सम्बन्ध में भी यह उचित है कि हम निर्णय की गई राशि को आधार मान कर आगे बढ़ें और इसी धारा के अधीन जमा की गई राशि या जमानत को पृथक् रखी गई राशि माना जा सकता है । अन्यथा इस धारा पर भी आपत्ति उठायी जा सकती है । इसलिये मेरे विचार से इस धारा का संशोधन करना आवश्यक है। मेरा सुझाव यह है कि करदाता को ६ महीने के स्थान पर दो महीने का समय दिया जाय और करदाता को नोटिस मिलते ही समझौता करने के लिये दो महीने का समय दिया जाय । और निर्णय के आधार पर पुनः हिसाब लगाया जाय । मेरे विचार से यह अधिक उचित होगा ।

मैं श्री राम कृष्ण की इस बात से सहमत नहीं हूं कि संसद् सदस्यों को तत्सम्बन्धी जानकारी दी जाय ।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने उन व्यक्तियों को पारितोषिक देने की घोषणा की है जो कर अपवंचन के सम्बन्ध में जानकारी देंगे । अभी हाल मुझे ज्ञात हुआ है कुछ व्यक्तियों को ४०,००० रुपये पारितोषिक के रूप में दिये गये । मेरे विचार से यह परम्परा स्वस्थ नहीं कही जा सकती, क्योंकि इससे प्रत्येक करदाता गैर-सरकारी व्यक्तियों से भी शंकित रहेगा । इसके स्थान पर विभाग को अपने विशेष जांच विभाग को अधिक सुदृढ़ बनाना चाहिये और विभाग में पदाधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिये ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: इस विधान का समर्थन करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । इस प्रकार मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है पर वाद-विवाद के बीच कुछ संगत बातें कही गयी हैं जिनका मैं जवाब दूंगा ताकि यदि कोई गलतफहमी हो, किसी बात के सम्बन्ध में तो वह दूर हो जाये ।

माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में कुछ कहने के पूर्व मैं अध्यादेश की उद्घोषणा के सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्ति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । मैं यह नहीं कहता कि यह आपत्ति उठाई नहीं जा सकती या यह आपत्ति उचित नहीं है पर चूंकि केवल दो माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई है अतः यह स्पष्ट है कि सभा के शेष माननीय सदस्य अध्यादेश की आवश्यकता के प्रश्न पर सहमत हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि जहां तक सम्भव हो अध्यादेश का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए । इस मामले में भी हमने कोशिश की कि यदि कोई उपाय निकल आये जिससे हमें अध्यादेश का सहारा न लेना पड़े । अध्यादेश की उद्घोषणा के तो मैं स्वयं बहुत विरुद्ध हूं । पर जब कठिनाइयां अन्य प्रकार से नहीं हट पातीं तो अध्यादेश का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है, और इसी कारण संविधान में भी अध्यादेश की उद्घोषणा करने की व्यवस्था की गयी है । यदि माननीय सदस्य यह कहें कि सरकार इस बात की चिन्ता नहीं करती कि अध्यादेश आवश्यक है या नहीं, या इस बात पर विचार नहीं करती कि अध्यादेश निकालना आवश्यक है या नहीं, तो यह सरकार के साथ अन्याय करना होगा । जब अध्यादेश निकाला जाता है तो अच्छी प्रकार विचार कर लिया जाता है कि क्या कोई ऐसी स्थिति निकल सकती है कि अध्यादेश निकाले बिना काम चल जाये और अन्त में कोई उपाय न रह जाने पर ही अध्यादेश निकाला जाता है । इस मामले में यह कहा गया है कि

†मूल अंग्रेज़ी में

दो महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और जब सभा का सत्र आरम्भ होने के तीन सप्ताह की देर थी, तो अध्यादेश की उद्घोषणा कर दी गयी। पर बात यह है कि दो महीने का समय तो इस बात पर विचार करने में व्यतीत हो गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से जो कठिनाई पैदा हो गई है उसे दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाये। स्थिति का सामना करने के लिए हमारे सामने बहुत से सुझाव रखे गये और हम कोई जल्दबाजी का कदम नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि जांच आयोग अधिनियम का इतिहास कुछ बड़ा विचित्र सा रहा है जैसा कि वादविवाद आरंभ करने वाले माननीय सदस्य ने बहुत जोरदार शब्दों में बताया था।

यह अधिनियम १९४७ में बनाया गया था। पर संविधान के लागू होने के बाद अनेक कठिनाइयां सामने आईं। जब अधिनियम पारित किया गया था उस समय यह विदित नहीं था कि संविधान का स्वरूप क्या होगा और संविधान के लागू होने के बाद क्या कठिनाइयां हमारे सामने आयेंगी। चूंकि पहले से हम इन कठिनाइयों का अनुमतन नहीं लगा पाये थे अतः जब न्यायिक निर्णय दिये गये तो समय-समय पर थोड़ा-थोड़ा करके अधिनियम में संशोधन किया गया : यह सब अधिनियम के विचित्र इतिहास के कारण ही हुआ। अतः यह कहना गलत है कि विधान से उत्पन्न होने वाली अनेक बातों पर विचार करने में सरकार ने सावधानी नहीं बरती, बल्कि विधान की अपनी विचित्र स्थिति के करण ही कठिनाइयां पैदा हुईं और हमें समय-समय पर उसमें संशोधन करना पड़ा। मैं समझता हूं कि अब इस प्रकार की कठिनाई नहीं पैदा होगी।

यह बात भी कही गयी कि आयकर अधिनियम बहुत जटिल हो गया है और उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। पिछली बार १९३९ में यह किया गया था। विधि आयोग ने भी इस बात पर विचार किया है और विधियों को संहिताबद्ध करने का सुझाव दिया है। सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। पर मैं समझता हूं कि आय कर अधिनियम को इतना सरल नहीं बनाया जा सकता कि उसमें कोई जटिलता पैदा ही न हो। करारोपण का स्वरूप ही ऐसा है।

यह भी सुझाव दिया गया कि विवरण पत्र को और सरल बनाया जाये और केवल एक ही विवरण पत्र हो। यह भी कहा गया कि कालडोर ने भी यही सुझाव दिया था अतः इसे आवश्यक किया जाये। मेरा निवेदन है कि कालडोर द्वारा सुझाव दिये जाने के बहुत पूर्व से विभाग विवरण के स्वरूप को सरल बनाने और सिर्फ एक विवरण पत्र रखने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। पर यह कोई सरल काम नहीं है। हो सकता है कि यदि एक विवरण पत्र कर दिया जाये तो उससे जटिलता और भी बढ़ जाये अतः इस पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है और इसमें समय भी लगेगा। हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं पर हम यह नहीं कह सकते कि हमें इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। फिर भी सरकार मामले पर विचार कर रही है।

मुझे बड़ी आशा है कि श्री त्यागी की अध्यक्षता में जो समिति इस सम्बन्ध में कार्य कर रही है वह इस मामले को सरल बनायेगी और ऐसे उपायों तथा साधनों को ढूंढने में सरकार को सहायता देगी जिनके द्वारा निर्धारियों तथा सरकार के बीच विश्वास स्थापित हो सके। मैं उनके इस तर्क से सहमत हूं कि हमारे बीच विश्वास का एक आधार हो न कि अविश्वास की भावना—जो कि इस समय देश में विद्यमान है। दुर्भाग्य से, बहुत वर्षों तक हम एक विदेशी शासन के अधीन रहे हैं जिसका परिणाम यह है कि चारों तरफ अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है। यह बात केवल सरकार और जनता के ही बीच नहीं है बल्कि जनता के अपनी बीच भी, राजनैतिक दलों में, और यहां तक कि एक ही राजनैतिक दल के विभिन्न सदस्यों में अविश्वास की भावना व्याप्त है।

हमारे सामने यही कठिनाई है। इस कठिनाई को हमें दूर करना है पर इस कठिनाई को बहुत जल्दी दूर नहीं किया जा सकता। इन कठिनाइयों को दूर करने में एक पीढ़ी या इससे भी अधिक

[श्री मोरारजी देसाई]

समय लग जायेगा। सरकार सदा चाहती रही है कि विश्वास की भावना पैदा हो और इस सम्बन्ध में सरकार को तुरन्त ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसी प्रयोजन के लिये यह समिति नियुक्त की गयी है। इस समिति से मुझे बड़ी आशायें हैं और आशा है कि इससे हमें बड़े लाभदायक फल मिलेंगे।

यह भी सुझाव दिया गया कि हमें संविधान के अनुच्छेद ३२ और २२६ को संशोधित कर देना चाहिए ताकि ये मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के पास न भेजे जा सकें और बकाया राशि की वसूली में विलम्ब न हो। यह तो ठीक है पर हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका लोकतंत्र का मूल आधार स्तम्भ होती है और यदि हम इस आधार स्तम्भ को हानि पहुंचायेंगे या उसके प्रति उतना सम्मान नहीं प्रकट करेंगे, जितना कि हमें करना चाहिये, चाहे हम उससे असहमत भले ही हों, तो हमारा लोकतंत्र क्षीण हो जायेगा। अतः इन अनुच्छेदों के संशोधन की बात पर हमें गंभीरता-पूर्वक विचार कर लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि न्यायपालिका के हित के लिये यदि हमें इनका संशोधन करना होगा, तो भी हम इस पर विचार नहीं करेंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इनका संशोधन करेंगे। पर मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में हमें बिना समझे बूझे कोई ऐसे सुझाव नहीं देने चाहिएं क्योंकि इन संशोधनों के परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में मुझे सिर्फ यही कहना है।

†**श्री विमल घोष (बैरकपुर)** : न्यायपालिका के प्रति क्या सम्मान प्रकट किया जा रहा है? न्यायिक निर्णय के बाद हम संशोधन कर रहे हैं!

†**श्री मोरारजी देसाई** : इसमें न्यायालय के अपमान की क्या बात है। यदि किसी विधान में कोई त्रुटि है तो उसे निकाला ही जायेगा। विधान में संशोधन करना न्यायपालिका का अपमान नहीं है। पर यह सोचना अच्छी बात नहीं है कि न्यायपालिका हमारे किसी काम के सुसंचालन में बाधा डाल रही है। यदि विधियां त्रुटिपूर्ण हैं तो न्यायपालिका का कर्त्तव्य है कि वह उन त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान दिलाये ताकि त्रुटियों को दूर किया जा सके। इस सम्बन्ध में मुझे केवल इतना ही कहना है।

यह भी कहा गया कि आय कर के बकाये के जो २८० करोड़ रुपये हैं, उनकी वसूली तुरन्त की जानी चाहिए पर उनकी वसूली के लिए समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह बात कई बार कही जा चुकी है और मैं भी कई बार बता चुका हूं कि वास्तविक बकाया २८० करोड़ रुपये नहीं है। अतः हमें इन आंकड़ों का ऊपरी मूल्य नहीं लेना चाहिए। इस २८० करोड़ रुपये की राशि में से वास्तविक बकाये की राशि १-७-५८ को १५० करोड़ रुपये से अधिक नहीं थी। पर इस १३० करोड़ की राशि को पूर्ण राशि में से तुरन्त अलग करना कोई सरल बात नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि जो बकाया वसूल होने वाला है उसका कोई भी भाग हमारे हाथ से चला जाये। माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझे दोषी मानते होंगे कि मेरे कारण से अमुक व्यक्ति बच गया पर वास्तव में मैं इस बात के लिए दोषी नहीं हूं कि अभी तक वसूली नहीं की जा सकी।

†**श्री त्यागी** : क्या इन अवास्तविक बकायों को बट्टे खाते डालने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है क्योंकि ये राशियां बहुत दिनों से पड़ी हुई हैं?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस बात पर हम प्रतिदिन विचार कर रहे हैं। पर हमें इस बात के लिए काफी सावधानी रखनी है कि अवास्तविक बकायों को बट्टे खाते डालते समय हम किसी ऐसी राशि को बट्टे खाते न डाल दें जिसकी वसूली की जा सकती है। इन दिनों प्रशासन तथा मंत्री पर बहुत आसानी से आरोप लगाये जाते हैं अतः किसी बात पर अच्छी तरह विचार किये बिना हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसका उत्तरदायी हमें बाद में बनना पड़े।

बकाये की वसूली के लिए हम दिवाला अधिनियम तथा अन्य उपायों का सहारा लेते आये हैं। बकाये की राशि की वसूली भूमि राजस्व के बकाये की वसूली की ही भांति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है अतः राज्य सरकार ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करती है। इसके लिए कोई अलग विभाग खोलना समुचित न होगा। पर, इन सब बातों पर हम विचार कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि बकाये की राशियां कम से कम रह जायें। पर कुछ-न-कुछ बकाया तो हमेशा ही रहेगा। एक और कठिनाई है। जिस समय मांग की जाती है उसी समय से उसे बकाया समझा जाने लगता है। चूंकि ऐसी मांग कोई पुरानी लम्बित मांग नहीं होती अतः उसे बकाया नहीं समझा जाना चाहिए। इन सभी आंकड़ों के कारण कुल आंकड़े बहुत अधिक दिखाई पड़ते हैं। मैं कोई ऐसा उपाय ढूंढने जा रहा हूं जिससे ऐसे आंकड़े बिल्कुल अलग दिखाये जायें ताकि लोगों की यह गलतफहमी दूर हो जाये कि बकाया की राशि बहुत अधिक है। ज्योंही मुझे कोई उपाय मिल जायेगा मैं उसे सभा के समक्ष उपस्थित करूंगा।

माननीय मित्र ने केरल राज्य में धारा ३४ के दुरुपयोग होने का प्रश्न उठाया। स्वयं माननीय सदस्य ने एक शिकायत भेजी थी। उसकी छानबीन की गयी और पता लगा कि धारा ३४ के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त कारण थे और यह बात बिल्कुल गलत थी कि महाजन के कहने पर नोटिस जारी की गयी थी। मैं आशा करता हूं कि प्रशासन के विरुद्ध आरोप लगाने के लिए ऐसी गलत सूचनाओं को आधार नहीं बनाया जायेगा। इस प्रकार गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : केरल के उच्च न्यायालय में इस प्रकार का एक मामला था जिसमें आय कर विभाग ने एक व्यक्ति के विरुद्ध से अपना मामला वापस ले लिया। मैंने किसी की शिकायत नहीं की है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि माननीय सदस्य का यह कहना है कि उन्होंने शिकायत नहीं की है, तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है।

प्रस्तावित धारा ४९ङ के सम्बन्ध में एक त्रुटि का उल्लेख किया गया कि उस में लम्बित मामलों की व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि माननीय सदस्य ने वह संशोधन देखा होता जिसे मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, तो वह समझ गये होते कि उस बात के सम्बन्ध में उपबन्ध किया जा रहा है। अतः अब वह त्रुटि नहीं रह गयी है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि इन मामलों के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समझौते तो पहले ही हो चुके हैं। पर मेरा निवेदन है कि इन समझौतों का कोई महत्व नहीं है जब तक कि निर्धार्य इन्हें स्वीकार न करें। यदि निर्धार्य इन समझौतों को स्वीकार कर लें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। पर यदि वे इन समझौतों को स्वीकार नहीं करते और फिर से परीक्षण करने की मांग करते हैं—क्योंकि अब जो नई प्रक्रिया बन गयी है उसका लाभ वे उठा सकते हैं—तो मैं उन्हें नयी प्रक्रिया की सुविधा देने से

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मोरारजी देसाई]

इनकार नहीं कर सकता । ऐसी अवस्था में, कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी । हम ख्वामख्वाह कर्मचारियों की संख्या बढ़ा कर धन का अपव्यय नहीं करना चाहते । पर इन सब मामलों पर ध्यान देने के लिए कर्मचारियों की फिलहाल जरूरत पड़ेगी ही ।

इस सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा कि धन को रोक कर उसे निक्षेप में रखने का उपबन्ध बहुत वैध नहीं है । उन्होंने एक उपाय भी बताया कि धारा का संशोधन करके उसे वैध बनाया जाये । यदि वह स्थिति वैध होगी तो मैं नहीं समझता कि वर्तमान स्थिति वैध कैसे नहीं है । धन को निक्षेप में जमा करने में कोई अवैध बात नहीं है क्योंकि यह सब निर्धार्य द्वारा स्वीकृत बातों के अन्तर्गत समझौते के अधीन किया जाता है । इस में किसी प्रकार का हेर-फेर होने की कोई गुंजाइश नहीं होती । यह भी बात नहीं है कि हमें किसी को ब्याज देना पड़ेगा क्यों कि ब्याज तो हम उन लोगों से लेंगे जिन्होंने निर्धारण को बहुत समय तक टाला और बचाया है । अतः निक्षेपों पर ब्याज देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मद ग—"आनुषंगिक व्यय" के अधीन १६०,००० की राशि है। जब आप कर्मचारियों को ३,२१,००० रु० वेतन का भुगतान करते हैं तो इस मांग का औचित्य क्या है ? इसे किस प्रकार व्यय किया जायेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस बीच कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गयी थी पर अब हमें फिर कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी । हो सकता है उन सब को फिर रखना पड़े ।

यह भी कहा गया कि भूतकाल के मामलों को फिर से आरम्भ करने के सम्बन्ध में कुछ निश्चित किया जाना चाहिए । मैं इस बात से सहमत हूं । पर यह काम तो इन वर्तमान मामलों को हल करने के बाद की है । अभी नये मामले चालू करने का कोई इरादा नहीं है । इस समय स्थिति यह है कि सामान्य मामलों के लिए ४ वर्ष का समय है । धोखेबाजी के मामलों के लिये सामान्यतः ८ वर्ष का समय है और एक लाख रुपया से अधिक राशि को छिपाने के मामलों के लिए कोई समय-सीमा नहीं है । मैं समझता हूं कि इन सब मामलों के समाप्त हो जाने के बाद यह बन्द हो जायेगी । अतः इस बात का भय करना बेकार है कि हम किसी को परेशान करना या सजा दिलाना चाहते हैं । यदि किसी गलती के कारण कोई फंस जायेगा तो इसके लिए मैं उससे क्षमा मांग लूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो पश्चाताप भी करूंगा । इन मामलों में जो पुराने हैं, उन्हें आय कर पदाधिकारी या आय कर आयुक्त भी केन्द्रीय राजस्व बोर्ड की अनुमति के बिना फिर से चालू नहीं कर सकते । अतः सुरक्षा है और इन पुराने मामलों को फिर से कोई भी चालू नहीं करना चाहता । कुछ माननीय सदस्य यह भी कह सकते हैं कि सरकार इस मामले में बहुत उदार है । सच तो यह है कि हम न तो उदार हैं और न कठोर हैं; हम न्यायपूर्ण हैं । हम वही चाहते हैं जो राज्य को मिलना चाहिए ।

यह भी प्रश्न उठाया गया कि आय कर विभाग के सेवा निवृत्त पदाधिकारी आय कर पदाधिकारी के न्यायालय में वकालत करते हैं, जिस से बड़ी कठिनाई होती है । इस समय एक नियम है कि सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी सरकार की अनुमति के बिना कोई गैर-सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हम लोग इस नियम के इन पदाधिकारियों पर भी लागू करने की बात पर विचार कर रहे हैं । उस के बाद वे सरकार की अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकेंगे । यह समस्या सरकार के सामने विचाराधीन है । पर एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सभी आय-कर पदाधिकारी बेईमान नहीं हैं । उन में से अधिकांश आयकर पदाधिकारी ईमादार हैं और वे शरारतें नहीं करते । वे विधि का लाभ उठाते हैं और इस में किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये । यह भी कहा गया कि

†मूल अंग्रेजी में

आयकर आयुक्त निर्धार्य तथा अन्य व्यक्तियों की कारों को इस्तेमाल करते हैं। आज नहीं, ५–६ वर्ष पूर्व ऐसे परिपत्र जारी कर दिये गये हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। उन्हें व्यापारियों या निर्धार्यों की मोटर गाड़ियां काम में लाने का हक नहीं है और उन्हें इन लोगों से दावतें आदि भी नहीं लेनी चाहियें। उन्हें केवल स्थापित संस्थाओं से मिलने वाली दावतें स्वीकार करनी चाहियें। पर मैं इस बात को भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहता। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे काम न हों। पर यदि कुछ लोग आदेश के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो माननीय सदस्य ऐसी बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके।

†**श्री ईश्वर अय्यर** : अनेक उदाहरण हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : इस प्रकार का सामान्य आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं और न ही यह ठीक है।

†**श्री विमल घोष** : क्या व्यापारी आयकर पदाधिकारी के मित्र नहीं हो सकते ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मित्र हो सकते हैं पर जब तक वह वहां सेवा कर रहे हैं तब तक उन्हें उन की मोटर गाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिये। मेरा अभिप्राय यह है कि ऐसे मित्रों की मोटर गाड़ियों का उपयोग न करें जो निर्धार्य हों ; मैं नहीं चाहता कि किसी पदाधिकारी के किसी गलत काम के कारण प्रशासन के सामने कोई कठिनाई पैदा हो। बस, मुझे इतना ही कहना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय आय कर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड २ के सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

†**अध्यक्ष महोदय** : खण्ड ३ के सम्बन्ध में १ संशोधन है।

**संशोधन किया गया**

पृष्ठ २, पंक्ति १६ और १७,—

[ "Shall lie for the refund of any such sum of money or the return of any such security" (ऐसी किसी धनराशि के लौटाने अथवा ऐसी किसी प्रतिभूति के लौटाने के लिये की जायेगी) ] के स्थान पर

["for the refund of any such money or the return of any such security shall lie or be allowed to continue" (ऐसी किसी धनराशि के लौटाने अथवा ऐसी किसी प्रतिभूति के लौटाने के लिये की जायेगी या जारी रखने की अनुमति दी जायेगी) ]

**(श्री मोरारजी देसाई)**

†मूल अंग्रेज़ी में

†अध्यक्ष महोदय : खण्ड ३ क नियम विरुद्ध है क्योंकि वह विधेयक की व्याप्ति के बाहर है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड ४, ५ और १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

†श्री मोरारजी देसाई : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

---

## संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस बात की घोषणा करने वाले विधेयक में, कि सरकार के अधीन कुछ लाभप्रद पदों को धारण करने वाले ऐसे पदों को धारण करने के कारण संसद् सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे, राज्य सभा द्वारा किये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

(१) पृष्ठ २, पंक्ति २१ में "which is an advisory body (जो एक मंत्रणा-दाता संस्था है)" शब्द हटा दिये जायें;

(२) पृष्ठ २, पंक्ति ३७–३८ में, "director or member (निदेशक या सदस्य)" शब्द हटा दिये जायें ; और

(३) पृष्ठ ३, पंवित ९ में, "clauses (h) and (i) [खण्ड (ज) और (झ)]" शब्दों के स्थान पर "this section (यह धारा)" शब्द रखे जायें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदन को याद होगा कि इस विधेयक पर विचार करने तथा इसे पारित करने के पश्चात् यह विधेयक राज्य सभा को भेजा गया। राज्य सभा ने इस में तीन संशोधन किये हैं। इन तीन संशोधनों में से एक तो मौखिक सा ही है। एक महत्वपूर्ण है तथा तीसरा संशोधन केवल खंड का उद्देश्य ही बताने वाला है। खंड ३(च) निम्नलिखित रूप में है :—

"सभापति का प्रद सिन्डीकेट के सदस्य, सीनेट, कार्यकारिणी-समिति, परिषद्, अथवा विश्वविद्यालय का न्यायालय, अथवा कोई दूसरा निकाय जो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एक परामर्शदात्री समिति है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य-सभा ने खंड च में संशोधन किया है जिस के अनुसार "जो एक मंत्रणादाता संस्था है" (which is an advisory body) शब्दों को निकाला गया है। ये शब्द खंड 'च' में "किसी दूसरे निकाय" शब्दों की व्याख्या करते हैं। इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि एक संसद् सदस्य को सभापति का पद ग्रहण करने, सिंडीकेट अथवा सीनेट का सदस्य बनने, अथवा कार्यकारिणी-समिति का सदस्य बनने की आज्ञा दी गई है, और कहा गया है कि कोई कारण नहीं है कि एक संसद् सदस्य इस प्रकार की निकायों का सदस्य नहीं बन सकता। संसद् सदस्यों को इस प्रकार के निकायों से अलग रखने का सामान्य उद्देश्य केवल यही था कि यदि कोई निकाय अथवा प्राधिकार कार्यपालिका के कार्य करता है तो इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिये। यदि यह केवल मंत्रणादाता है तो इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगना चाहिये। आप देखेंगे कि जहां तक कि विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध है सिन्डीकेट, सीनेट अथवा कार्यकारिणी की सदस्यता को अनर्हता से हम ने हटा दिया है। सभी संसद् सदस्य यह जानते हैं कि विश्वविद्यालय के सभी कार्यपालिका सभी प्राधिकार सिंडीकेट, सीनेट अथवा कार्यकारिणी समिति अथवा कार्यपालिका परिषद् में निहित होते हैं। इसलिये जब संसद् सदस्यों को सिंडीकेट, सीनेट अथवा कार्यकारिणी समिति, अथवा कार्यपालिका परिषद् का सदस्य बनने की आज्ञा दे दी है तो फिर यह कोई कारण समझ में नहीं आता कि अन्य दूसरे निकायों पर जिन के पास कि इन से भी कम सत्ता सम्बन्धी प्राधिकार हैं, प्रतिबन्ध लगाया जाये।

कुछ दूसरे जटिल प्रश्न उठने की संभावना है कि क्या वह निकाय जिस की सदस्यता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि मंत्रणादाता समिति है अथवा नहीं। प्रत्येक के मामले में यह निश्चित करना कठिन है। किन्तु यदि इस के बारे में निश्चित करना ही था तो यह निश्चय किया जावेगा वर्ना सामान्यतः मंत्रणा सम्बन्धी कार्यों को कार्यपालिका के कार्यों से अलग करना कठिन है। इसीलिये राज्य-सभा ने इन शब्दों को "जोकि एक मंत्रणादाता संस्था" है निकाल दिया है।

अब मैं तीसरे संशोधन को लेता हूं। तीसरा संशोधन पृष्ठ ३ पर है। इस की व्याख्या में आप देखेंगे कि हम ने कहा था कि "खंड (ज) तथा (झ) के प्रयोजन के लिये सभापति अथवा सचिव का पद के अन्तर्गत उस प्रकार के सभी पद आयेंगे चाहे उन का कुछ भी क्यों न हो।"। शब्द "सभापति" खंड (ज) तथा (झ) में आता है किन्तु यह देखना भूल गये थे कि "सभापति" शब्द खंड (च) में भी आया था। उदाहरण के लिये किसी विश्वविद्यालय में, "सभापति" शब्द किसी और दूसरे नाम से भी पुकारा जा सकता है। अतः इस में संशोधन कर दिया गया है ताकि सम्पूर्ण धारा में यह संशोधन हो जाये। राज्य सभा ने जो संशोधन किया है वह केवल खंड (ज) तथा (झ) के बारे में हैं लेकिन हमें इसे निकाल देना चाहिये ताकि इस धारा के प्रयोजन के हेतु जहां कहीं भी इस धारा में "सभापति" शब्द आता है, इस का तात्पर्य इस सरीखे पद से होगा चाहे उस का नाम कुछ भी हो बशर्तेकि उस के काम सभापति अथवा सचिव के हों।

जहां तक कि खंड (झ) का सम्बन्ध है निगम के प्राधिकारी अथवा निकाय जोकि इस से मुक्त कर दिये गये थे वे दो भागों में बांटे गये थे अर्थात् भाग १ और भाग २। जहां तक कि भाग १ का सम्बन्ध है लोक-सभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि सभापति का पद भाग १ में किसी परिनियत निकाय का निदेशक अथवा सदस्य होने पर प्रतिबन्ध रहेगा। और भाग २ के अधीन केवल सभापति अथवा सचिव का पद अनर्ह माना जायेगा। राज्यसभा ने यह सुझाव दिया है कि भाग १ में भी निदेशक अथवा सदस्य का पद अनर्ह नहीं होना चाहिये, और केवल सभापति का पद अनर्ह होना चाहिये। इसलिये उन्हों ने खंड (झ) से निदेशक अथवा सदस्य शब्द निकाल दिये हैं। ये शब्द पंक्तियां ३६ और ३७ में आये हैं। ये ही संशोधन हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सदन इन पर विचार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री हजारनवीस** : इस के पहले कि कोई माननीय सदस्य इस पर अपने विचार प्रकट करें दो शाब्दिक संशोधन भी हैं जो मैं रखना चाहता हूं। एक तो "१९५८" के स्थान पर "१९५९" करना है। यह संशोधन मुझे किस प्रक्रम पर प्रस्तुत करना है किस के बारे में आप के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विचार प्रस्ताव पारित हो जाने के पश्चात उन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : इस विधेयक के नक्षत्र ही कुछ खराब हैं। मूल विधेयक में सभी संविहित अथवा असंविहित निकायों के सभापति, निदेशक अथवा सदस्य, संविधान के अनुच्छेद १०२ के अधीन अनर्हता से मुक्त कर दिये गये थे बशर्ते कि प्रतिकर उन के लिए भत्ते के अतिरिक्त और कोई पारिश्रमिक न लिया जाता हो । हम ने तो इस का भी विरोध किया था । यदि किसी निगम का कोई निदेशक, सदस्य अथवा कोई पदाधिकारी २१ रुपये से अधिक वेतन अथवा पारिश्रमिक नहीं लेता तो यह अनर्हता के अन्तर्गत नहीं आयेगा । इंगलैंड में कुछ ऐसे पद हैं जिन के लिये न कोई वेतन है और न कोई भत्ता । वहां कुछ ऐसे भी पद हैं जो केवल कल्पना में ही होते हैं वास्तव में नहीं होते । हालांकि वहां इन पदों के लिये कोई भत्ता नहीं होता । किन्तु फिर भी उन पदों की लालसा करने से ही अनर्हता के भागी हो जाते हैं। इसलिये जहां हम ब्रिटिश परम्पराओं को इतना मानते हैं इस मामले में भी उसे मानना चाहिये । इस की जांच करने के लिये एक संयुक्त समिति बनाई गई थी उस ने विस्तृत रूप से इसकी जांच की किन्तु फिर भी एक उपसमिति बनाई गई । इस उपसमिति ने काफी परिश्रम के पश्चात् दो अनुसूचियां तैयार की हैं पहली अनुसूची में कहा है कि अनुसूची १ में सन्निहित सभापति, निदेशक अथवा सदस्य का पद, चाहे उस से कोई वेतन अथवा पारिश्रमिक मिलता है अथवा नहीं संविधान के अनुच्छेद १०२ में वर्णित अनर्हता के भागी होंगे । अनुसूची २ में बताया है कि केवल सभापति, स्थायी समिति अथवा कार्यकारिणी समिति के सचिव अथवा सदस्य का पद अनर्हता के अधीन आयेगा । इसी सभा में साम्यवादी दल की ओर से निगम की कार्यकारिणी समिति अथवा स्थायी समितियों को सदस्यता से मुक्त करने के लिये एक संशोधन रखा गया जिसे सरकार ने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया । किन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि सरकार ने यह बात क्यों स्वीकार की और इस से हमें बहुत दुःख हुआ ।

अब मान लीजिये कि इस सभा के ४०० सदस्य किसी न किसी निगम के किसी भी पद पर पहुंच जायें तो यह निश्चय है कि सरकारी क्षेत्रों के बारे में इन सदस्यों के वहां होने के कारण कोई भी आलोचना नहीं की जायेगी । इस के अतिरिक्त एक और भी बात है कि इन लोगों को क्या भत्ता या प्रतिकर मिलता है यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन पदों पर रहने के कारण ये लोग अपने अधिकारों का कितना दुरुपयोग कर सकते हैं और संसद् की पवित्रता को नष्ट कर सकते हैं आप सोचें कि अनुसूची १ में उल्लिखित निगमों के अन्दर यदि वे सभापति बना दिये जायेंगे तो वह लोगों को कितना संरक्षण दे सकेंगे । साथ ही धीरे-धीरे एक स्थिति यह पैदा हो जायेगी कि हमारी संसद् में स्वार्थी लोगों की भरमार हो जायेगी । मैं मानता हूं कि ऐसे भी लोग होंगे जो अपने लाभप्रद पदों का दुरुपयोग नहीं करेंगे परन्तु ऐसे मामले एक दो ही होंगे । वैसे सामान्यतः मनुष्य स्वभाव जैसा हो उसे देखते हुए आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी ।

मूलतः विधेयक के खंड (ज) (२) के अधीन निगमों के सदस्यों को भी संसद् का सदस्य बनने की अनुमति नहीं थी यह तो राज्य सभा ने अब बहुत परिवर्तन कर दिये हैं और सभी

†मूल अंग्रेजी में

संविहित और असंविहित निगमों के सभी सदस्य और निदेशक संसद् के सदस्य बन सकेंगे इस का रूप प्रभाव होगा यह आप स्वयं सोच लें । मैं तो समझता हूं कि इन के आने से संसद् की पवित्रता नष्ट हो जायेगी । इस के पश्चात् खंड (च) को लीजिये वैसे तो हमारे विश्वविद्यालय इस बात के लिये बदनाम हैं कि उन में बड़ी गन्दी राजनीति है । उदाहरणार्थ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को ही लीजिये । पर इस संशोधन के द्वारा तो हम उस की परिषद्, उस के न्यायालय और उस की कार्यकारिणी आदि को खुला अवसर देंगे कि वह राजनीति का खेल खले । मैं फिर पूछता हूं कि उपकुलपति को फिर ऐसा अवसर क्यों नहीं दिया जा रहा है । सच तो यह है कि अनक संशोधनों को स्वीकार करने में सरकार के सामने अनेक प्रकार के दबाव थे । और अब तो अच्छा यही होगा कि—जबकि राजस्व पदाधिकारियों, होम गार्डों आदि को अवसर दिया जा रहा है—संविधान के अनुच्छेद १०२ को निकाल दिया जाये और संसद् का सदस्य बनने के लिये कोई अनर्हता न रखी जाये और जो भी चुनाव जीते वह सदस्य बने ।

इस संशोधन में मुझे कोई भी अच्छाई दिखाई नही पड़ती । इस संशोधन का विरोध करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं वैसे मैं जानता हूं कि सरकार इसे वापस नहीं लेगी । फिर भी सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि इस संशोधन के कारण अनेक बुराइयां पैदा हो जायेंगी ।

**श्री जाधव** (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपमंत्री महोदय ने जो एमेंडमेंट्स राज्य सभा द्वारा इस बिल में की गई हैं और जिन को मंजूर करने के लिये इस सदन में पेश किया है, मैं उन की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी माननीय महन्ती महोदय ने इस विषय पर रोशनी डाली है : पार्लियामेंट के सदस्यों से हिन्दुस्तान के अव्वाम जो आशा रखते हैं या जिस काम की इच्छा रखते हैं—इस सदन के माननीय सदस्य मुझे माफ करेंगे अगर मैं यह कहूं कि उस की पूर्ति हम नहीं करते हैं ।

पार्लियामेंट के सामने देश को बनाने का इतना अहम काम होते हुए भी, इस सदन में हो या दूसरे सदन में जिस तरीके से पार्लियामेंट के माननीय सदस्य हिस्सा लेते हैं, उसे देखते हुए अगर हम इस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन्स को खत्म करते जायेंगे तो हमें इस देश का भविष्य अच्छा नहीं दिखता है । **सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन**, ऐसा कहा गया है : इसी तरह से मैं समझता हूं कि हर पार्लियामेंट का सदस्य जो इस सदन में आना चाहता है उस का कैरेक्टर और जो काम करने वह जा रहा है उसको करते वक्त उस का बरताव सस्पिशन से ऊपर होना चाहिये । हमें पांच साला योजनाओं को कामयाब करना है । उस को कामयाब करते वक्त अलग अलग कमेटियां होंगी, उन में पार्लियामेंट के सदस्यों का हिस्सा रहेगा, हमारे माननीय कानून मंत्री साहब ने राज्य सभा में ऐसा कहने की कोशिश की । मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के सदस्य अलग अलग कमेटियों के मेम्बर रह कर ही उस हिस्से को पूरा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है । दूसरे तरीकों से भी वे उस को मदद पहुंचा सकते हैं । आज देश में जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को हटाने के लिये पार्लियामेंट के सदस्यों को फुल टाइम वर्क करना चाहिये क्योंकि आज हम देखते हैं कि जब सैशन चलता रहता है तो जो कानून पास होते हैं, जो मोशन्स या रेजोल्यूशन्स आते हैं, उन के ऊपर जिस ढंग से चर्चा होनी चाहिये उस तरह से नहीं होती है । जो मैजारिटी पार्टी होती है वह समझती है कि अगर उस की तरफ से कोई चीज सदन के सामने आती है तो वह उस को इस हाउस में हो या उस हाउस में हो, मैजारिटी के बल पर कामयाब बना सकती है । और इसी वजह से इस बात की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उसे वह नहीं देती है । इस का असर यह होता है कि जो वोटर्स हमें चुन कर यहां भेजते हैं उन पर खराब असर होता है । जब वे यहां पर पार्लियामेंट की कार्यवाही को देखते हैं तो वह पाते हैं कि इस ५०० सदस्यों के हाउस में, २५, ३० या ३० से कम ही लोग हाजिर होते हैं । जिन लोगों के हाथों में हमारा मुस्तकबिल है उन को हमारा मुस्तकबिल बनाने के लिये जिस ढंग से काम करना चाहिये, जिस लगन से काम करना चाहिये, जब

[श्री जाधव]

वह उन को देखने को नहीं मिलता तो उन पर इस का बुरा असर होता है। मैं चाहता हूं कि जो भी पार्लियामेंट के सदस्य चुन कर यहां आना चाहते हैं बाहर जिस किसी भी काम में उन का हिस्सा हो, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, पार्लियामेंट के सदस्य बनते ही वे उस को छोड़ दें कहा गया है कि अगर कोई सदस्य कमेटी में जाता है तो उस को इनकम मिलती है उस को तनख्वाह मिलती है, कम्पेन्सेटरी अलाउन्स मिलता है, उस की वजह से उस को डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिये ? कुछ लोग वकालत का पेशा करते हैं, कुछ लोग डाक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वह भी तो सदन में आते हैं, क्या उन की इनकम नहीं होती ? यह सवाल भी हमारे सामने रक्खा गया। लेकिन उन लोगों से भी हमें यह उम्मीद है कि अगर वह पार्लियामेंट के सदस्य बनना चाहते हैं तो वे वकालत छोड़ देंगे, डाक्टरी का पेशा छोड़ देंगे। इंजीनियर को अपनी इंजीनियरिंग से जो आमदनी होती है उस को उसे छोड़ देना चाहिये। हम सारे देश को बनाने के लिये यहां आते हैं तो हम को अपना सारा टाइम उस काम के लिये देना चाहिये। जब सेशन चालू होता है, और यहां पर कार्यवाही होती है तो उन को यहां पर लगन से काम करना चाहिये। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य भी शायद वकील हैं ?

**श्री जाधव** : मैं ने वकालत छोड़ दी है और आगे करना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि जब मैं यहां आया हूं तो मेरा फर्ज हो जाता है कि मैं यहां लगातार बैठा रहूं। जो कुछ मेरी ताकत हो, दिमाग की ताकत हो, उस को ले कर मुझे इस सदन के काम को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिये। इस के बाद जब यहां पर सेशन नहीं होता है तो मैं बाहर जाता हूं क्योंकि मुझे अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाना चाहिये और जो कुछ यहां पर होता है उस को लोगों के सामने रखना चाहिये। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उस को समझना चाहिये, और जो गवर्नमेंट की ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैशीनरी या एग्जिक्यूटिव मैशीनरी हो, इस के सामने उन की चीजों को रखना चाहिये। यह मेरा फर्ज है। अब तक मैं ने इस तरीके से अपना फर्ज अदा करने की कोशिश की है। अगर इस तरीके से कोई आदमी करे कि यहां आये १४ दिन बाद और रोल पर दस्तखत करने के बाद १४ दिन के लिये फिर गायब हो जाये, फिर आ जाय और चला जाये इस तरीके से देश को बनाने का काम करे तो मैं नहीं समझता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य देश को बनाने का काम करेंगे या उसे बनाने की मुसीबतों को हम उठा सकेंगे। हमें इस काम के वास्ते सब देश की ताकत को इकट्ठा करना पड़ेगा। इस ताकत को अगर हमें मोटिव पावर दे कर इकट्ठा करना होगा तो उस मोटिव पावर के लिये हमें अच्छे आदमियों की जरूरत होगी ऐसे लोग होने चाहियें जिन में इस काम के लिये लगन हो। अगर वे लोग दूसरे कामों में हिस्सा लेते रहेंगे तो वे यह काम नहीं कर सकते। **दे विल बी जैक आफ आल ट्रेड्स ऐंड मास्टर आफ नन**। इस के अलावा और कुछ होने वाला नहीं है।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी मौका है। हम को यह देखना पड़ेगा कि जो लोग इस सदन में आयें, इस सदन में आयें या उस सदन में, या दूसरे लेजिस्लेचर्स में, वे अच्छे हों। हमें उन आदमियों को भेजना चाहिये जो बहुत काबिल हों, उन को सही तरीके से इस सदन को मदद पहुंचाने के लिये, देश को मदद पहुंचाने के लिये उस के कामों में पूरी तरह से शामिल होना चाहिये इसलिये मैं इस सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं और इस बिल की मुखालफत करता हूं। मैं चाहता हूं कि सदन इस बात पर जल्द से जल्द विचार करे, सोचे और तब कोई निर्णय करे। अगर हम कोई कानून बनाना चाहते हैं तो मैं आशा करता हूं कि वह अच्छा बनेगा।

†**श्री वासुदेवन नायर** (तिरुवल्ला) : श्री महंती ने कहा है कि पिछली बार हमारे वर्ग ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिसे कांग्रेस ने बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया था। उनका यह

†मूल अंग्रेजी में

वक्तव्य बिल्कुल सही नहीं है। इसे सरकार ने आसानी से स्वीकार नहीं किया था। इसके पीछे भी एक कहानी है ।

जहां तक कि इस विधान का सम्बन्ध है सरकार शुरू से ही इसके बारे में भ्रान्ति में है। और जहां तक कि इस विधेयक के महत्वपूर्ण उपबन्धों का सम्बन्ध है सरकार के प्रतिनिधियों ने उप समिति में कोई महत्वपूर्ण और बलशाली रवैया नहीं अपनाया था। इस समिति से इस विधेयक के वापस आने पर बहुत सी विरोधात्मक बातें उठीं। हमारे दल ने शुरू से ही इस विधेयक के बारे में मजबूती का रुख अपनाया था। हमारे दल का विचार शुरू से ही यह था और आज भी है कि हमें महत्वपूर्ण निगमों तथा स्वायत्त निकायों से जिन्हें हमने पिछले वर्षों में बनाया है तथा भविष्य में बनायेंगे, संसद् सदस्यों को निकालना नहीं चाहिये ।

लोक सभा में काफी विवाद के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि अनुसूची २ में संसद् सदस्य कार्यकारिणी समिति तथा स्थायी समितियों के सभापति के पद पर नहीं रहने चाहियें। और अनुसूची १ में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। इसके बाद हमारा भी एक संशोधन था जैसा कि राज्य सभा ने किया है कि संसद् सदस्यों को भाग १ में परिनियत तथा अपरिनियत निकायों के निदेशक अथवा साधारण सदस्य बनने की आज्ञा दी जाये। किन्तु उस समय सरकार ने हमारे संशोधन को नहीं स्वीकार किया। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम राज्य सभा में तो हमारा वह संशोधन सरकार ने स्वीकार कर लिया और अब वह हमारे सामने है ।

श्री महन्ती ने सरकार तथा हमारे बीच के तथाकथित मेल का उल्लेख किया है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि यह बात तो किसी समस्या के हल करने के ढंग से सम्बन्ध रखती है। उनका ढंग दूसरा है और हमारा दूसरा। वे इस बात को संसद् सदस्यों की पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। अगर कोई यह कहे कि कोई सदस्य यदि किसी निगम की स्थायी समिति, प्रबन्ध समिति अथवा निदेशालय में भाग लेता है तो वह भ्रष्ट हो जाता है। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो यह भी कहूँगा कि यदि कोई भ्रष्ट होना चाहता है तो वह संसद् सदस्य होकर भी भ्रष्ट हो सकता है। भ्रष्ट होने की बात कई बातों पर निर्भर करती है। यदि कोई व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि वह भ्रष्ट हो सकता है तो उसे निगमों का सदस्य नहीं होना चाहिये ।

साधारणतः यह कहा जाता है कि संसद् सदस्य जनता के सेवक हैं। वे यहां इसीलिये आते हैं कि उनके निवार्चन कर्ताओं का उनमें विश्वास है। वे यहां इसलिये आते हैं कि उन्हें देश की सेवा करनी है। मैं मानता हूँ कि अपने रिश्तेदारों तथा अपने अन्य सम्बन्धियों के कारण वे स्वार्थी हो सकते हैं। किन्तु फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि हमें उनमें विश्वास रखना चाहिये तभी हमारा कार्य आगे बढ़ सकता है और उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है जिसके लिये हम यहां आये हैं ।

इस प्रकार के निकायों तथा निगमों में जो कार्य एक सदस्य करता है वे संसद् सदस्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। हम अपनी तुलना विदेशों से नहीं कर सकते क्यों कि हमारे यहां का विकास दूसरे ही प्रकार का है। हमने बहुत सा रुपया आर्थिक क्षेत्रों के विकास पर व्यय किया है। हमने एक समाजवादी रास्ता अपनाया है और उसकी पूर्ति के लिये ये महत्वपूर्ण निकाय और निगम बनाये हैं। अगर हम यहां कोरी बातें ही करते रहें और रचनात्मक कार्य न करें तो हम अपने निर्वाचकों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं किन्तु जहांकहीं भी ऐसी बात उठी है हमने उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की है। इसलिये मैं यह स्वीकार नहीं करता कि जैसे ही एक सदस्य इन निगमों या निकायों का सदस्य बनता है तो वह भ्रष्ट हो जायेगा अथवा मंत्रियों से विरोध प्रकट करने लगेगा अथवा महत्वपूर्ण मामलों पर स्वतंत्र विचार रखने लगेगा। अतः मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह संशोधन स्वीकार किया ।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरुदासपुर) : हम इस समस्या पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक के आधार पर अच्छी तरह विचार नहीं किया गया है। इस विधेयक को उतनी अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया है। जितना कि इसे करना था। इस विधेयक पर जो चर्चा हो रही है उससे तो यह प्रतीत हो रहा है कि हम यह चर्चा कर रहे हैं कि एक संसद् सदस्य को कैसा होना चाहिये, अथवा कैसा नहीं, तथा एक संसद् सदस्य कैसा हो सकता है। मेरे पूर्व-वक्ता ने संसद् सदस्य का एक आदर्श चित्र खींचा है। उनका विचार है कि उसे संसद् सदस्य के नाते अपनी सारी शक्ति यहीं लगानी चाहिये। मैं उनसे सहमत हूँ। उनके कहने का अभिप्राय तो यह है कि एक संसद् सदस्य एक राजनैतिक सन्यासी है जिसे संसद् से सम्बन्धित कार्यवाहियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना चाहिये।

संसद् सदस्यों के बारे में यह कहा गया है कि जैसे ही एक संसद् सदस्य किसी स्वायत्त प्राप्त निगम, परिनियत निगम, अथवा अपरिनियत निगम का सदस्य बनता है तो वह अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करने लगता है। वह ऐसे कार्य करने लगता है जो उसके आदर्श के विपरीत हैं। किन्तु मैं तो यह कहूंगा कि ये बातें संसद् सदस्यों के कर्तव्यों के खिलाफ़ हैं। पवित्रता का प्रश्न तो एक महत्व-पूर्ण विषय है। संसद् सदस्यों की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसे ७ लाख व्यक्ति बराबर देखते रहते हैं। उसके ये निर्वाचक उसकी प्रत्येक गतिविधियों पर दृष्टि रखते हैं। ऐसी स्थिति में वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिसका निर्वचन गलत लगाया जाये अथवा उसे गलत समझा जाये।

मेरा विश्वास तो यह है कि यदि संसद् सदस्य इस प्रकार के किसी स्वायत्त निकाय या स्वतंत्र संगठन आदि का सदस्य बनाया जाता है तो वह अपना कार्य ठीक ढंग से करता है। मेरा विचार है कि यदि वह इनका सदस्य बनता है ईमानदारी से कार्य करता है। इसलिये यह कहना कि वह अपने अधि-कारों का दुरुपयोग करेगा बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर यह कहा गया है कि हमें यहां और भी बहुत से कार्य करने हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यदि हमारे यहां उस प्रकार का लोकतंत्र हो जैसा बरनार्ड शा ने बताया है तो बहुत सी आलोचना जो यहां की गई है और बहुत से संशोधन जो यहां रखे गये हैं वे सब समाप्त हो जायेंगे। उनके अनुसार तीन प्रकार के संसदीय लोकतन्त्र हैं। सर्व थम एक संसद् हो जो विधायिनी कार्य करे और इसके लिये व्यक्तियों का एक वर्ग हो जिसका काम विधि बनाना, विधेयक पारित करना, आदि हो। दूसरे आर्थिक कार्य एवं विकासों के लिये अलग संसद् हो। तीसरे एक ऐसी संसद् हो जो प्रशासकीय सेवाओं की देखभाल करे। इस प्रकार ये तीनों संसदें लोकतन्त्र के सामने आने वाली नाना प्रकार की बातों का निर्वाह करें। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब इस एक संसद् के स्थान पर यहां इन सब बातों का निपटारा करने के लिये तीन संसदें होंगी। इसलिये जब तक इस प्रकार की संसदें हमारे यहां नहीं बनतीं तब तक हमें अपनी योग्यता एवं ज्ञान के आधार पर अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहिये।

इस विधेयक में एक बात बहुत अच्छी कही गई है और वह यह है कि विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को संसद् सदस्य बनने से रोका गया है और जब कि सिंडीकेट तथा मंत्रणा समितियों को सदस्य बनने की छूट दी गई है। यह ठीक है क्योंकि उपकुलपति का पद कार्यकारी पद है और उस पद पर काम करने वाला व्यक्ति पूरे समय काम करने वाला होना चाहिये जब कि मंत्रणा समिति के सदस्य के साथ यह बात नहीं है। दूसरे मंत्रणा की आवश्यकता भी हर समय नहीं पड़ती। कभी कभी ही आवश्यकता पड़ती है। उनका काम स्थायी रूप का नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वे जा सकते हैं। इसलिये इन संशोधनों में कार्यकारी पदों को मंत्रणा दाता पदों से अलग किया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भत्ते के बारे में यह विधेयक अपर्याप्त है। उनका यह सुझाव कि इन निकायों के सदस्यों का भत्ता संसद् सदस्य के भत्ते से अधिक नहीं होना चाहिये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि जब एक संसद् सदस्य वहां जाता है तो उसे कुछ अधिक रुपया नहीं मिलता उसे कुछ आर्थिक लाभ नहीं होता अतः वे संस्थायें लाभ कमाने वाली संस्थायें नहीं रहतीं। अन्य दूसरी बातों में भी उसे कोई लाभ नहीं होता। इसलिये मेरे विचार से इन निकायों का सदस्य बनने में कोई हानि नहीं है।

यह कहा गया है कि विश्व के समाचार पत्र मानवजाति की आंख और कान हैं। मेरा कहना तो यह है कि संसद् सदस्य राष्ट्र के आंख, कान और भुजा हैं। अतः मेरा तो यह निवेदन है कि एक संसद् सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि देश में क्या हो रहा है, किस प्रकार देश में विधियां कार्यान्वित होती हैं, तथा देश में किस प्रकार निगम कार्य कर रहे हैं ? इसलिये मैं तो यह कहूंगा कि यह अच्छा है कि वह उनमें कार्य करे ताकि वह उनके बारे में जान सके। कभी कभी ऐसा होता है कि वह उनके बारे में कुछ नहीं जान पाता इसलिये यह अच्छा है कि इनसे अलग रहने की अपेक्षा वह उनमें रह कर कार्य करे। इस प्रकार उनमें रह कर घुलमिल कर काम करना संसदीय लोकतन्त्र को प्रभावी बनायेगा। इसलिये मेरा कहना है कि राज्य सभा ने जो संशोधन विचारार्थ भेजे हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वे संसदीय लोकतन्त्र के कार्य को और भी प्रभावी बनायेंगे।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मुझे इसका बड़ा खेद है कि यह संशोधन इस सभा में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ। इस सभा में इस विषय पर सात दिनों तक वाद-विवाद उठा और इसके अतिरिक्त जब से संविधान का अनुच्छेद १०२ पारित हुआ है तभी से बराबर किसी न किसी रूप में लाभ के पद पर विवाद हो रहा है। लाभ के पद का उपबन्ध भारत सरकार के अधिनियम, १९०९ में पहली बार रखा गया था। तत्पश्चात् इसको १९३५ के अधिनियम तथा संविधान में स्थान दिया गया।

यदि आप अन्य देशों के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि ब्रिटेन की संसद् में क्वीन एन के शासन काल में पारित अधिनियम में इस लाभ के पद के सिद्धान्त को रखा गया था। और ज्यूं ही अन्त में संसद् का प्रभुत्व राजा पर हुआ वैसे ही इसको भी स्वीकार कर लिया गया। कि संसद् सदस्य किसी लाभ के पद को स्वीकार नहीं करेंगे।

अंग्रेजों के चले जाने के बाद, हमारी सरकार आई और हमसे यह गलती हुई कि कुछ संसद् सदस्यों को सरकार ने लाभ के पदों पर नियुक्त कर दिया। परन्तु हमें अन्त में १९५०, १९५१ तथा १९५४ में इसके बारे में अधिनियम पारित करने पड़े क्योंकि विन्ध्य प्रदेश में कुछ विधान सभा सदस्यों को नाम के वेतन पर लाभ के पदों पर नियुक्त करने पर चुनाव आयुक्त ने आपत्ति उठाई। जब १९५० से लाभ के पद का यह प्रश्न हमारे सामने आया तभी से यह प्रश्न उठ रहे हैं कि लाभ के पद को स्वीकार करने का क्या प्रभाव होगा। १९५४ में आपने, श्री रंगा ने, पंडित नेहरू ने, डा० अम्बेडकर ने और श्री विश्वास सभी ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे। और कहा गया था कि अनुच्छेद १०२ की पवित्रता बनाये रखनी आवश्यक है।

आज माननीय मंत्री हमें बताते हैं कि इस विधेयक को पारित करके हम वयस्क मताधिकार की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि उनका आशय है कि संसद् सदस्यों पर हम और उत्तरदायित्व डाल रहे हैं जो सरकार पर होते हैं। इन सारे वर्षों में हमने यही जाना था कि सरकार तथा संसद् सदस्यों दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। उच्चतम न्यायालय की जिम्मेदारियां अलग होती

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हैं और इसीलिये उच्चतम न्यायालय का जज बनने पर हिन्दुस्तान स्टील का प्रबन्धक बनने पर संसद् की सदस्यता से उसे त्यागपत्र देना होगा ।

लाभ का पद एक विवाद का प्रश्न है और इसको हल करने के तरीके उस समिति ने सुझाये थे जिसका मैं सभापति था । सरकार का सम्भवतया यह मत होगा कि संसद् सदस्यों के गुणों का देश के हित में उपयोग किया जाये हम सब भी यही चाहते हैं । केवल अन्तर इतना है कि हम यह चाहते हैं कि इन लाभ के पदों पर नियुक्ति के लिये व्यक्तियों को सभा चुनकर भेजे अथवा अध्यक्ष महोदय उनका चुनाव करें जिससे सभा का भी उन पर विश्वास रहे ।

राज्य सभा में जब इन संशोधनों को पारित किया गया था उस समय माननीय विधि-मंत्री ने श्रीमती रेड्डी के संशोधन को, संशोधन पर श्रीमती रेड्डी द्वारा अपने विचार व्यक्त किये जाने से पहले ही स्वीकार कर लिया था । मुझे इसका बड़ा दुख है कि माननीय मंत्री ने इस सभा के प्रति विश्वास नहीं रखा क्योंकि इसी प्रकार का संशोधन इस सभा में भी प्रस्तुत किया गया था जिसको माननीय मंत्री ने अस्वीकार कर दिया था । संभवतया वह यह भूल गये हैं कि यह विधेयक किन परिस्थितियों के कारण प्रस्तुत किया गया है । अप्रैल १६५४ में अधिनियम १ पारित होने के बाद माननीय अध्यक्ष श्री मावलंकर के कमरे में कितने ही सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई थी क्योंकि हम उस विधेयक से संतुष्ट नहीं थे । तब उस समय के प्रभारी माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह एक सूची बनायेंगे जिसमें सभी लाभ के पदों को बताया जायेगा । इसी काम के लिए १६५४ में १५ सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसको लाभ के पद से सम्बन्धित सभी बातों पर विचार करना था और सरकार को प्रतिवेदन देना था । हम ने प्रतिवेदन दिया जिसमें लाभ के पद की अनुसूची बनाने की सिफारिश की गई थी । माननीय मंत्री हमें पहले ही सूची बनाने का आश्वासन दे चुके थे । इसलिए यह आवश्यक था कि वर्तमान मंत्री महोदय अपने से पहले के मंत्री महोदय के वचनों को पूरा करते । किन्तु उन्होंने ऐसा न करके यह विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें लाभ के पदों की कोई अनुसूची नहीं बनाई गई थी ।

अब इस संशोधन के द्वारा 'निदेशक अथवा सदस्य' शब्द निकाल दिये गये हैं । और मेरे विचार से यह विधेयक अब बेकार का विधेयक हो गया है । राज्य सभा में माननीय मंत्री महोदय ने भी पंडित कुंजरू द्वारा इसको असंगत कहे जाने पर कहा था कि वह उनकी बात मानते हैं । मैं भी बताता हूं कि यह असंगत क्यों है । 'निदेशक अथवा सदस्य' शब्द निकाल देने पर संसद् का कोई भी सदस्य किसी निगम का सदस्य अथवा निदेशक बन सकता है । जब आप यह मानते हैं कि निदेशक अथवा सदस्य बन कर संसद् सदस्य देश की भली प्रकार सेवा कर सकता है तो किसी संस्था का सभापति बन कर तो वह और भी अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है । मेरे विचार से हमें इसलिए विधेयक में से सभापति शब्द भी निकाल देना चाहिए और सभापति के पद पर आसीन व्यक्ति के लिए अनर्हता नहीं रखनी चाहिए ।

मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछा गया था कि आपने उप-कुलपति को अनर्ह क्यों बनाया है । उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि उनको अनर्ह नहीं बनाया जाना चाहिए परन्तु क्योंकि दल के अधिकांश सदस्य ऐसा चाहते हैं इसलिए ऐसा किया गया है । बड़ी अजीब बात है जब हम ने, लोक सभा के ५०० सदस्यों ने एक बात की मांग की उस समय उसको नहीं माना गया परन्तु राज्य सभा की एक महिला सदस्य का इतना असर कि उनकी अकेली की बात को मान लिया गया । प्रवर समिति में इस पर विचार किया गया । इस सभा में इस पर विचार

किया गया परन्तु मंत्री महोदय को उस समय यह नहीं सूझा कि किसी संस्था के सभापति को अनर्ह रखा जाये और निदेशक तथा सदस्य को अनर्ह न रखा जाये। बस जब विधेयक दूसरी सभा में पहुंचा तभी ध्यान आया कि इस प्रकार का संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये जिससे विधेयक का सार ही समाप्त हो जाये।

संविधान के अनुच्छेद १०२ में दिया है कि कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिए अनर्ह होगा यदि वह कोई लाभ का पद धारण किये हुए है। परन्तु यदि संसद् किसी पद को अनर्हता घोषित न करे तो उस पद पर आसीन व्यक्ति सदस्य हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि सभी प्रकार के पदों को अनर्ह अथवा अर्ह करने की क्षमता इस सभा की है। भविष्य में बनने वाली समितियों आदि के पदों के बारे में सभा अभी से घोषणा नहीं कर सकती है। आप इसके बारे में उच्चतम न्यायालय की राय ले सकते हैं और मेरे विचार से माननीय विधि मंत्री की भी ऐसी ही राय है। इसीलिये मेरा विचार है कि यदि हम इसे स्वीकार कर लेंगे तो संविधान का उल्लंघन करेंगे।

मैं तो यह समझता हूं कि लाभ के किसी भी पद के बारे में निर्णय लेने से पूर्व संसद् को उस पर पूरी तरह विचार करना चाहिए। परन्तु यदि हम ऐसे पदों के बारे में जो भविष्य में बनने वाले हैं कोई निर्णय लेते हैं तो हम संविधान का उल्लंघन करते हैं। ऐसा भी सुझाव दिया गया था कि बनने वाली समितियों के पदों पर विचार करने के लिए संसद् की एक स्थायी समिति बनाई जानी चाहिए। उस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय विधि मंत्री का ध्यान मेरे संशोधन की ओर दिलाया था और पूछा था कि जिन समितियों को उन्होंने देखा भी नहीं है उनके बारे में वह किस प्रकार कह सकते हैं कि उनके पद अनुच्छेद १०२ के अधीन आते हैं। वह इसका कोई उत्तर नहीं दे पाये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि डा० अम्बेडकर, श्री विश्वास, चुनाव आयुक्त श्री सेन, भूतपूर्व अध्यक्ष तथा अन्य उन सदस्यों का, जिन्होंने पहले वाद-विवाद में भाग लिया था, मत था कि अनुच्छेद १०२ सदस्यों की स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए है जिससे मंत्री सदस्यों को किसी पद पर नियुक्त करके, उनके ऊपर अपना दबाव न डाल सकें। परन्तु इस संशोधन के द्वारा यह धारणा बनाई जा रही है कि समिति के सदस्य तो मंत्रियों के दबाव में नहीं आ पायेंगे जबकि समिति का सभापति उनके दबाव में आ जायेगा।

यह सब बताने से मेरा यह मतलब नहीं है कि सभा के सभी सदस्य भ्रष्ट होते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हमें उन सभी देशों का आदर करना चाहिए जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर अपने अधिनियमों में ऐसे उपबन्ध रखे हैं। हजारों सालों तक अंग्रेज़ इन्हीं उपबन्धों अर्थात् लाभ के पदों की अनर्हता के लिए लड़ते रहे और अन्त में इनको रखा पाये। मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप इस सभा की पवित्रता, स्वतंत्रता को बनाये रखना चाहते हैं तो हमें समिति के निदेशक तथा सदस्य को भी अनर्ह बनाना होगा अन्यथा सदस्य मंत्रियों के दबाव में रहेंगे और स्वतंत्रता से सभा में मतदान नहीं कर पायेंगे। मंत्रियों को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह लाभ के पदों पर सदस्यों की नियुक्ति करें। मैं चाहता हूं कि यदि सदस्यों की नियुक्ति समिति में हो तो या तो सभा में उनका चुनाव हो या अध्यक्ष महोदय या राज्य सभा के सभापति उनको चुनें और नियुक्त करें। मेरी अपने मित्रों से प्रार्थना है कि इस विधेयक के संशोधनों पर पूरी तरह विचार करके ही अपना मत दें।

†**श्री अशोक मेहता** (मुज़फ्फरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने जिन जोरदार शब्दों में हमको इस प्रश्न के सम्बन्ध म बताया है उसी से प्रभावित होकर मैं कुछ कहने खड़ा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अशोक मेहता]

हुआ हूं अन्यथा मैं अधिकांशतः विधि के प्रश्नों से अलग रहता हूं । भार्गव जी पहले भी हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं परन्तु आज उन्होंने इस प्रश्न से सम्बन्धित समस्त इतिहास हमारे सामने रखा और बताया कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । उन्होंने कहा कि हमें इस पर पूरी तरह से विचार करना चाहिए ।

आज हम से सरकार कहती है कि इन दस वर्षों में जो कुछ हम ने निर्णय किये उन पर पुर्नविचार करें । परन्तु यह नहीं बताया कि हम पुर्नविचार क्यों करें । पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बताया कि इस पर पुर्नविचार करना इसलिये आवश्यक है क्योंकि नये निगम बनते जा रहे हैं और इस पर विचार किया जाना आवश्यक है ।

जिस प्रकार एक स्त्री के लिए उसका सदाचरण सबसे महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार संसद् सदस्यों के लिये उनकी स्वतंत्रता है । जब हम पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे तभी तो प्रशासन पर निगरानी रख पायेंगे जो कि हमारी जिम्मेदारी है । इसलिए इस प्रकार के मामले में जिसमें संसद् सदस्य की स्वतंत्रता नष्ट होने का प्रश्न आता है हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिये अपितु सावधानी से विचार करके तभी कोई निर्णय करना चाहिए ।

इस विधेयक का संसद् की परम्पराओं, से सम्बन्ध है और इसलिए मेरा अपना विचार है कि संसदीय लोकतंत्र में जब कुछ सदस्यों का भी ऐसा विचार हो कि किसी बात का परम्पराओं पर बुरा असर पड़ेगा तो उस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । विशषतया पंडित ठाकुर दास भार्गव जैसे संसदीय लोकतंत्र के परम हिमायती की बात हमें अवश्य माननी चाहिए ।

इसलिए मैं समझता हूं कि हमें ये संशोधन स्वीकार नहीं करना चाहिये । यदि सम्भव हो तो दोनों सभाओं का संयुक्त सत्र बुलाया जाना चाहिए और इस मामले पर पूरी तरह विचार किया जाना चाहिए । यदि हमसे आशा की जाये कि हम प्रशासन पर उचित प्रकार का नियंत्रण करें और किसी के प्रभुत्व में नहीं आयें तो इस पर आहिस्ता-आहिस्ता सावधानी से विचार किया जाना चाहिए ।

†**डा० कृष्णस्वामी** (चिंगलपट): उपाध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि राज्य सभा द्वारा किये गये इन संशोधनों से यह विधेयक एकदम बदल गया है । मेरे विरोधी पक्ष के मित्रों का यह मत है कि असैनिक कर्मचारी तथा विधायकों में कोई अन्तर नहीं रखा जाना चाहिये और विधायकों को निदेशक अथवा सदस्य के पदों पर रखने में कोई बुराई नहीं है । परन्तु मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि संसद् सदस्यों का निदेशकों अथवा सदस्यों के रूप में समितियों तथा निगमों में नामनिर्देशन बड़ा खतरनाक है ।

जब हमारा इनमें नामनिर्देशन किया जाता है तब यह कहा जाता है कि हम लोगों में भ्रष्टाचार, पक्षपात नहीं होगा परन्तु जब व्यवहार में आने पर मामला बिल्कुल उल्ट जाता है क्योंकि इन सभी निगमों में मंत्री महोदय निदेश देते हैं और कोई सदस्य कितना भी स्वतंत्र, निष्पक्ष क्यों न हो उसको मंत्री महोदय के निदेशों के अनुसार चलना पड़ता है और सभा में आने पर निगम में कुछ बुराइयां होने पर भी उनके बारे में वह यहां पर कुछ नहीं कह पाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने हमारा ध्यान ठीक ही इस खतरे की ओर दिलाया है और मैं आशा करता हूं कि सरकार ही नहीं अपितु समस्त सभा इस मामले पर समझ बूझ कर विचार करेगी। यह मामला सभा के मान तथा प्रतिष्ठा का है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सभा के सदस्य इन संशोधनों पर पूरी तरह विचार करेंगे और माननीय विधि उपमंत्री द्वारा प्रस्तुत इन संशोधनों को अस्वीकार कर देंगे जिससे यह सिद्ध हो जाये कि देश में संसदीय लोकतंत्र को हम कितना महत्व देते हैं।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम): यद्यपि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के विरुद्ध अच्छे तर्क दिये हैं और डा० कृष्णस्वामी ने उनका समर्थन किया है परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं। संक्षेप में उनका तर्क यह है कि यदि संसद् सदस्य किसी संविहित निगम में संचालक अथवा अंशधारी बन जाते हैं तो उनकी स्वतंत्रता कम हो जायेगी क्योंकि वह मंत्री को प्रभावित करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु विधेयक में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उनकी नियुक्ति मंत्री करेगा

मेरे विचार से हमारे देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में, जब कि योग्य व्यक्तियों की कमी है, संसद् सदस्यों पर ऐसी कोई रोक नहीं होनी चाहिये कि वह किसी संविहित निगम के कार्य का भार न ले सकें। हम ऐसा क्यों मान लें कि निगम में पद-भार ग्रहण कर लेने से सदस्य की स्वतंत्रता समाप्त हो जायेगी? यदि सदस्य निर्वाचकों के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है जो उसकी स्वतंत्रता नष्ट नहीं हो सकती। इसके विपरीत उससे देश को लाभ ही होगा। सदस्य गण निगम के कार्य की जांच करके उसके दोषों को सदन में ला सकेंगे और इस तरह उनका कार्य संचालन अधिक अच्छा हो सकेगा।

संविधान के अनुच्छेद १०२ में कहा गया है कि संसद् उन पदों की एक सूची बनायेगी जिन्हें संसद् की सदस्यता के लिए अयोग्यता नहीं समझा जायेगा। दूसरे शब्दों में, हम ऐसा कानून बना सकते हैं कि अमुक पद संसद् की सदस्यता के लिए अयोग्यता नहीं समझे जायेंगे ऐसा नहीं कि अमुक पद संसद् की सदस्यता के लिए अयोग्यता समझे जायेंगे। परन्तु इस विधेयक में एक अनुसूची में उन पदों को निर्दिष्ट किया जा रहा है जो अयोग्यता समझे जायेंगे। मेरी समझ से यह अनुच्छेद १०२ के उप-अनुच्छेद (क) की भावना के विरुद्ध है। मैंने इस अनुच्छेद को भली प्रकार पढ़ा है और मैंने उसका यही निष्कर्ष निकाला है कि हम उन्हीं पदों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें अयोग्यता नहीं समझा जायेगा।

मैं यह तो नहीं कहूंगा कि इस अनुसूची को विधेयक से सर्वथा उड़ा दिया जाये परन्तु मेरा इतना निवेदन अवश्य है कि उसमें से "अनुसूची के भाग १ में निर्दिष्ट संविहित अथवा असंविहित निकाय का संचालक अथवा सदस्य" शब्द हटा दिये जाने से कोई हानि नहीं होगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह तर्क रखा कि इन पदों को स्वीकार करने से सदस्यों की ईमानदारी और स्वतंत्रता नष्ट हो सकती है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। संविधान में वाइस-चांसलर के पद को अयोग्यता नहीं माना है। परन्तु यदि पंडित भार्गव के तर्क को ठीक माना जाये तो इस पद को भी अयोग्यता माना जाना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन पदों को स्वीकार करने से सदस्य की कोई हानि नहीं हो सकती यदि वह दृढ़ चरित्र हो और निर्वाचकों और सदन के प्रति अपने कर्तव्यों का ध्यान रखता हो। वास्तव में ये पद बहुत जिम्मेदारी के हैं और संसद् सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति ही चुने जाते हैं इसलिये इन पदों पर उनका काम करना वांछनीय भी है। संविहित निकायों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

में पद ग्रहण कर संसद् सदस्यों को उनके कार्य संचालन में सुधार करना चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह विचार गलत है कि संसद् सदस्य किसी संविहित निकाय के संचालक अथवा सदस्य का पद ग्रहण नहीं कर सकता और इस पर भली प्रकार विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री हजारनवीस** : मैं चाहता हूं कि मैं जब सहमति का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूं तब इकट्ठा उत्तर दे दूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: जब यह विचार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तो माननीय सदस्यों ने उस के स्वीकार किये जाने पर आपत्ति की थी । इसलिये यदि माननीय मंत्री अभी कुछ उत्तर दे दें तो अच्छा है ।

†**श्री हजारनवीस** : मैं सोच रहा था कि विचार प्रस्ताव तथा सहमति प्रस्ताव दोनों पर उठाई गई आपत्तियों के सम्बन्ध में एक साथ ही उत्तर दे दूंगा । परन्तु यदि आप का आदेश है तो मैं विचार प्रस्ताव के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्तियों का उत्तर पहले दिये देता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि 'लाभ-पद' का कुछ विशेष महत्व होता है । लाभ-पद के सम्बन्ध में उन का जो विचार है हम उस से सहमत नहीं हैं । उन की मूल धारणा, जिस के आधार पर उन्होंने अपनी अधिकांश आपत्तियां रखी हैं, यह है कि लाभ का तात्पर्य केवल आर्थिक प्राप्ति से ही नहीं है यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ने लाभ की जो परिभाषा की है उस पर विचार करते समय हमें इस का अध्ययन करना होगा कि यदि सदस्य की नियुक्ति ऐसे पदों पर की जायेगी तो उसको वास्तव में कितनी प्राप्ति होगी ।

अभी हमने अपना प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के आधार पर रखा है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई घोषणा हमारे लिये मान्य होती है । अनुच्छेद १४१ में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश का कानून माना जायेगा । 'लाभ-पद' का निर्वचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है । उस ने स्पष्ट कह दिया है कि लाभ का तात्पर्य आर्थिक प्राप्ति है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिये जाने के पश्चात् प्रश्न यह रह जाता है कि किसी पद से संबंधित उपलब्धियों से लाभ होता है या नहीं । जहां तक संविधान को लागू करने और उसके उपबन्धों के निर्वचन का प्रश्न है, यद्यपि हम में से प्रत्येक अपनी बुद्धि के अनुसार उसका निर्वचन करने का अधिकारी है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्वचन समस्त प्राधिकारियों पर बाधक है । इसलिये यदि हम यह कहें कि 'लाभ-पद' का तात्पर्य केवल आर्थिक प्राप्ति से नहीं है और हम उसके अर्थ का विस्तार क्षेत्र बढ़ा दें तो ऐसे निर्वचन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ।

फिर संविधान के अन्तर्गत हम किसी अयोग्यता का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि उसमें किसी अयोग्यता का उल्लेख नहीं है । यदि हम यह कहें कि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति संरक्षण का विस्तार करेगा और संरक्षण नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के हाथ में रहता है इसी से कोई पद लाभ-पद हो जाता है और यह निर्वचन रखें तो यदि उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो इस बात से हमारा विधान अप्रभावी हो जायगा कि हम अयोग्यतायें निश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जबकि संविधान में वैसा कुछ नहीं है ।

हम अनेक बार यह संकेत कर चुके हैं कि 'लाभ-पद' का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्वचन किया गया है इसलिये प्रत्येक मामले में प्रश्न यह होगा कि क्या किसी पद विशेष से सम्बद्ध वेतन और

†मूल अंग्रेजी में

उपलब्धियां 'लाभ' हैं ? यदि वह 'लाभ' है तो वह पद अवश्य ही निषध के अन्तर्गत आ जाता है । परन्तु यदि वह लाभ नहीं है तो अनुच्छेद १०२ अप्रासंगिक है । ऐसी अयोग्यतायें निर्धारित करने से क्या फायदा है जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है ।

†श्री ईश्वर अय्यर : सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी प्रकार की प्राप्ति उसमें आ जाती है ।

†श्री हजारनवीस : यदि ऐसा कोई निर्णय है तो उसे मेरी जानकारी में लाया जाये । मैं उसे जानना चाहूँगा । हमने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ही आधार माना है । जो कुछ वह न्यायालय कहता है वही ठीक है । यदि वह श्री ईश्वर अय्यर की बात को ठीक कहता है तो हमें उस पर विचार करना होगा ।

फिर हम 'प्रतिकरात्मक भत्ता' शब्द पर आते हैं । सदस्यों को केवल प्रतिकरात्मक भत्ता ही देय है । भत्ते का उद्देश्य क्षतिपूर्ति करना है, लाभ कराना नहीं । प्रतिकरात्मक भत्ते का तात्पर्य उस राशि से है जो किसी पदधारी को अपने पद के कृत्यों के सम्पादन में हुए व्यय की पूर्ति के लिये दैनिक भत्ते [ऐसा भत्ता उस राशि से अधिक न होगा जो संसद सदस्यों को संसद-सदस्य (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम के अन्तर्गत दैनिक भत्ते के रूप में मिलती है], सवारी भत्ते, मका किराया भत्ते अथवा यात्रा भत्ते के रूप में देय हो । इस तरह से यह स्पष्ट है कि उसको जो कुछ भी प्राप्ति होगी वह केवल उसके द्वारा किये गये व्यय की क्षतिपूर्ति मात्र करेगी । यदि यह स्थिति है, यदि उसे केवल इतनी ही प्राप्ति होती है जिससे उसकी क्षतिपूर्ति मात्र होती है तो मैं कहूँगा कि वह पद लाभ-पद नहीं है और इसलिए अनुच्छेद १०२ लागू नहीं होगा ।

जब हम इन समस्त पदों के बारे में इस निश्चय पर पहुँच जायेंगे कि जहां तक उसके आर्थिक भाग का संबंध है सदस्य को प्रतिकरात्मक भत्ते से अधिक कुछ नहीं मिलेगा तो उसे कोई लाभ नहीं होता है, और इसलिए उसे अनर्हता नहीं ठहराया जा सकता ।

फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि हम यह मान भी लें कि कोई लाभ नहीं होता है तब भी क्या वह पद केवल इसलिए लाभ-पद समझा जाएगा कि उसमें संरक्षण और प्रभाव तो रहता ही है ? मैंने इस प्रश्न के संबंध में काफी छानबीन की है । इस सदन में तथा अन्यत्र भाषणों में यह कहा गया है कि यदि यह मान लिया जाये कि किसी पद के साथ संरक्षण का भाव रहता ही है तो वह लाभ-पद हो जाता है । परन्तु संवैधानिक विधि की किसी भी पुस्तक में मुझे ऐसा अर्थ नहीं मिला है ।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव: कैम्पियन की पुस्तक में लिखा है कि सम्मान का स्थान भी एक लाभ-पद है ।

†श्री हजारनवीस : यदि माननीय सदस्य वे पंक्तियां मुझे दिखायें तो मैं अपना मत बदल लूंगा । मैंने इस संबंध में काफी ढूंढने का प्रयत्न किया है परन्तु मुझे तीन ही प्रकार के पद मिले हैं जो निषेध के अन्तर्गत आते हैं । पहले वे पद हैं जिनमें कुछ वेतन दिया जाता है । यह मामला स्पष्ट ही है । दूसरे वे पद हैं जिनमें वेतन संबद्ध तो होता है पर लिया नहीं जाता । इनके संबंध में भी आपत्ति होती है । तीसरी श्रेणी में वे पद आते हैं जिनके संबंध में कामन्स सभा ने यह निर्णय दिया है कि उन्हें लाभ-पद माना जाये । चौथी कोई श्रेणी नहीं है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति एक रुपया महीना लेते हैं, वह किस श्रेणी में आयेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हजारनवीस : उनका पद लाभ-पद है जिसका वेतन ३००० रुपये है परन्तु वह लेते केवल एक ही रुपया हैं । उन्हें दूसरी श्रेणी में रखा जायेगा ।

जहां तक संरक्षण सम्बन्धी आपत्ति का प्रश्न है वह मंत्री के संरक्षण के बारे में है । उस के सम्बन्ध में इस आधार पर आपत्ति की जाती है कि उस का संरक्षण इतना विस्तृत है कि वह अनेक सदस्यों को अपने पक्ष में 'खरीद' सकता है और एक दल बना कर अपने पद पर बहुत समय तक रह सकता है । संवैधानिक विधि सम्बन्धी समस्त पुस्तकों में, जो मैं पढ़ सका हूं, मंत्री के संरक्षण के सम्बन्ध में ही आपत्ति की गई है, उन पदों के संरक्षण के सम्बन्ध में नहीं जिन पर नियुक्ति की जाती है । यदि केवल संरक्षण के प्रति आपत्ति की गई होती तो ब्रिटेन के अधिनियम में दी गई विमुक्तियों की सूची में से बहुत से पदों को विमुक्ति न मिलती । इसलिये मेरे विचार से 'लाभ-पद' के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्वचन के अनुसार उस का तात्पर्य उस पद से है जिस से कोई आर्थिक प्राप्ति होती हो ।

मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का कुछ भाग पढ़ कर सुनाता हूं जो ए० आई० आर० १९५४ सुप्रीम कोर्ट के पृष्ठ ६५३ में दिया हुआ है :

> "इस शब्द का सीधा तात्पर्य यह है कि पद सरकार के अन्तर्गत हो तथा उस के साथ कुछ वेतन, उपलब्धियां अथवा भत्ते संबद्ध हों । 'लाभ' शब्द में आर्थिक प्राप्ति का भाव है । यदि वास्तव में कोई प्राप्ति होती है तो उस की मात्रा कुछ भी हो सकती है ।"

इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी पद को केवल इसलिये लाभ-पद कहना कि उस पर रह कर संरक्षण किया जा सकता है, यद्यपि उस में कोई आर्थिक प्राप्ति नहीं होती, एक ऐसी बात है जिस की पुष्टि किसी अधिकृत प्रमाण से नहीं होती है ।

दूसरे, हमें कानून की भावना को लेना चाहिये शब्दों को नहीं क्योंकि हम संसद सदस्यों को केवल प्रतिकरात्मक भत्ता देते हैं और प्रत्येक सदस्य यह जानता होगा कि अनेक मामलों में प्रतिकरात्मक भत्ता वास्तव में क्षतिपूर्ति नहीं करता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने हमें अनुसूची से सहमत कराने का प्रयत्न किया और हम उन्हें अपनी बात से सहमत कराने का प्रयत्न कर रहे हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक संसदीय प्रणाली की पवित्रता बनाये रखने के प्रयत्न का सम्बन्ध है हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे । इस विधेयक से किसी भी प्रकार से संसद के सदस्यों की स्वतंत्रता पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि एक अधिनियम अभी भी ऐसा है जो इस विधेयक की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान करता है और वह है १९५३ का संसद (अनर्हता निवारण) अधिनियम । इस का उल्लेख मैं दो कारणों से कर रहा हूं । प्रथम उस में हम ने समस्त संविहित तथा असंविहित निगमों को विमुक्ति दे दी है यदि केवल प्रतिकरात्मक भत्ता दिया जाता है । इस सदन में एक भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस में इस अधिनियम के कार्यकरण में दोष पाया गया हो । एक ओर संभावना का सहारा लिया जा रहा है परन्तु हम अनुभव का पक्ष ले रहे हैं । यदि गत छै वर्षों में प्रस्तुत विधेयक से अधिक शक्ति प्राप्त होने पर भी उस का दुरुपयोग नहीं किया गया है और कोई शिकायत नहीं की गई है तो इस बात के कहने में क्या तर्क है कि भविष्य में उस का सदुपयोग नहीं किया जायेगा ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि १९५३ के अधिनियम में जो खण्ड है वह सामान्य है : उस में संविहित तथा असंविहित दोनों प्रकार के निकायों की सदस्यता आ जाती है । उस में सभी

†मूल अंग्रेज़ी में

निकाय सम्मिलित हैं—जो उस समय थे तथा जो बाद में निर्मित हों । पंडित ठाकुर दास भार्गव के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को यह नहीं सूझा कि ऐसा उपबन्ध संविधान के प्रति कपट है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : वह अधिनियम संतोषजनक नहीं था इसीलिये तो यह समिति नियुक्त की गई थी । भूतपूर्व विधि मंत्री श्री बिस्वास ने यह आश्वासन दिया था कि इस के सुधार के लिये एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा ।

†**श्री हजारनवीस**: मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि गत छै वर्षों में इस उपबन्ध के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की गई है । उस की शब्दावलि कितनी भी सामान्य हो परन्तु सदस्यों को विमुक्ति प्राप्त रही है और उसे अनिश्चयात्मक नहीं समझा गया है । यह कभी नहीं कहा गया कि उस से आवश्यक विमुक्ति नहीं मिल रही है और वह संविधान के प्रति कपट है । गत दो वर्षों से उस का प्रभाव काल बढ़ाया जा रहा है । मैं इतना ही कह सकता हूं कि यदि किसी पद को पृथक रूप से विमुक्ति दी जा सकती है तो उसे वर्ग के रूप में अथवा उस के कृत्यों के वर्णन द्वारा भी वैसा किया जा सकता है । संसद् को ऐसा कहने से कोई नहीं रोक सकता कि अमुक वर्ग पर अनर्हता लागू नहीं होगी । मैं नहीं समझता कि सामान्य शब्दावलि में विमुक्तियों का विस्तार करने में कोई गलती है । अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत अनर्हता दूर करने के लिये प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में पृथक निर्णय करना आवश्यक नहीं है ।

हमें पूरा विश्वास है कि हमन जो प्रक्रिया अपनायी है और जिस शब्दावलि का व्यवहार किया है वह पूरी तरह सक्षम, वैध और संविधान के अनुरूप है । हमें पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा उठायी गई आपत्तियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। श्री अशोक मेहता की आपत्ति यह है कि हमें पृथकता का सिद्धांत अपनाना चाहिये जबकि इस विधेयक के द्वारा यह संभावना है कि कार्यपालिका के सदस्य संसद् सदस्यों को संरक्षण दे कर उन्हें भ्रष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि शक्तियों की पृथकता के सिद्धांत को पूर्ण व्यवहारिक रूप अमेरिकी संविधान में दिया गया है । हमारे देश में विधान सभायें और कार्यपालिका संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। इसीलिये इसे संसदीय प्रकार की कार्यपालिका कहते हैं। हम लोग संसद् के सदस्य तथा साथ ही कार्यपालिका सरकार के भी सदस्य हैं। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति तब तक कार्यपालिका का सदस्य नहीं हो सकता है जब तक कि वह संसद् के दोनों सदनों में से एक का सदस्य न हो ।

जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि अमेरिका में सर्वोच्च स्तर पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान मंडल एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। तथापि वहां भी आधुनिक रूप के सामाजिक संगठनों की आवश्यकता पूरी करने के लिये स्वायत्तशासी निगम बनाये गये हैं। इन स्वायत्तशासी निगमों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हावर्ड स्कूल के एक सुप्रसिद्ध डीन का यह मत है कि इनकी उत्पत्ति विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से हुई है। इस प्रयोजन के लिये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानमंडल तीनों को संयुक्त करना आवश्यक है । इन स्वायत्तशासी निगमों में उक्त तीनों प्रकार की शक्तियों का समायोजन रहता है ।

इंगलैंड में भी यही समस्या दूसरे रूप में उठी है। वहां की मजदूर दलीय सरकार ने वहां राष्ट्रीयकृत उद्योगों की उत्पत्ति के पश्चात्, श्री हर्बर्ट मोरीसन की प्रेरणा से, नये स्वायत्तशासी निगमों की स्थापना की थी। इस प्रकार इंगलैंड और भारत दोनों देशों में यह प्रश्न कि इन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

स्वायत्तशासी निगमों पर संसद् का नियंत्रण किस प्रकार रहे, लगभग साथ साथ उठा। इंगलैंड के हाउस आफ कामन्स में यह एक ज्वलंत समस्या है कि इन स्वायत्तशासी निगमों पर नियंत्रण रखने के लिये किस प्रकार की व्यवस्था को जन्म दिया जाये।

†**श्री अशोक मेहता** : पंडित ठाकुर दास भार्गव के कथन का तात्पर्य यह था कि यदि सभा किसी व्यक्ति की नियुक्ति करती है तो वह एक बात है लेकिन यदि यही नियुक्ति मंत्री के द्वारा की जाती है तो उसमें बहुत अन्तर हो जाता है। वस्तुतः प्रश्न का मुख्य पहलू यह है।

†**श्री हजारनवीस** : मैं श्री अशोक मेहता का इस बात के लिये कृतज्ञ हूं कि वह यह बात मेरे ध्यान में लाये। उनका दृष्टिकोण बिल्कुल वस्तुगत और राजनैतिक है जब कि पंडित ठाकुर दास भार्गव का दृष्टिकोण पूर्णतः कानूनी है। हमारा यह दृष्टिकोण है कि जब कोई संसद् सदस्य सभा द्वारा चुन कर किसी स्वायत्तशासी संस्था में जाता है तो वह सरकार के अधीन पदाधिकारी नहीं है। अनुच्छेद १०२ में यह शब्द हैं कि वह सरकार के अधीन किसी लाभपद पर होना चाहिये, लेकिन जब सभा किसी व्यक्ति को किसी पद के लिये चुनती है तो वह सरकार के अधीन पदाधिकारी नहीं कहा जा सकता है। कई ऐसे निगम हैं जिनके संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि उनके सदस्यों को संसद् से चुना जाना चाहिये। पंडित ठाकुर दास भार्गव चाहते हैं कि सभी निगमों के मामले में यही प्रतिक्रिया अपनाई जाये। यदि ऐसा है तो अनुच्छेद १०२ इस मामले में बिल्कुल असंगत है। तब हमें अनर्हता निवारण करने के स्थान पर प्रत्येक मामले में सदस्यों का चुनाव करना चाहिये। परन्तु हम एक दूसरे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और वह प्रश्न यह है कि क्या संसद् सदस्यों को भी स्वायत्तशासी निगमों की व्यवस्था में शामिल करना चाहिये? इंगलैंड में पार्लियामेंट की एक समिति है, जो कि वहां के स्वायत्त-शासी निगमों के कार्य की देखरेख करती है। हमने इसके स्थान पर दूसरा तरीका अपनाया है। १९५३ के पश्चात् से हम इस कार्य में रुचि रखने वाले सदस्यों को स्वायत्तशासी निगमों का कार्य करने देंगे। इनकी नियुक्ति कभी संसद् द्वारा और कभी सरकार द्वारा की जायेगी। मैं राजनीति के विद्यार्थी होने की हैसियत से श्री अशोक मेहता से यह पूछना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के संसद् द्वारा चुने जाने या उसे मंत्री द्वारा नामनिर्वाचित करने में क्या अन्तर हो जाता है। मैं श्री अशोक मेहता से यह भी प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यदि मंत्री द्वारा नामनिर्वाचित किये जाने के स्थान में सभा को किसी व्यक्ति को चुनने का अधिकार दे दिया जाये तो उसमें क्या अन्तर हो जायेगा। अब भी यदि मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिस पर सभा को या सभा के एक पक्ष को आपत्ति होती है तो यह प्रश्न सभा में उठाया जा सकता है। प्रश्न केवल प्रक्रिया और दृष्टिकोण का है। तथापि बुनियादी प्रश्न अभी भी बाकी है वह यह है कि किसी संसद् सदस्य को स्वायत्तशासी निगम में हिस्सा लेना चाहिये या नहीं।

†**श्री अशोक मेहता** : वस्तुतः इस सम्बंध में दो प्रश्न उठाये गये हैं। पहिला स्वायत्तशासी निगमों पर संसद् द्वारा नियंत्रण का सब से अच्छा तरीका क्या हो सकता है। इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने यह बताया है कि संसद् सदस्यों को निगमों की व्यवस्था में शामिल होना चाहिये। तथापि इस प्रश्न पर पिछले सत्र में पर्याप्त चर्चा हुई थी। इसी सम्बन्ध में कांग्रेस दल ने एक

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति भी नियुक्त की है। तथापि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम इस सम्बन्ध में उस निर्णय पर पहुंचे हैं जिसका उल्लेख मंत्री महोदय ने किया है । यह प्रश्न अभी भी विवाद ग्रस्त है ।

दूसरी बात के बारे में मेरा यह विचार है कि सभा द्वारा किसी को नामनिर्देशित करने और मंत्री द्वारा किसी को नामज़द करने में व्यापक अन्तर है । क्योंकि मंत्री द्वारा नामजद किये जाने पर सदस्य में यह भावना आ सकती है कि उसे मंत्री की आलोचना करने में नरमी से काम लेना चाहिये इसके बदले में वह मंत्री महोदय की कृपा की आशा कर सकता है । इस प्रकार की भावना का विकास होना सदस्य के लिये नैतिक पतन का कारण हो सकता है । अतः हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये कि सदस्यों में इस प्रकार की भावना का विकास हो ।

†**श्री हजारनवीस :** मैं माननीय सदस्य से अब भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब तक सभा में अल्प मत और बहुमत के दो पक्ष हैं, तब तक मन्त्री द्वारा नामज़द किये जाने और सभा द्वारा नामजद किये जाने में क्या अन्तर है । इसलिये जब कभी कोई निगम स्थापित हो तो हमें उसके संविधान की ओर ध्यान देना चाहिये कि क्या संसद् से सदस्य चुने जाने आवश्यक हैं । यदि हां, तो उन्हें चुनने के लिये कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाये । वस्तुत किसी निगम के लिये सदस्यों का चुनाव उसके अपने नियमों के अनुसार होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि इस बात की घोषणा करने वाले विधेयक में कि सरकार के अधीन कुछ लाभ-प्रद पदों को धारण करने वाले ऐसे पदों को धारण करने के कारण संसद् सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये :—

**खण्ड ३**

१. पृष्ठ २, पंक्ति २१ में, "which is an advisory body (जो एक मंत्रणा-दाता संस्था है)" शब्द हटा दिये जायें ;

२. पृष्ट २, पंक्ति ३७–३८ में, "director or member (निदेशक या सदस्य)" शब्द हटा दिये जायें ; और

३. पृष्ठ ३, पंक्ति ९ में, "clauses (h) and (i) [खण्ड (ज) और (झ)]" शब्दों के स्थान पर "this section (यह धारा)" शब्द रखे जायें ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खण्ड ३**

†**श्री हजारनवीस :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

१. पृष्ठ २, पंक्ति २१ में, "which is an advisory body (जो एक मंत्रणादाता संस्था है)" शब्द हटा दिय जायें ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

२. पृष्ठ २, पंक्ति ३७—३८ में, "director or member (निदेशक या सदस्य)" शब्द हटा दिये जायें ; और

३. पृष्ठ ३, पंक्ति ९ में, "clauses (h) and (i) [खण्ड (ज) और (झ)]" शब्दों के स्थान पर "this section (यह धारा)" शब्द रखे जायें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति २१ में, "which is an advisory body (जो एक मंत्रणादाता संस्था है)" शब्द हटा दिये जायें।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३७—३८ में, "director or member (निदेशक या सदस्य)" शब्द हटा दिये जायें।

**सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में ६६ और विपक्ष में १६**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति ९ में, "clauses (h) and (i) [खंड (ज) और (झ)]" शब्दों के स्थान पर "this section (यह धारा)" शब्द रख दिये जायें।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**संशोधन किये गये**

(१) पृष्ठ १,

(एक) पंक्ति ३ में " (I), (१)" अंक हटा दिया जाये ;

(दो) पंक्ति ५ हटा दी जाये ;

(२) पृष्ठ १, पंक्ति १,—

"Ninth Year" (नवें वर्ष) शब्दों के स्थान पर "Tenth Year" (दसवें वर्ष) शब्द रख दिये जायें।

(३) पृष्ठ १, पंक्ति ४ में,—

'1958' (१९५८) के स्थान पर '1959' (१९५९) रख दिया जाये।

—(श्री हजारनवीस)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजारनवीस** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्य-सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाय और विधेयक को इस सभा द्वारा अग्रेतर संशोधित रूप में राज्य सभा को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया जाय कि वे इस सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हो जायें ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि राज्य-सभा द्वारा विधेयक में किये गये संशोधनों से सहमति प्रकट की जाये और विधेयक को इस सभा द्वारा अग्रेतर संशोधित रूप में राज्य-सभा को इस प्रार्थना के साथ लौटा दिया जाये कि वे इस सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमत हो जायें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, फरवरी २५, १९५९/६ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिक]

(मंगलवार, २४ फरवरी, १९५९)

५ फाल्गुन, १८८० (शक)


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | १३२७—५१ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ५६९ | रेलवे में मितव्ययता सम्बन्धी उपाय | १३२७—२९ |
| ५७० | ट्रंक टेलीफोन . . . . | १३२९—३१ |
| ५७१ | चीन में चावल पैदा करने के तरीके . . . | १३३१—३३ |
| ५७२ | शिक्षित बेकारों के लिये यातायात सम्बन्धी सरकारी समितियां . | १३३४—३५ |
| ५७३ | अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था | १३३६—३८ |
| ५७४ | यमुना जल विद्युत परियोजना . . | १३३८—३९ |
| ५७५ | सैलम-बंगलौर रेल सम्पर्क . . | १३४०—४१ |
| ५७७ | फीरोजपुर डिवीजन में रेल के माल-डिब्बे | १३४१—४३ |
| ५८१ | नई दिल्ली में श्रमिकों के लिये मकान . | १३४३—४४ |
| ५८३ | रेलों पर भिखारी | १३४४—४६ |
| ५८५ | वन गवेषणा केन्द्र | १३४६—४७ |
| ५८६ | गंडक नदी पर पुल . . | १३४७—४८ |
| ५८८ | नागार्जुन सागर परियोजना . . | १३४८—५० |
| ५८९ | स्कूल स्वास्थ्य सेवा . . | १३५० |
| ५९३ | पान के कीड़े . | १३५०—५१ |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | १३५२—१४१९ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ५७६ | महालक्ष्मी में दुर्घटना . | १३५२ |
| ५७८ | दामोनी रेलवे के ढलान पर दुर्घटना . | १३५२—५३ |
| ५७९ | छोटी लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना | १३५३ |
| ५८० | बम्बई-कन्याकुमारी सड़क . | १३५३ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या


५८२ त्रिपुरा से रेल सम्पर्क १३५३

५८४ खाद्यान्न का संग्रह . १३५४

५८७ चावल और धान का समाहार १३५४

५९० मालगाड़ी का पटरी से उतरना १३५४–५५

५९१ मत्स्यग्रहण स्थान . . १३५५

५९२ उड़ीसा में ग्राम्य विश्वविद्यालय १३५५

५९४ अंदमान में राष्ट्रीय राजपथ १३५५–५६

५९५ गन्ने की कीमत . . . १३५६

५९६ धान का मूल्य . १३५६

५९७ पनियार परियोजना . १३५६–५७

५९८ उड़ीसा का राज्य विद्युत् बोर्ड १३५७

५९९ जूट परिवहन के लिये माल डिब्बे १३५७–५८

६०० बैलाडिला-रायपुर रेल सम्पर्क . १३५८

६०१ उत्तर रेलवे पर आर्थिक सहायता प्राप्त छात्रावास १३५८

६०२ समय पर गाड़ियां चलाने के लिये पुरस्कार योजना १३५९–६०

६०३ बड़े स्टेशनों पर लाकर १३६०

६०४ खरीफ आन्दोलन . १३६०

६०५ जनता गाड़ियों में स्लीपिंग कोच १३६०–६१

६०६ काजीपेट रेलवे यार्ड का नव निर्माण . . १३६१

६०७ पंजाब में चीनी के सहकारी कारखानों के लिये विदेशी मुद्रा . १३६१

६०८ बी० ओ० ए० सी० द्वारा जैट विमानों के लिये भारतीय हवाई अड्डों का प्रयोग किया जाना . १३६१–६२

६०९ चीनी . . १३६२

६१० दिल्ली में ग्लाइडर दुर्घटना . १३६२

६११ कठूआ सहायक नहर . १३६३

६१२ इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन १३६३

६१३ केरल में पर्यटन . १३६३–६४

६१४ दिल्ली-कोणार्क रोड पर पुल १३६४

६१५ भारतीय औषधि अधिनियम, १९४८ . . .. १३६५

६१६ गन्ने का मल्य . . . १३६५

| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश:)

**तारांकित**
**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| ६१७ | पैराम्बूर का सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना . | १३६५-६६ |
| ६१८ | कागज और गत्ते का उत्पादन . . | १३६६ |
| ६१९ | चंडीगढ़ और व्यापारिक केन्द्रों के बीच टेलीफोन लाइनें | १३६६ |
| ६२० | रेल कर्मचारियों की सेवावधि बढ़ाना . | १३६६-६७ |
| ६२१ | टिड्डी दल . . | १३६७ |

**अतारांकित**
**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| ७३५ | गाड़ियों का लेट चलना . . | १३६७-६८ |
| ७३६ | परिवार नियोजन क्लीनिक | १३६८ |
| ७३७ | स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधायें . | १३६८-६९ |
| ७३८ | स्टेशन तक जाने वाली सड़कें . | १३६९-७० |
| ७३९ | गांवों में बिजली लगाना . | १३७० |
| ७४० | परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा . | १३७०-७१ |
| ७४१ | मुसलीपटम-गुंटूर लाइन . . | १३७१-७२ |
| ७४२ | दिल्ली के गांवों में नालियों की खुदाई . | १३७२ |
| ७४३ | दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति केन्द्र | १३७३ |
| ७४४ | टेलीफोन के कनैक्शन | १३७३ |
| ७४५ | टेलीफोन के कनैक्शन | १३७४ |
| ७४६ | नालियों का निर्माण . | १३७४ |
| ७४७ | बम्बई में चीनी के कारखाने | १३७४-७५ |
| ७४८ | वारंगल में नीचे का पुल . | १३७५ |
| ७४९ | उत्तर रेलवे के गैर-सरकारी स्कूलों को सहायता . | १३७५-७६ |
| ७५० | मासिक और त्रैमासिक पास | १३७६ |
| ७५१ | वातानकूलित डिब्बे | १३७६-७७ |
| ७५२ | प्रतीक्षालय . | १३७७ |
| ७५३ | मैसूर में कृषि सम्बन्धी योजनायें . | १३७७-७८ |
| ७५४ | बम्बई बन्दरगाह . | १३७८-७९ |
| ७५५ | पंजाब से निर्यात किया गया धान और चावल . | १३७९ |
| ७५६ | पंजाब में रोलर आटा मिलों के पास गेहूं . . . | १३८० |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः) | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | |
| ७५७ मैसूर और चामराजनगर के बीच रेल गाड़ियों द्वारा लिये जाने वाले समय में कमी . | १३८० |
| ७५८ भारत में कालाजार का होना | १३८० |
| ७५९ हैजा . | १३८०–८१ |
| ७६० पशु प्रजनन . . | १३८१ |
| ७६१ अम्बाला छावनी में रेलवे कर्मचारी . | १३८२ |
| ७६२ निर्माण कार्य में विशेषज्ञ . | १३८२ |
| ७६३ स्वास्थ्य मंत्री की स्वविवेक निधि | १३८२–८३ |
| ७६४ सन्देश दर पद्धति . | १३८३–८४ |
| ७६५ कृषि मूल्य जांच समिति | १३८४ |
| ७६६ दिल्ली में ट्राम सेवा | १३८४–८५ |
| ७६७ ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल | १३८५ |
| ७६८ पंजाब के लिये सड़क परिवहन निगम . | १३८५ |
| ७६९ दादरी के सीमेंट कारखाने को विद्युत् का संभरण . | १३८५ |
| ७७० दिल्ली में नलकूप | १३८६ |
| ७७१ भारत का राज्य बैंक . | १३८६–८७ |
| ७७२ दुर्घटनायें | १३८७ |
| ७७३ बबराला-रोसा लाइन . . | १३८८ |
| ७७४ हवाई अड्डों पर घाषणा करणे की व्यवस्था | १३८८–८९ |
| ७७५ दुजाना हाउस, दिल्ली | १३८९ |
| ७७६ हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क . | १३८९–९० |
| ७७७ नागार्जुन सागर परियोजना | १३९० |
| ७७८ भारतीय सड़क कांग्रेस . . . . | १३९१ |
| ७७९ चिकित्सा वैज्ञानिकों का रूस में प्रशिक्षण . | १३९१ |
| ७८० अनाज का संग्रह . . . | १३९१ |
| ७८१ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था | १३९१–९२ |
| ७८२ रेलों में यात्रियों का छूटा हुआ सामान . . | १३९२–९३ |
| ७८३ हापुर (उत्तर प्रदेश) में साइलो एलीवेटर लगा हुआ गोदाम | १३९३–९४ |
| ७८४ पीलीभीत उपनिवेषण योजना | १३९४–९५ |
| ७८५ गाड़ियों का पटरी से उतरना . | १३९५ |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

**अतारांकित**

**प्रश्न संख्या**

| | | |
|---|---|---|
| ७८६ | आन्ध्र में पत्तनों का विकास | १३९५-९६ |
| ७८७ | रायचूर रेलवे स्टेशन पर गोलीकांड | १३९६ |
| ७८८ | राष्ट्रीय ग्रामीण जल संभरण योजना | १३९६ |
| ७८९ | उत्तरीय रेलवे मजदूर संघ | १३९७ |
| ७९० | दिल्ली में क्लोरीन मिले पानी का संभरण | १३९७ |
| ७९१ | मद्रास राज्य में राष्ट्रीय राज पथ | १३९७-९८ |
| ७९२ | अपंग व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास | १३९८ |
| ७९३ | मनीपुर में मछुए | १३९८ |
| ७९४ | रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें | १३९९ |
| ७९५ | पेदनन्दीपदु उच्चस्तरीय नहर योजना | १३९९ |
| ७९६ | त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजनायें | १४०० |
| ७९७ | दक्षिण रेलवे पर भीड़ भाड़ | १४००-०१ |
| ७९९ | दन्त चिकित्सा विद्यालय (डेंटल कालिज) | १४०१ |
| ८०० | हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग | १४०१-०२ |
| ८०१ | हिमाचल प्रदेश में पंचायतें | १४०२ |
| ८०२ | राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सामुदायिक विकास खण्डों को ऋण | १४०२ |
| ८०३ | कुनिहार खण्ड में ऋण | १४०२-०३ |
| ८०४ | हिमाचल प्रदेश में पंचायतें | १४०३ |
| ८०५ | हिमाचल प्रदेश में विद्युत् परियोजना | १४०३-०४ |
| ८०६ | हिमाचल प्रदेश में फलों की पौधशालायें | १४०४ |
| ८०७ | हिमाचल स्टेट फैडरेशन (कोआपरेटिव) द्वारा खरीदे गये आलू | १४०४ |
| ८०८ | हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियां | १४०५ |
| ८०९ | हिमाचल प्रदेश में भेड़ों की नस्ल सुधार की योजना | १४०५ |
| ८१० | पलवर्थ नस्ल के भेंढ़े | १४०५-०६ |
| ८११ | राज्यों में सींची गयी भूमि | १४०६ |
| ८१२ | दिल्ली में क्षय रोग | १४०६ |
| ८१३ | खाद्यान्न का स्टाक | १४०६ |
| ८१४ | चावल की वसूली | १४०७ |
| ८१५ | सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में सूअर | १४०७ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८१६ नई रेलवे लाइनें . १४०८
८१७ सिंचाई की दरें . १४०८
८१८ कांगड़ा वैली रेलवे १४०८-०९
८१९ दुहरी फसल वाली जमीन . १४०९
८२० त्रिपुरा में भूमि का अधिग्रहण . १४१०
८२१ हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्नों का स्टाक . . १४१०
८२२ माल (राजकोट) में भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजनायें १४१०
८२३ पुरी रेलवे स्टेशन १४११
८२४ अनाजों की किस्में १४११-१२
८२५ मुआवजा १४१२
८२६ दावे . . १४१२-१३
८२७ अनाजों की मूल्य देशना १४१३-१४
८२८ पंजाब में गन्ना . १४१४
८२९ पंजाब में गेहूं के भाव १४१४
८३० होटल उद्योग . १४१४
८३१ केलों का बिजलीयन १४१५
८३२ दामोदर घाटी निगम का जल कर १४१५
८३३ पंजाब में कृषि सम्बन्धी योजनायें १४१५
८३४ पुस्तिकायें तथा प्रचार पुस्तिकायें . १४१५-१६
८३५ जिंदपुर रेलवे स्टेशन पर डाकुओं का छापा १४१६
८३६ गोहाटी में मेडिकल कालिज १४१६
८३७ गोदामों के किरायों का भुगतान न किया जाना . १४१७
८३८ दिल्ली में उचित मूल्य वाली दुकानें . १४१७
८३९ दिल्ली मल शोधन संयंत्र . . १४१८
८४० केरल में तटबन्ध . . . . १४१८
८४१ कलकत्ता में धुआं से परेशानी . . . १४१९

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १४१९

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखी गयी :--

(१) जी० एस० आर० संख्या ६२, दिनांक १७ जनवरी, १९५९ ।

(२) जी० एस० आर० संख्या १०२, दिनांक १४ जनवरी, १९५९ ।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **विधेयक—पुरःस्थापित** . | १४२० |
| विनियोग विधेयक, १९५९ । | |
| **विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत** . . . | १४२०—२६ |
| श्री नौशीर भरूचा ने प्रस्ताव किया कि विशेषाधिकार समिति के २० फरवरी, १९५९ को उपस्थापित किये गये आठवें प्रतिवेदन पर विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सर्वश्री भरूचा और महन्ती ने उक्त प्रतिवेदन के बारे में दो संशोधन प्रस्तुत किये। कुछ चर्चा के बाद संशोधन नियमबाह्य घोषित किये गये और प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ । | |
| **विधेयक—पारित** . . . . . . . | १४२७—४० |
| भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के पश्चात् विधेयक, संशोधित रूप में, पारित हुआ । | |
| **राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों से सहमति** . . | १४४०—५९ |
| लोक सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५९ में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया गया और सहमति प्रकट की गई । | |
| **बुधवार, २५ फरवरी, १९५९/६ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—** | |
| विनियोग विधेयक १९५९ पर विचार और उसे पारित किया जाना और आय व्ययक (रेलवे), १९५९-६० पर सामान्य चर्चा । | |

---